हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त, 2018 को अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

31.08.2018/1100/SS-HK/1

प्रश्न संख्याः 273

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। वैसे तो ये जो जवाब आया है यह अपने आपमें बंडल ऑफ कंट्राडिक्शन है। मतलब यह है कि इस जवाब से कोई बात स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस सदन को उन बातों को लेकर स्पष्टीकरण देंगे।

एक तो पहली बात उत्तर के "क" भाग में लिखा गया है कि लगभग 8731 कर्मी कार्यरत हैं। जब हम आगे जाते हैं तो फिर "लगभग" शब्द प्रयोग नहीं किया गया। तब लिखा गया कि सरकारी विभागों में 5048, बोर्डों में 2893 और निगमों में 790 कर्मी आउटसोर्स आधार पर नियुक्त हैं। तो अपने आपमें यह स्पष्ट नहीं है कि what is the number of outsource employees those are deployed.

दूसरा, अगर आप उत्तर के "ख" और "ग" भाग को पढ़ेंगे तो इसमें ऐसी कंट्राडिक्शन है, मैं समझता हूं कि जो जवाब बनाने वाला है उसकी क्लास लेने की ज़रूरत है। क्या बोलते हैं? पहले कहते हैं कि कोई नॉर्म नहीं है और वेतन निविदा/इकरारनामें की शर्तों के अनुरूप दिया जाता है। बाद में "ग" भाग में क्या कहते हैं कि जो हमने 1.7.2017 को नीति बनाई है उसके तहत गवर्न होगा। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि ये कम्पनी का बोलबाला चलेगा या 1.7.2017 की नीति चलेगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि 1.7.2017 की नीति क्या है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप यह बताएं कि 1.7.2017 की नीति क्या है? कोई भी नीति, जो बेसिक लॉ है, उसके वॉयलेशन में नहीं हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आउटसोर्स इम्प्लोईज़ को जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। 108 ऐम्बूलेंस का जो कर्मी है, जिसको हाई कोर्ट ने निर्देश दिए, 12 घंटे की डयूटी कर रहा है। मुझे बताएं कि कौन-सा कानून कहता है कि आप 12 घंटे की डयूटी करेंगे और 8 घंटे के ऊपर क्या दाम होना चाहिए?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप प्रश्न कर लीजिए।

31.08.2018/1100/SS-HK/2

श्री राकेश सिंघाः इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 1.7.2017 की नीति है क्या वह कानून के अंदर है या बाहर है?

नम्बर-3, जो प्राइवेट कम्पनियां आउटसोर्स कर रही हैं, अगर उन्होंने सही दाम अपने कर्मियों को नहीं दिया तो क्या उसे बैक डेट से देंगे या नहीं देंगे? कानून कहता है कि उसको सही दाम देना होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, इन बातों को लेकर इस मान्य सदन को अवगत करवाएं।

जारी श्रीमती के0एस0

31.08.2018/ 1105/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्याः 273 जारी---

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से दिया गया है। माननीय सदस्य ने जो बात कही, पहली बात तो यह है कि "लगभग" शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये कर्मचारी घटते-बढ़ते रहते हैं। प्रश्न के "क" भाग में बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। उसमें कहा गया है कि 15-02.2018 तक 8731 कर्मी कार्यरत्त थे। ब्रेकअप का आपने जो ज़िक्र किया, तो सरकारी विभागों में 5048 कर्मी, बोर्डों में 2893 और निगमों में 790 कर्मी आउटसोर्स आधार पर नियुक्त हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह फीगर्ज़ बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद हमारे पास पहुंची है। यह स्थगित प्रश्न है। दूसरे, आपने जो 1.07.2017 की पॉलिसी का ज़िक्र किया, इसको पढ़ने में वैसे तो काफी समय लग जाएगा क्योंकि यह बहुत लम्बी है लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी, आप इस पॉलिसी को हाउस में ले कर दें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछेक प्वाइंट्स बता देता हूं जो इस प्रकार हैंः-

1. Outsourcing of Services by the departments may be done only with the approval of the State Government.

2. The provisions of HP Financial Rules, 2009 would be adhered to while outsourcing services in the interest of economy and efficiency and to improve public service delivery.

3. Departments would ensure that Service Providers provide eligible statutory benefits such as ESI Contribution, EPF contribution to the worker/ employees employed by them, by due date.

4. The Government Department will consider increase in the contracted amount payable to the service providers/ contractors to enable them to

enhance emoluments of staff engaged by them, whenever the State Government increase minimum wages.

5. The staff hired by Service Providers will be entitled to the Maternity leave as per the provisions of the Maternity Benefits Act, 1961 and the maternity leave benefits cost shall be borne by the borrowing department through the service providers.

6. The staff of service providers will be entitled to such holidays, as may be approved by the department taking into account the requirement of the respective department.

7. Employees/ staff hired by Service Providers, providing services to Government Department will be entitled to medical leave of 06 (six) days in a calendar year which will not be carried forward to the next calendar year. The cost of this Medical leave would be borne by the concerned Government department.

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बा-चौड़ा है। इसको मैं हाउस में ले कर देता हूं लेकिन इसके नम्बर-11 का ज़िक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। The Department will periodically ensure that service providing agency makes full payment of prescribed wages and other benefits like ESI and EPF etc. उसमें ये सारी चीजें हैं। परन्तु हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अब आउटसोर्सिंग का प्रोसैस चल रहा है वह चाहे केन्द्र सरकार है या प्रदेश सरकार है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से इसमें कोशिश है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

31-8-2018/1110/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 273---------- क्रमागत

मुख्य मंत्री---------- जारी

इनको सरकार डायरैक्ट नहीं लगाती, ये कम्पनी के माध्यम से लगाये जाते हैं। सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है कि इनका शोषण न हो तथा इनके हितों की रक्षा हो। इसके अलावा कम्पनी के मेकेनिज्म को मोनिटरिंग करने का काम भी सरकार करती है। एक बात जिसके बारे में बार-बार कहा जाता है कि "equal pay for equal work"; हमने इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है। ठीक है, हम इस बात से सहमत है कि जो पैसा

इनको कम्पनी के माध्यम से मिलता है वह पूरा मिले। सरकार की तरफ से पेमैंट कम्पनी को जाती है और कम्पनी आगे इनको सैलरी देती है। सरकार की तरफ से डायरैक्ट उनके अकाउंट में पेमैंट करने का प्रावधान नहीं है। अगर इस बारे में कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है तो उस कम्पनी के साथ सरकार बात करती है कि आपके खिलाफ यह शिकायत आई है। अगर उसमें कोई सच्चाई सामने आती है तो उस बारे में कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उसमें अगर किसी कनफ्यूज़न के कारण कोई करैक्शन करने की आवश्यकता रहती है तो उसको भी ठीक करने के लिए कहा जाता है। माननीय सदस्य ने जो मूल रूप से प्रश्न किए थे मैंने उस बारे में डिटेल में उत्तर दे दिए हैं। इसके अतिरिक्त लिखित उत्तर में भी इनको काफी डिटेल दे दी गई है।

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह कन्ट्राडिक्टरी है। प्रश्न के 'ख' भाग में कहा गया है कि वेतन पूरा देना चाहिए और जवाब में लिख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कम्पनी के वेतन निर्धारण का कोई मानक फार्मूला नहीं है। जवाब में तो आप यह लिख रहे हैं कि आपने किस कर्मचारी को कितना देना; उसके लिए तो कोई फार्मूला ही नहीं है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए वेतन निविदाओं की इकरारनामे की शर्तों के अनुरूप दिया जाता है। आपने कोटेशन मंगवा ली कि हमें ड्राइवर, चपड़ासी या कोई और पद चाहिए जिसमें किसी ने 9000 रुपये दे दी, किसी ने 10000 रुपये दे दी। आप तो टैंडर के हिसाब से उस कम्पनी को पैसे

31-8-2018/1110/av/yk/2

दे रहे हैं लेकिन जैसे आपने कहा है कि इन कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। मुख्य मंत्री जी, आपने जो अभी पढ़ा यह तो आउटसोर्स कम्पनी और सरकार के बीच में एग्रीमैंट है तथा उसमें डायरैक्टशन्ज दी हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी बनायेगी क्योंकि ये कर्मचारी भी सरकार का काम कर रहे हैं? क्या सरकार पॉलिसी बनाकर इनको सरकारी कर्मचारी के रूप में डेली वेजर या कॉंट्रैक्ट पर लाने बारे विचार करेगी? दूसरी बात, आपने हर केटैगरी के कर्मचारी के लिए

मिनिमम वेजिज रखा है कि क्लास-iv को 210 रुपये होगा और ड्राइवर को 250 रुपये होगा। मगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि इनका बड़ा भारी शोषण हो रहा है। इनको टाइमली सैलरी नहीं मिलती है। सरकार ने ड्राइवर के लिए 9100 रुपये रखे हैं मगर किसी ड्राइवर को 7000 रुपये, किसी को 5500 रुपये तथा किसी को 5000 रुपये दिए जाते हैं और यह कम्पनी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से दे रही हैं। मुख्य मंत्री जी, आपने ठीक कहा और कागजों में ये सारी बातें लिख दी जाती हैं कि कार्रवाई होगी मगर वास्तव में यह नहीं होती। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और समय पर सैलरी नहीं मिलती है उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? उन लोगों को तीन-तीन महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। इसलिए क्या आप डायरैक्शन्ज में यह ऐड करेंगे कि बैंक के अकाउंट में जो उनका पैसा जा रहा है वह समय पर जाए और कितना पैसा जाना चाहिए यह भी निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, आप कम्पनी को 10 या 15 प्रतिशत कमीशन दो मगर कर्मचारियों को मिनिमम वेजिज मिलने चाहिए क्योंकि काम तो ये कर्मचारी भी वही कर रहे हैं जो नियमित तौर पर लगे कर्मचारी कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों को लगाने के लिए सरकार की ओर से टैंडर किया जाता है। उस टैंडर में जो कम्पनी कम रेट कोट करेंगी उन सारी चीजों के लिए प्रावधान है और सरकार उसके मुताबिक करती है।

श्री टी सी द्वारा जारी

31.08.2018/1115/TCV/YK-1

प्रश्न संख्याः 273..... जारी ।

माननीय मुख्य मंत्री .....जारी

उसके बाद कम्पनी का जो उनके साथ एग्रीमेंट होता है, उसके मुताबिक कम्पनी की शर्तों के अनुसार पेमेंट की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो कांट्रेक्ट है, उसमें मिनिमम बेज़िज से कम पेमेंट का प्रावधान नहीं है। यह बात बिल्कुल क्लीयर है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सभी विभागों द्वारा

एक माह का वेतन कम्पनी को देने से पूर्व ऑउटसोर्स कर्मियों को पिछले माह के वेतन का भुगतान एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक किया गया है या नहीं? लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उनका शोषण हो रहा है, आज के इस मंहगाई के जमाने में स्वभाविक रूप से जो राशि कम्पनी द्वारा उनको दी जाती है, उनकी मांग उस राशि से ज्यादा होती हैं। वे कहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट 1, 2 या 3 साल के लिए होता है या फिर जो भी एग्रीमेंट हुआ होता है, उसके बीच में आ जाते हैं कि हमारा पैसा बढ़ा दो। जो लोग ऑउटसोर्सिज़ में हैं, वे कहते हैं कि हमारे लिए पॉलिसी लेकर आओ, हमारा पैसा बढ़ा दो। ये सारी चीजें लेकर वे आते हैं और व्यावहारिक रूप से हमें यह कठिनाई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी उस संदर्भ में आई है। मैं उसका ज़िक्र करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। वह पॉलिसी से रिलेटिड है। आपकी भी उस व़क्त मंशा थी कि चुनाव के दिनों में राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से कुछ कर लें और आप लोगों ने घोषणा भी कर दी थी। पीटरहॉफ का लॉन इन आउटसोर्स कर्मियों से भर दिया गया था। उस समय राजा साहब के खूब नारे लगाये जा रहे थे। मैंने वह वीडियो देखा था। लेकिन वह एक दौर था, वास्तव में मुझे लगता है कि एक्सप्लॉटेशन वह है, जो हम कर नहीं सकते हैं, उसके बाहर हम कहने की कोशिश करते हैं और कह देते हैं। वह हमने नहीं किया है। वह आपके (विपक्ष) माध्यम से हुआ है। इसलिए हमारी सरकार के दौरान, यदि आपको लगता है कि कहीं पर किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉटेशन हो रहा है,

31.08.2018/1115/TCV/YK-2

हम उसका बहुत गम्भीरता से संज्ञान लेंगे। यदि कोई बात बीच में अचानक ही आ जाती है कि हमारा पैसा बढ़ाओ, हमको रेग्युलर करो, हमारा जो इकरारनामा हुआ होता है, उसके मुताबिक और जिस पॉलिसी का हमने ज़िक्र किया, उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें उस तरह से नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यदि आपने किसी

को रेग्युलर लगाना है तो यह चांस सबको देना चाहिए। यही एक मैकेनिज्म हमारी केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के जितने भी हमारे विभाग हैं, जहां पर तुरन्त इस प्रकार से काम को चलाने की व्यवस्था को करने की आवश्यकता रहती है, उसके अनुसार ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन यह भी बात सत्य है कि पिछले काफी अर्से से आउटसोर्स पर काम देने की बात सभी प्रदेशों में चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जहां तक रेग्युलर करने की पॉलिसी, कांट्रैक्ट पर लाने की पॉलिसी की बात है, यह प्रावधान अभी तक पॉलिसी में शामिल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की डॉयरेक्शन्ज़ में भी शामिल नहीं हैं। उसके लिए जो कठिनाई है, वह मैंने आपके सामने बता दी है। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि सरकार की ओर से इस बात को सुनिश्चित करने की हमेशा कोशिश रहती है। जहां आपने ज़िक्र किया कि कम्पनी 3,3, 4,4 महीने से तनख़्वाह नहीं दे रही है। यदि इस प्रकार की शिकायत हमारे पास पहुंचती है, तो हम तुरन्त कम्पनी को कहते हैं और कम्पनी को बुलाकर हम आदेश करते हैं कि अगर पिछले महीने की पेमेंट नहीं हुई है, जिसका मैंने ज़िक्र किया तो तुरन्त उनको पेमेंट करने के आदेश देते हैं।

अध्यक्षः श्री विनोद कुमार जी, इनका भी यह प्रश्न था और यह अंतिम अनुपूरक प्रश्न है।

श्री विनोद कुमार श्रीमती एन0एस0 ... द्वारा शुरू ।

31-08-2018/1120/NS/AG/1

प्रश्न संख्याः 273 ---क्रमागत

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे यहां पर कहा गया कि 15-02-2018 तक 8,731 लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोस्टर लागू नहीं किया गया है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में आउटसोर्स के माध्यम से जो भी भर्तियां करवाई जाएंगी, क्या उसमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण दिया जायेगा?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं, यह बात सत्य है कि इसमें यह प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। जहां तक नीति की बात है तो उसमें भी यह प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। इसकी वज़ह है कि यह स्थायी नियुक्तियां नहीं हैं। आउटसोर्स सिर्फ एक प्रावधान है; हमारी आवश्यक कार्यों को संचालित करने के लिए कार्य को आउटसोर्स करना है। सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश में अगर सरकारी कर्मचारियों का कहीं पर भी रेक्रूटमैंट का प्रोसैस होता है तो उसके लिए रिजर्वेशन का रोस्टर लागू करने का प्रावधान नीति में शामिल है। यह एक मूलभूत आवश्यकता है और इसको लागू किये बिना रेक्रूटमैंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस बारे में कहा है कि जो हम आउटसोर्स सर्विसिज़ करते हैं तो वर्तमान परिस्थिति में यह प्रावधान शामिल नहीं है। इस कारण से आउटसोर्स में रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने की गुंजाइश नहीं है।

श्री राकेश सिंघाः ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मुझे एक अनुमति दें ताकि मैं इनका धन्यवाद कर सकूं।

अध्यक्षः देखिए, आप मेरी बात सुनिये, 25 मिनट हो गए और यहां पर आज नियम-62 और नियम-61 भी लगा हुआ है।

31-08-2018/1120/NS/AG/2

प्रश्न संख्याः 358

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। वैसे तो इन्होंने अपने जवाब में कह दिया है कि केंद्र सरकार के पास इस ट्रस्ट को टेकओवर करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इस ट्रस्ट को टेकओवर करने के लिए कोई प्रस्ताव आया है, यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या पोजीशन है? दूसरा, विवेकानन्द मेडिकल ट्रस्ट और कायाकल्प, क्या ये दोनों सेम है या अलग-अलग है? तीसरा, क्या कायाकल्प की इनकम ट्रस्ट में शामिल होती है या नहीं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तारपूर्वक दे दिया गया है। प्रश्न का जो "ग" भाग है, उसमें कहा गया है कि

वर्तमान में पालमपुर स्थित विवेकानन्द मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट के अधिग्रहण हेतु कोई भी प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके लिए प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। दूसरा, जो इन्होंने जानना चाहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि विवेकानन्द मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट के अन्तर्गत दो प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

31.08.2018/1125/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 358....जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री... जारी

एक तो वहां पर एलोपैथी के माध्यम से उपचार किया जाता है। दूसरा, आपने कहा- 'कायाकलाप'। यह 'कायाकलाप' नहीं है, यह 'कायाकल्प है'। यानी शरीर की काया को बदलना। इस काम में न तो सूई का प्रयोग होता है और न ही रूई का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय सिंघा जी वहां पर शरीर का उपचार योगा के माध्यम से किया जाता है। वहां पर फिजियोथेरेपी होती है। वहां पर पंचकर्मा भी किया जाता है। इस शरीर की रचना ध्यान के माध्यम से संतुलित कर कायाकल्प की जाती है। वहां पर वायु, मिट्टी और पानी से व्यक्ति का उपचार होता है। इसलिए यह कोई अलग संस्था नहीं है। यह विवेकानन्द मैडिकल ट्रस्ट में ही सम्मिलित है। इसकी कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। तीसरा, माननीय सदस्य ने उपचार के माध्यम से प्राप्त धनराशि के बारे में पूछा। मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि उपचार से जो धनराशि प्राप्त होती है, वह ट्रस्ट के पास जमा होती है और इसका ऑडिट भी किया जाता है। यह नो प्रोफिट, नो लोस पर चलने वाला संस्थान है। यानी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग यदि अपना उपचार वहां करवाना चाहते हैं तो उन्हें इलाज में 25% छूट दी जाती है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हर वर्ष 01 नवम्बर से 28 फरवरी तक सभी श्रेणियों के लोगों को इलाज में 30%तक की छूट दी जाती है। यह

संस्थान नो प्रोफिट, नो लोस की व्यवस्था पर चल रहा है। इस संस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा एवं एलोपैथिक चिकित्सा के माध्यम से आम जनता का उपचार किया जा रहा है।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूं कि इन्होंने मुझे कोरैक्ट किया। मैं सीखने के लिए आया हूं, सीखाने के लिए नहीं। आपने कहा कि इस संस्थान को नो प्रोफिट, नो लोस में चला रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस संस्थान से कितनी आय हुई और कितना खर्चा किया गया?

31.08.2018/1125/RKS/AG-2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी यदि आपके पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है तो आप यह सूचना बाद में उपलब्ध करवा सकते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूचना माननीय सदस्य को बाद में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

Shri Ashish Butail: Hon'ble Speaker, Sir, the Hon'ble Minister has stated in his reply that they have not received any proposal from VMRT to hand over the institute to the Government, but according to the newspaper of 1st August, 2018 a statement has come to our knowledge where they have mentioned that they have written to the Hon'ble Health Minister of the State and the Hon'ble Union Health Minister for handing over the VMRT Trust and the Institute to the Government. I would like to know that even if you have not received this letter as yet अगर अभी आपके पास यह चिट्ठी नहीं आई है और ऐसी चिट्ठी आपके पास आती है तो सरकार की क्या मंशा रहेगी, कृपया आप मुझे बताएं?

Speaker: The answer has already been given in the negative.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा कि समाचार पत्रों में छपा है कि कोई प्रस्तावना भेजी गई है।

श्री बी0एस0 द्वारा.....जारी

31.08.2018/1130/बी.एस/डी.सी./-1

प्रश्न संख्या 358 क्रमांगत...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी..

जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि क्या इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा है? तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है, अगर इस प्रकार का प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जा सकता ।

31.08.2018/1130/बी.एस/डी.सी./-2

प्रश्न संख्या 516

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभा पटल पर जो सूचना दी है, उस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों का जो आयोजन किया जाता है, उसमें कलाकारों के चयन हेतु उपायुक्त महोदय द्वारा चयन समिति बनाई जाती है उसके द्वारा चयन होता है। परंतु देखने में आया है कि जो हमारे प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकार हैं उन्हें वहां पर मौका नहीं दिया जाता है, बहुत कम मौका उन्हें दिया जाता है। यदि मौका मिल भी जाता है तो पैसा बहुत कम दिया जाता है। लेकिन जब प्रदेश से बाहर के कलाकारों को कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है तो उन कलाकारों के साथ इतनी बड़ी सहायक टीम होती है कि वे स्टेज में 15 -20 मिनट अपने सामान को सजाने और संवारने में ही लगा देते हैं। उसके बाद उनके नखरे होते हैं। वे कलाकार एक-दो गाने गा करके एक-दो लाख रुपया ले करके चले जाते हैं । परंतु हमारे स्थानीय कलाकार को 400-500 रुपया दिया जाता है। यदि कोई स्थानीय कलाकार

शिमला से चम्बा अपना प्रोग्राम देने जा हरा है तो उसको 1000-1500 रुपया देकर चलता किया जाता है। यह जो अन्याय स्थानीय कलाकारों के साथ हो रहा है क्या सरकार इसका कोई समाधान निकालेगी? हमारे प्रदेश में अनेक कलाकार हैं जो अच्छा गीत-संगीत जानते हैं और जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसका आदान-प्रदान करते हैं। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है ? जो मेला कमेटियां है उन पर मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री जी का नियंत्रण होना चाहिए ताकि जो हमारे प्रदेश के कलाकारों को न्याय मिल सके।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य जी ने प्रश्न पूछा था हमने उसका उत्तर दे दिया है। लेकिन विशेष तौर से इन्होंने एक बात कही है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रतिभावान कलाकार हमारे पास उपलब्ध हैं। और ये जो मेला कमेटीज होती हैं, चाहे वह मेला जिला स्तर का है, चाहे वह मेला राष्ट्रीय स्तर का है चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है । इन कमेटियों के समक्ष ये अपने आग्रह पत्र भेजते हैं और कलाकार अपने कार्यक्रम का कितना पैसा लेंगे इस बारे में भी कोटेशन भेजते हैं। कोशिश

31.08.2018/1130/बी.एस/डी.सी./-3

यही रहती है कि हिमाचल प्रदेश के अच्छे कलाकारों को भी स्टेज में आने का मौका मिले। लेकिन यह भी बात सच है कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे कलाकार अपनी क्षमता पर और उसके साथ-साथ उनका एक ग्रुप बना होता है, उस क्षमता पर वे आवेदन करते हैं। उन सब को अकोमोडेट करना कठिन हो जाता है। क्योंकि मेले की एक, दो या तीन संध्याएं होती हैं। इससे अधिक मेलों में प्रोग्राम नहीं होते हैं। हमारे अन्तर्राट्रीय स्तर के मेले हैं, उसमें ज्यादा-से -ज्यादा तीन संध्याएं होती हैं। जो जिला स्तरीय मेले हैं, उनमें तो एक ही संध्या होती है। एक संध्या में 50 कलाकारों को या 60 कलाकारों को मौका नहीं दे पाते हैं।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

31.08.2018.1135/DT/DC-1

प्रश्न संख्याः 516..क्रमागत

मुख्य मंत्री.... जारी

वह एक कठिनाई जरूर आती है। हमारे पास बहुत से कलाकार आते हैं कि आप डी.सी. को फोन कर दो ताकि वहां हमें कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल जाए। सरकार की ओर से इसको बुलाया जाए, उसको बुलाया जाए, ऐसा प्रोसैस अभी तक इन्वोल्व नहीं किया है। यह सारा काम मेला कमेटी पर छोड़ा हुआ है। इसमें यथासंभव उनको अकमोडेट करने की भी कोशिशे होती है। हमारी सरकार आने के बाद हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हिमाचल की संस्कृति को जिन्दा रखना, हिमाचल के कलाकारों को उचित स्थान व उचित सम्मान मिलना ही चाहिए। खास तौर से मेले में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कुछ जगह लोगों के टेस्ट को देखते हुए नैशनल /इंटरनैशनल फेम के कलाकारों की डिमांड रहती है। आखिरकार वे भी तो कलाकार हैं। युवा पीढ़ी की मांग को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हम 20 कलाकारों में से 15 कलाकार हिमाचल प्रदेश के हों ऐसी कोशिश करते हैं। जो 8-10 हिमाचल के अच्छे कलाकार हैं, उनको पेश करते हैं। यह ठीक है कि उनको ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। लेकिन उसके बाद भी एक नैशनल/इंटरनैशनल लैवल के कलाकार को भी अवसर देने का प्रवधान रहता है। यह बात सच है की वे लोगा ज्यादा पैसे लेते हैं। यह बात भी सच है कई जगह बड़े कलाकार को बुलाया जाता है परंतु मनोरंजन की दृष्टि से वे सब चीजें लोगों को मिलती नहीं है। हमारी जो जनरेशन है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सारी चीजें देखने की आवश्कता होती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ हिमाचल के कलाकारों को प्राथमिकता मिले यह हम सुनिश्चत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके वाबजूद जो हमारे नेशनल/इंटरनैशनल स्तर के मेले होते हैं, उसमें एक रात के लिए एक बड़ा कलाकार भी होना चाहिए। मैं यह जरूर कहना

31.08.2018.1135/DT/DC-2

चाहता हूँ कि सरकार कि इस प्रकार की मंशा कभी नहीं रही कि सरकार हिमाचल की संस्कृति से जुड़े हुए हिमाचल के कलाकारों को प्रोत्साहित न करें। हम हमेशा प्रोत्साहन करने को तैयार है और आने वाले समय में भी इस काम को हम उसी रूप में जारी रखेंगे ताकि हिमाचल के कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सकें। हिमाचल में बहुत अच्छे कलाकार हैं जिन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा मंच होता है जिसके माध्यम से उनको यह अवसर मिलता है और वह अवसर सरकार देने की कोशिश करती है।

अध्यक्षः वैसे तो इस प्रश्न में बहुत चर्चा हो गई लेकिन फिर भी श्री जगत सिंह नेगी जी आप संक्षेप में पूछ सकते हैं।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पैसा मेलों के लिए इकट्ठा होता है वह सारी राशि मांगकर इकट्ठा की जाती है। सरकार की तरफ से थोड़ी सी राशि दी जाती है। यह पब्लिक का पैसा है और इस पैसे का काई ऑडिट नहीं होता है। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे की हर साल मेले के अन्त में जो पैसा इक्ट्ठा होता है, उसका आप ओडिट करेंगे? दुसरा, जो मेला कमेटी है इसमें सारे-के-सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि इन कमेटियों में नहीं है। अतः ऐसी कमेटियां बनाई जाए जिसमें जिला परिषद के लोग हों, पंचायत समिति के लोग हों और जहां नैशनल और इंटरनैशनल मेलों का आयोजन किया जाता है, वहां पर स्थानीय विधायक भी कमेटी में हो ताकि इसमें पारदर्शिता लाई जा सके। क्या आप इन सभी बात को सुनिश्चित करेंगे?

श्री एन. जी. द्वारा जारी...

31/8/2018/1140/एच0के0/एन0जी0-1

प्रश्न संख्याः 516..क्रमागत

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महादेय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे जबरदस्ती इकट्ठा करना, ये कहना उचित नहीं है । स्पोन्सरशिप के लिए आग्रह किया जाता है । ऐसा हो सकता है कि विपक्ष के लोग अपने अनुभव के अनुसार ऐसा कह रहे हों । लेकिन जबरदस्ती करना आज के दौर में ख़त्म हो गया है, आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते । उसके बावजूद यदि कार्यक्रम करना है और अच्छा कार्यक्रम करना है तो उसमें काफी धन खर्च होता है । स्वभाविक रूप से उस कार्यक्रम हेतु धन एकत्रित करने के लिए अलग-अलग माध्यम होते हैं । मेला आय का सबसे बड़ा साधन होता है, जहां मेला होता है वहां पर दुकानों की जो एलोटमैन्ट की जाती है उससे मेला कमेटी को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है । उसके साथ-साथ कुछ संस्थाऐं और कुछ कम्पनियां आगे आकर स्पान्सरशिप देती है, सहयोग देने के लिए आती है । मुझे लगता है कि यदि हमारी संस्कृति को, हमारे मनोरंजन के लिए कोई कम्पनी सहयोग देने के लिए आए तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है । दुसरी बात जो आपने कही कि ये जो पैसा इकट्ठा होता है, इसका कोई ऑडिट नहीं होता । इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मेले में जो भी पैसा आता है, इसका प्रोपर अकाऊन्ट मैनटेन किया जाता है, इसके साथ-साथ ऑडिट करने का भी प्रावधान है । अगर कहीं आपको स्पैसिफिक लगता है कि इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कुछ कदम ओर उठाने की आवश्यक्ता है तो निश्चित रूप से हम इसमें सुधार करेंगे। पैसा जनता का है और जनता के पैसे का सही हिसाब रखना, सही उपयोग करना यह बहुत आवश्यक है । उस दृष्टि से जो भी कदम उठाने की आवश्यक्ता होगी हम उठाते रहेंगे । मैं यहां बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेलों का आयोजन किया जाता है, चाहे वह जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का हो,

31/8/2018/1140/एच0के0/एन0जी0-2

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी के प्रश्न के मूल भाव को समझते हुए सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और ऑडिट से संबंधित कोई और अच्छा मैकेनिजम बनाने की आवश्यक्ता होगी तो हम यह सब करने की कोशिश करेंगे ।

31/8/2018/1140/एच0के0/एन0जी0-3

प्रश्न संख्या - 772

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है वह बहुत डिटेल में दिया है और उसमें यह क्लीयर नहीं है कि जो सिवरेज का कार्य हमीरपुर और सुजानपुर में चल रहा है वह कब समाप्त होगा । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमीरपुर की सिवरेज का कार्य 2003 में शुरू हुआ था और सुजानपुर की सिवरेज का कार्य 2005 में शुरू हुआ था । उसके बाद तो रोहतांग की टनल भी बन गई लेकिन यह दोनो कार्य अभी तक चले हुए है । कहीं 70 प्रतिशत कार्य हुआ है और कहीं 75 प्रतिशत कार्य हुआ है । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह काम जो प्रगति पर है कब समाप्त होगा और इसके साथ हमीरपुर म्यूनिसपल ऐरिया के ढाई वार्ड ऐसे हैं जो अभी तक सिवरेज प्रणाली में सम्मलित ही नहीं किए गए है । क्या उनको भी सिवरेज प्रणाली में लाने का प्रावधान किया जा रहा हैं, ये काम कब तक पूरा होगा ? जो इन्होंने जबाव दिया है उसके अनुसार इस वर्ष इन कार्यों के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । मेरा निवेदन है कि इन कार्यों को शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाए ।

अध्यक्षः कल भी इसी प्रश्न में आधा घण्टा लगा था । माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री जी ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की चिन्ता वाज़िब है । हमीरपुर नगर की सिवरेज व्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया था

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

31/08/2018/1145/RG/YK/1

प्रश्न सं. 772----क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री-----जारी

और तीन ज़ोन के अलावा एक वार्ड नं.-11 है, उसके लिए अलग से सीवरेज की व्यवस्था की गई है। जो अलग से सीवरेज की व्यवस्था की गई है, उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा हो चुका है। लेकिन उसके लिए जो सीवरेज की मेन लाईन है, उसका काम बीच में रुका हुआ है, जो कनैक्टिविटी है, उसमें शहर के बीच में मेन लाईन का काम रुका हुआ है और उस काम के रुकने का सबसे बड़ा कारण वहां जमीन का झगड़ा है। इसलिए मेरी ठाकुर साहब से विनम्र प्रार्थना रहेगी कि वहां जो जमीन का झगड़ा है, यदि ये बीच में पड़कर उस झगड़े को सैटल करवा दें, तो निश्चित तौर पर हम उस काम को तुरन्त पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में यह भी बताना चाहता हूं कि हमीरपुर के ज़ोन नं.-1 में कुल 2,209 कनैक्शन्ज हैं जिसमें से 565 कनैक्शन दे दिए गए हैं, ज़ोन नं.-2 में कुल 370 कनैक्शन्ज प्रस्तावित थे, उनमें से 235 कनैक्शन्ज दे दिए गए हैं,ज़ोन नं.-3 में कुल 195 कनैक्शन्ज प्रस्तावित थे और 195 के स्थान पर 335 कनैक्शन्ज दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वार्ड नं.-11 के लिए एक अलग से सीवरेज की व्यवस्था और अलग से टैण्डर हुए हैं और उसमें 480 कनैक्शन्ज प्रस्तावित हैं। लेकिन ये 480 प्रस्तावित कनैक्शन्ज निर्भर करते हैं कि जैसे ही जमीन का झगड़ा सैटल होगा, निश्चित तौर पर हम इसको पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुजानपुर के बारे में एक बात माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि सुजानपुर में जो सीवरेज की व्यवस्था है, उसको दो ज़ोन में बांटा गया है। दो ज़ोन में से हमारा एक ज़ोन तो कम्पलीट है और जो दूसरा ज़ोन हमारा है, उसमें हमारा 80% कार्य पूर्ण हो गया है और इसमें 103 कनैक्शन्ज भी दे दिए गए हैं।

लेकिन शेष काम धन की व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। पिछले कल ही माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने यहां कहा है कि हम बहुत जल्दी ही सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को राशि देने वाले हैं। **माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल एक निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में हमारी जितनी भी नगर परिषदें और नगर पंचायतें हैं, वहां सीवरेज की व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने के लिए एक प्रोजैक्ट, एक पैकेज के रूप में तैयार करने का दायित्व हम दोनों मंत्रियों के ऊपर छोड़ा है, हमारे दोनों विभागों पर यह काम छोड़ा है, हम इसके लिए बैठेंगे और इसका एक कन्सैप्ट नोट तैयार करके भारत सरकार को प्रेषित करेंगे। भारत**
31/08/2018/1145/RG/YK/2

सरकार को प्रेषित करने में, मैं फिर दुबारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि जब भारत सरकार को हम यह भेजेंगे, तो आप वहां हमारी मदद करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो जमीन का झगड़ा है, उसको सैटल कर दें, विभाग काम करने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष : अब तो विस्तृत उत्तर आ गया, ठाकुर साहब।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : मेरा उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष : आपको आश्वासन दे दिया।
31/08/2018/1145/RG/YK/3

प्रश्न सं. 773

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो चार 33 के.वी. सब-स्टेशन संगड़ाह, शिलाबाग, पनोग एवं जगतपुर जोड़ों विचाराधीन हैं, इनको कम्पलीट करने के लिए क्या कोई समय-सीमा तय करेंगे

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

31/08/2018/1150/MS/YK/1
प्रश्न संख्याः 773 क्रमागत----
श्री सुख राम जारी-------

ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिला सिरमौर में इनके अतिरिक्त सात अन्य 33 के0वी0 के सब-स्टेशन प्रपोज़ल में है जिनमें 33 के0वी0 सब-स्टेशन बातामण्डी, नगेता, भरोगखनेड़ी, कफोटा, मोगीन्द और हरिपुरधार में हैं। अगर ये आपकी प्रस्तावना में है तो मंत्री जी मुझे उसकी सूचना मुझे दे दें। इसके अलावा, गोड़ा जोकि जिला सोलन और सिरमौर के बॉर्डर पर है, वहां से एक 33 के0वी0 का सब-स्टेशन राजगढ़ बनाया गया और उसकी टैपिंग लेकर एक 33 के0वी0 का सब-स्टेशन चारना में बनाया गया। फिर उसके बाद उसकी टैपिंग लेकर एक सब-स्टेशन कुपवी में बनाया गया। गोड़ा से राजगढ़ की दूरी 15 किलोमीटर है, चारना की 32 किलोमीटर और कुपवी की 27 किलोमीटर है। इस तरह से इसकी 80 किलोमीटर लम्बाई बनती है और उसमें आपने पनोग भी प्रस्तावित कर दिया तो चार 33 के0वी0 के सब-स्टेशन हो गए हैं और एक सब-स्टेशन उसमें हरिपुरधार का भी प्रस्तावित है। अब इतनी बड़ी लाइन बन गई है कि अगर राजगढ़ में फॉल्ट आता है तो कुपवी में सप्लाई फेल हो जाती है और चारना वाला फेल हो जाता है तो भी कुपवी में बिजली की सप्लाई नहीं जा सकती है। 131 के0वी0 सब-स्टेशन गोड़ा फेल हो गया तो हमारा आधा सिरमौर अंधेरे में रहता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला सिरमौर का आधा क्षेत्र इसमें कवर होता है इसलिए हमें बिजली की विश्वसनीय क्वालिटी मिले। जिला सिरमौर के लोगों को अन-ट्रिप्टिड सप्लाई मिले इसके लिए क्या आप एक्स्ट्रा हाई वॉल्टेज के सब-स्टेशन चाहे 66 के0वी0 का सब-स्टेशन या 132 के0वी0 का सब-स्टेशन या 220 के0वी0 का सब-स्टेशन इस क्षेत्र में लगाना प्रस्तावित करेंगे ताकि सारी समस्या का समाधान हो सके क्योंकि एक सब-स्टेशन के फेल होने से सब जगह बिजली बाधित हो जाती है और सारी स्कीमें फेल हो जाती हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया प्रश्न जल्दी-जल्दी करें नहीं तो समय के अभाव के कारण उत्तर रह जाएगा।

31/08/2018/1150/MS/YK/2

श्री सुख रामः क्योंकि 132 के0वी0 गिरी सोलन लाइन इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। आपने इसमें टैपिंग लेनी है और सब-स्टेशन की जगह देखनी। इस तरह छः जगह प्रस्तावित करके लोगों को राहत दे सकते हैं। मैं इसी चीज का आपसे आश्वासन चाहता हूं।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, इसकी वस्तुस्थिति मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिला सिरमौर में विद्युतिकरण हेतु 22 करोड़ 25 लाख 87 हजार रुपये की लागत के चार 33 के0वी0 सब-स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें 33 के0वी0 सब-स्टेशन संगड़ाह का कार्य प्रगति पर है। इस सब-स्टेशन का कार्य 30 जून, 2019 तक पूरा कर दिया जाएगा। शिलाबाग और पनोग सब-स्टेशन की स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी हो चुकी है तथा कार्य आबंटित किए जा रहे हैं। इन सब-स्टेशनों के कार्य को 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जगतपुर-जोड़ों की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है परन्तु व्यय मंजूरी होना अभी अपेक्षित है। इस सब-स्टेशन के कार्य को 31 दिसम्बर, 2020 तक पूरा कर दिया जाएगा। जो माननीय सदस्य ने सात सब-स्टेशन्ज की बात कही है, उन सात सब-स्टेशन्ज की फिल्ड से प्रपोजल आ गई है तथा इनकी टैक्निकल एप्रूवल की मंजूरी भी हो चुकी है तथा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल पैंडिंग है। फाइनेशियल एप्रूवल इसके बाद आएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि सिरमौर के अंदर जो पावर की समस्या है उससे वहां के लोगों को निजात मिले। जो तीसरा प्रश्न गोड़ा से लेकर कुपवी तक 33 के0वी0 की लाइन का कहा है, यह ठीक है कि यह बहुत लम्बी लाइन हैं और आपने स्वयं भी कहा है कि यह 80 किलोमीटर की लम्बी लाइन है। इसकी वॉल्टेज के सुधार करने के लिए, क्योंकि 18 सब-स्टेशन आपके पहले ही लग चुके हैं और चार सब-स्टेशन आपके अब लगने वाले हैं तथा सात सब-स्टेशन हम प्रस्तावित कर रहे हैं। इस तरह से इनकी संख्या अब काफी बढ़ जाएगी। आपकी बात सही है कि गोड़ा तक जो 132 के0वी0 लाइन आई इसको आगे एक्सटैंड करें। इसके लिए विभाग पूरा प्रयास करेगा और इसकी मैं विभाग से सूचना भी लूंगा और इसको इम्प्रूवमैाट की बात होगी तो वह भी हम करेंगे।

अध्यक्ष श्री जे0के0 द्वारा----

31.08.2018/1155/जेके/वाईके/1

प्रश्न संख्याः 773:----**जारी**-------

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी काला अम्ब इण्डस्ट्रियल एरिया में एक दिन में 22-22 बार ट्रिपिंग होती है। यह इसी के साथ जुड़ा हुआ मसला है, इसको भी आप कृपया देखें।

31.08.2018/1155/जेके/वाईके/2

प्रश्न संख्याः 774

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर रखी है, दरअसल ये जो स्टेडियम हैं इनका निर्माण युवा सेवाएं एवं खेल विभाग करता है। ये जो दो स्कूल हैं उनमें से एक सीनियर सेकंडरी स्कूल, नम्होल है, उसके लिए जमीन एक्वायर करके कुछ लोगों ने पैसा जेब से दिया और प्राइवेट सेक्टर से हमने इसका निर्माण ए0सी0सी0 से करवाया था, जो बचा हुआ काम था उसमें युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने 30 लाख रू0 दिया। अब ये कह रहे हैं कि इसका काम 17 जुलाई को शुरू हो गया। साथ में कह रहे हैं कि रा0व0मा0पा0 ध्याल और नम्होल के उन दो स्टेडियम के निर्माण पर कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ। पहले कह रहे थे कि यह काम 17.07.2018 को शुरू हो गया और अब यह कह रहे हैं कि इसके ऊपर पैसा खर्च नहीं हुआ। मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है क्योंकि पैसा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से आया है और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि ये स्कूल के मैदान हैं जिनमें एक 4,170 फीट की हाइट पर है, दूसरा हॉकी का

मैदान है यह कोई सवा चार हजार सौ फीट की हाइट पर है। इनका निर्माण 2016 में शुरू हुआ। पैसा आपने दे रखा है। डिपार्टमैंट रिवाइज्ड एस्टिमेट मांगता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी आप प्रश्न थोड़ा जल्दी से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा वरना नहीं आ पाएगा क्योंकि समय हो रहा है।

31.08.2018/1155/जेके/वाईके/3

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि एक तो प्रश्न लगता ही नहीं और लगे तो ऐसे समय पर लगा कि फिर ज़वाब नहीं मिलेगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी, आप सवाल पूछिए।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दोनों स्टेडियम को बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी क्योंकि दो-दो साल पैसे दिए हुए हो गए हैं?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि वर्ष 2016 में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति दी गई थी। जो नम्होल का स्टेडियम है उसके लिए मु0 01,41,94,791/- रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति है, जिसमें से मु0 30,00,000/- रूपए की वित्तीय व्यय स्वीकृति 06 फरवरी, 2016 को दी गई। दूसरा स्कूल घ्याल में है उसकी मु0 44,13,000/- रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति तथा मु0 16,84,000/-रूपये की वित्तीय व्यय स्वीकृति 07 फरवरी, 2017 को प्रदान की गई है। जो नम्होल का स्टेडियम है उसमें निविदाएं

12.01.2017 व 29.03.2017 को आमंत्रित की गई थी, जिसके अनुरूप 17.07.2018 से उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ है। लेकिन उसमें 30 लाख रूपए ही थे उसके बाद उसमें पैसा नहीं आया है। जो ध्याल वाला स्टेडियम है उसकी निविदाएं ही नहीं हुई, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने कह दिया कि यह पर्याप्त राशि नहीं है इसलिए उसकी निविदाएं हम नहीं करेंगे। हमने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को लिखा कि आप इसका पैसा दे दें क्योंकि हमारे पास तो बिल्डिंग और स्थान शिक्षा विभाग का है अन्यथा इसका सारा पैसा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग विभाग द्वारा दिया जाना है। उस पैसे के लिए हमने उनको पत्र

31.08.2018/1155/जेके/वाईके/4

लिखा है। वह पैसा हमको वे दे देंगे तो हम शीघ्रातिशीघ्र कोशिश करेंगे कि इसको बना कर तैयार किया जाए।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि पैसा दोनों स्टेडियमों के लिए दिया गया है। 16 लाख रूपए तो ध्याल वाले स्टेडियम के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने दिया है लेकिन ऐसा है जो पहले काम हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उतने की है । ये जो 16 लाख रूपए लगना है, पी0डब्ल्यू0डी0 वाले कह रहे हैं कि इसकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिली ही नहीं है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

31.08.2018/1200/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 774 क्रमागतः

श्री राम लाल ठाकुर क्रमागतः

मैंने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से खुद बात की है लेकिन उसके ऊपर अभी तक रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल नहीं मिली है। 16 लाख रुपये को दिए हुए दो साल हो गए हैं लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है। 30 लाख रुपये को भी दिए हुए दो साल हो गए, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा? यह मैं जानना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सदस्य महोदय को उत्तर बताया है। यह ठीक है कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा इसके लिए पैसा दिया गया है। एक स्टेडियम के लिए जितना पैसा दिया था, उस पर उन्होंने काम प्रारम्भ कर दिया है। इसका काम अभी 17.7.2018 से ही प्रारम्भ हुआ है। घ्याल का जो स्कूल है उसके लिए अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि राजकीय उच्च पाठशाला, घ्याल में पैवेलियन व स्टेडियम के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि न होने के कारण निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई हैं। हमारे विभाग से इनको लिखा गया है कि पैसा भी दें और लोक निर्माण विभाग को भी हम कह रहे हैं कि जब आपके पास इसका 1/3 पैसा आ गया है तो इसका काम प्रारम्भ कर दें, इसकी निविदाएं मंगवाएं तथा बाकी पैसा हम युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से मांगेंगे। जब पैसा आ जायेगा तो हम इसका काम विधिवत् ढंग से प्रारम्भ कर देंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

31.08.2018/1200/SS-AG/2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगीः सर, नियम-323 के तहत मेरा प्वाइंट ऑर्डर है। सर, पिछले लगातार सात दिनों में मेरा एक भी तारांकित प्रश्न नहीं लगा है और सबसे पहले 16 तारीख को मैंने 21 प्रश्न आपके नोटिस ऑफिस में पहुंचाएं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न नहीं लग रहे।

अध्यक्षः नेगी साहब प्लीज़, मैं सारी जानकारी अभी आपके समक्ष रख दूंगा। आप बैठिये, प्लीज़। मैं डिटेल निकाल कर आपको दे दूंगा।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, आप मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुनिये। अगर मेरा प्वाइंट नहीं सुनना है तो मैं यहां बैठकर क्या करूंगा। मैंने सारी डिटेल निकाल ली है। आपको मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुनना पड़ेगा। --(व्यवधान)-- I am not yielding. --(व्यवधान)-- आप मुझे संरक्षण देने के बजाय मेरा अधिकार छीन रहे हैं। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी, आप प्लीज़ बैठिये। अच्छा, विपक्ष के माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी आप बोलिये।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, --(व्यवधान)-- संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठिये। आप नियम-323 पर मुझे इंटरवीन नहीं कर सकते। जब मैं नियम- 323 में मुद्दा उठा रहा हूं तो you cannot intervene (Parliamentary Affairs Minister). यह नियम आप पढ़ लो, यह नियम सदन ने बनाया हुआ है। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः नेगी साहब, आप सीधे अपनी बात मेरे से करिये।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, मैं आपसे बात कर ही रहा था, परन्तु ये बीच में आ गए।

अध्यक्षः परन्तु आप बिना नियम के बात मत करिये। फिर भी मैं आपको एलाऊ कर रहा हूं, आप बोलिये।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, फिर मैं नियम पढ़कर सुना देता हूं।

अध्यक्षः आप बहस मत करिये। सिर्फ काम की बात करिये।

श्री जगत सिंह नेगीः मैं नियम पढ़कर सुना देता हूं। सर, यह आपके ही निर्देश हैं।

31.08.2018/1200/SS-AG/3

अध्यक्षः आप अपनी बात बताईये।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप मुझे अपनी बात कहने तो दीजिए।

अध्यक्षः आप अपनी बात बोल नहीं रहे हैं।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, आप मेरे मुंह में वह शब्द डालना चाहते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं।

सर, ये हिमाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश हैं। यह निर्देश नम्बर-11 है। यह प्रश्न के बारे में है। इसमें "प्रश्न सूची में मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों को चक्रों में रखा जाना" के संदर्भ में लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि "मौखिक उत्तर के लिए किसी दिन की प्रश्न सूची में किसी सदस्य का नाम स्वीकृत प्रश्नों में दो या कम चक्रों में रखा जा सकेगा। इस प्रकार सभी सदस्यों, जिनका किसी दिन की सूची में प्रश्न है, प्रत्येक का एक प्रश्न पहले चक्र में रखा जाएगा तथा फिर दूसरे चक्र में रखा जाएगा,.. " इस प्रकार से आपके प्रश्न लगने थे। मैं यहां बैठे-बैठे सारा रिकॉर्ड देखता रहा तो इसमें यह लगा कि सत्तापक्ष के जो लोग हैं पांच मेम्बर्ज़ को पांच टाइम फर्स्ट राऊंड में, वह भी प्रश्न के साथ फर्स्ट सैवन में मौका दिया। चार मैम्बर्ज़ को तीन बार लगातार फर्स्ट राऊंड में मौका दिया। चार मैम्बर्ज़ को दो बार फर्स्ट राऊंड के सातवें नम्बर पर मौका दिया ताकि सारे प्रश्न सत्तापक्ष के ही लगें। अब जहां तक हमारे प्रश्न हैं --(व्यवधान)-- यह कौन-सी प्रथा है। ये (संसदीय कार्य मंत्री) कैसे बीच में आ जाते हैं। Sir, this is not the way. He is breaking the rules of the House.

जारी श्रीमती के0एस0

31.08.2018/ 1205/केएस/एजी/1

अध्यक्षः मुकेश जी, आप बैठिए। नेगी जी बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... नेगी जी आप बोलो। ...(व्यवधान)... मुकेश जी, आप कृपया बैठे-बैठे बात न करें। नेगी जी, आप बोलिए, मुझे बताइए। समय का ध्यान रखें, अपनी बात करें।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों के सबसे ज्यादा प्रश्न सबसे आगे लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनके भी काम नहीं हो रहे हैं।

अध्यक्षः आपने अपनी बात कह दी है अब बैठ जाइए।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू ही की है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आप इसमें फैसला दीजिए।

अध्यक्षः नेगी जी, मैं फैसला दे रहा हूं। आप बैठिए।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा प्रश्न तो गए ही गए । यह रिकॉर्ड है कि पहली बार मुझे एक भी प्रश्न करने का मौका नहीं मिला जबकि मैंने 21 प्रश्न डाले थे। जहां तक अन्य नियम 61, 63 और 130 हैं, आपने मुझे एक में, नियम-61 में बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं बाकी मैंने नियम के तहत समय पर नियम-63 के तहत 24 तारीख को पूरी टिप्पणी के साथ आपके पास नोटिस भेजा । मैं देखता रहा। 25-26 को छुट्टी थी मैंने सोचा कि मेरा नम्बर 27 तारीख को आएगा, 28, 29, या 30 तारीख को आएगा।

अध्यक्षः हो गया, क्या अब मैं उत्तर दूं?

श्री जगत सिंह नेगीः नहीं, सर। डैमोक्रेसी में अगर आप अपोजीशन को बोलने नहीं देंगें, ऐसे नहीं चलेगा।

अध्यक्षः आपने बोल दिया, अब मुझे उत्तर तो देने दो।

31.08.2018/ 1205/केएस/एजी/2

श्री जगत सिंह नेगीः मेरा जनजातीय क्षेत्र से सम्बन्धित बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। नोतोड़ के 15 हजार केसिज़ का था । आपने वह मुद्दा रखने ही नहीं दिया। अगर आप मुझे वह मुद्दा नहीं रखने देते, आप जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ भदभाव करना चाहते हैं,

अध्यक्षः नेगी जी, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, अगर आप पक्षपात करना चाहते हैं तो मैं उसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं देते, मैं बाहर जा रहा हूं।

अध्यक्षः अगर आपने जाना है तो आप मेरा उत्तर सुन कर जाइएगा।

श्री जगत सिंह नेगीः सुनाइए, परन्तु जब आप मुझे बोलने ही नहीं देंगें तो क्या सुनाएंगें? आप मुझे बोलने तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं।

अध्यक्षः आप बैठिए, मैं उत्तर सुनाता हूं।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष जी, तो फिर आप मुझे भी तो सुनिए।

अध्यक्षः नेगी जी, और कितना सुनेंगें?

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष जी, आपको सुनना पड़ेगा । मैं तो रूल के हिसाब से बैठ रहा हूं। अगर आप जनजातीय लोगों से पक्षपात करना चाहते हैं तो मैं बाहर चला जाता हूं।

अध्यक्षः मैं माननीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । माननीय जगत सिंह नेगी जी ने एक सवाल खड़ा किया इसलिए मुझे उसका उत्तर देना पड़ गया। पहला तो यह कि ये राउन्डज़ की बात कर रहे हैं। शायद नये माननीय सदस्यों को राउन्ड के बारे में समझ नहीं आया। राउन्ड का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के दो से ज्यादा प्रश्न एक दिन में नहीं लग सकते और एक भी सदस्य इस सदन का ऐसा नहीं है

31.08.2018/ 1205/केएस/एजी/3

जिसने प्रश्न दिए और उसका प्रश्न उत्तर में नहीं लगा है, वह चाहे स्टार्ड है या अनस्टार्ड है। दूसरे, वह चर्चा में अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आज के प्रश्न आप निकालें तो 3 पोस्टपोंड क्वैश्चन्ज़ हैं जिनमें 40 मिनट लगे। तीनों के तीनों प्रश्न प्रतिपक्ष से थे। उसके बाद

भी अगर संतुष्टि नहीं है, ...(व्यवधान)... आप पूरी बात सुनते रहिए। ....(व्यवधान)... सुनिए ना, अपोजिशन के ही है ...(व्यवधान)... आप फिर बैठे-बैठे बोले जा रहे हैं।...(व्यवधान)... हर्षवर्धन जी आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप मेरी पूरी बात भी सुनेंगें? मैं पिछले 6 साल के मॉनसून सत्रों का हिसाब निकाल रहा था। आपको यह जानकर आनन्द होगा कि नियम-61 के अन्तर्गत वर्ष 2013 के मॉनसून सत्र में दो मुद्दे लगे। वर्ष 2014 में एक भी नहीं लगा। वर्ष 2015 में एक नहीं लगा, वर्ष 2016 में एक नहीं लगा और 2017 में भी एक नहीं लगा और इस साल नियम-61 के अन्तर्गत 5 मुद्दे मॉनसून सत्र में चर्चा में आए हैं

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

31-8-2018/1210/av/dc/1

अध्यक्ष---------- जारी

जिसमें से 3 मुद्दे आज लगे हैं और तीनों ही प्रतिपक्ष के हैं। वर्ष 2013 से लेकर आज तक जो नियम 62 के अंतर्गत मुद्दे लगे मैं उसके बारे में बताता हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2013 में 2 मुद्दे, वर्ष 2014 में एक भी नहीं लगा, वर्ष 2015 में दो लगे, वर्ष 2016 में 4 लगे, वर्ष 2017 में शून्य लगा और वर्ष 2018 में 6 मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। मैं इस सदन में बीस साल से हूं और बताना चाहता हूं कि नियम 63 के अंतर्गत केवल एक बार मुद्दा लगा है जबकि इस बार नियम 63 के अंतर्गत 2 मुद्दे लगे हैं। (---व्यवधान---) please, I am on leg. नियम 101 के अंतर्गत कभी भी दो से ज्यादा मुद्दे नहीं लगे। लेकिन इस बार दो पर चर्चा हुई और तीसरा इन्ट्रोड्यूस हुआ; नहीं तो एक पर चर्चा होती है तथा दूसरा इन्ट्रोड्यूस होता है। वर्ष 2013 में नियम 324 के अंतर्गत एक भी मुद्दा नहीं लगा। वर्ष 2014 में शून्य, वर्ष 2015 में 3, वर्ष 2016 में शून्य, वर्ष 2017 में शून्य और वर्ष 2018 में 24 मुद्दे लगे। (---व्यवधान---) मैंने आपको प्रश्न के बारे में बता दिया है। मैं केवल (---व्यवधान---) प्लीज, अभी मत बोलिए। ऐसा है, इससे पहले चार या पांच सीटिंग्स हुआ करती थी लेकिन इस बार सात सीटिंग्स

हुई और उसमें भी शाम तक कन्टिनुअस काम हुआ। (---व्यवधान---) मुकेश जी, एक मिनट। मैं माननीय सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के ध्यान में एक और विषय लाना चाहता हूं कि नियम 62 के अंतर्गत एक दिन में केवल दो मुद्दे लगाने का प्रावधान है। लेकिन मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज नियम को सरपास करते हुए तीन लगाये हैं और यह पहली बार हुआ है। आप लोग जिस किताब का हवाला दे रहे हैं उसके अनुसार दो से ज्यादा नहीं लग सकते। मैं केवल इतनी बात कह कर आगे की कार्रवाई शुरू करवा रहा हूं और माननीय सदस्यों ने जो-जो विषय उठाने हैं आप कृपया उसका ध्यान करें। अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

(---व्यवधान---)

(श्री जगत सिंह नेगी, माननीय सदस्य सदन से बहिष्कार गए गए)

31-8-2018/1210/av/dc/2

अध्यक्ष : मुकेश जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यह इस सत्र का अंतिम दिन है और चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में हम यहां से रुखसत हों।

अध्यक्ष : वह तो आप लोगों की मर्जी है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर मर्जी है तो ठीक है। यदि स्पीकर ही इस तरह से सोचते हैं तो अलग बात है, मगर ऐसा नहीं होगा। अगर आप एकतरफा बात करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। हमने आपकी पूरी बात सुनी।

श्री टी सी द्वारा जारी

31.08.2018/1215/TCV/DC-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री.....जारी

अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी पूरी बात सुनी है। हमारा यह कहना है कि एक तो ई-विधान के माध्यम से प्रश्न लगते हैं और कुछ प्रश्न मैन्युअल भेज दिए जाते हैं। इन प्रश्नों को जब मिक्स-अप किया जा रहा है तो इनका मिक्स-अप प्रोपर नहीं हो रहा है। इसलिए रोटेशन में प्रश्न आयें और दोनों पार्टियों को बराबर का स्थान मिलें। उनके 7-7 प्रश्न और हमारे 2-2 प्रश्न लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम आपके ध्यान में कोई ग्रेवेंस ला रहे है तो आप अपने सचिवालय को निर्देश दें कि वह सुनिश्चित करें कि इसको अगले सत्र के लिए ठीक किया जाये। लेकिन यदि आप ऐसा कहें कि सब कुछ ठीक हैं, ऐसा नहीं है। आपने बड़ी कोशिश की है, आपने इश्यूज़ लगाये हैं लेकिन ऐसे भी बहुत से इश्यूज़ हैं, सीमेंट कारखाने का हमने प्रश्न लगाया, वह लॉस्ट में लग गया, हमने बी0पी0एल0 का प्रश्न लगाया, वह भी लॉस्ट में लग गया। ---(व्यवधान)---आप अब क्या जवाब देंगे।---(व्यवधान)--- यहां कुश्ती की प्रतियोगिता हुई, वह चर्चा में ही नहीं आई। ---(व्यवधान)--

अध्यक्षः कृपया आपस में न बोलें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः चलो कोई बात नहीं। आपने दुहाई दे दी कि छोटा-सा सत्र है, 6-7 दिन का सत्र है, बात खत्म हुई। लेकिन हमारे सदस्य ने बहुत रेलेंवेंट बात उठाई है। इनका एक भी सवाल नहीं लगा। आप उसको जस्टिफाई कर दें। अध्यक्ष महोदय, ये तो बड़ी गलत बात है। आप अपने सचिवालय को निर्देश दें---(व्यवधान)---

31.08.2018/1215/TCV/DC-2

<u>कागज़ात सभापटल पर</u>

अध्यक्षः नेता विपक्ष ने बोल दिया है। ---(व्यवधान)---अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्ताव़ेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;
ii. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017);
iii. हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 1(3) के साथ पठित धारा 29(1) के अन्तर्गत श्री सदाशिव महादेव मन्दिर, ध्यूंसर, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्या: एल0सी0डी0-एच0(2)1/2018 दिनांक 02.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2018 को प्रकाशित; और
iv. हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 1(3) के साथ पठित धारा 29(1) के अन्तर्गत श्री कालीनाथ कालेश्वर मन्दिर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्या: एल0सी0डी0-एच0(2)2/2018 दिनांक 02.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2018 को प्रकाशित ।

31.08.2018/1215/TCV/DC-3

अध्यक्षः अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब कृषि मन्त्री कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

31.08.2018/1215/TCV/DC-4

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर भी रखती हूंः

i. समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 129वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 143वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों
पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित है; और

iii. समिति के 82वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 180वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित है ।

31.08.2018/1215/TCV/DC-5

अध्यक्षः अब श्री विनोद कुमार, सदस्य, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपःस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री विनोद कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समिति का पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के सप्तम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष श्रीमती एन0एस0 ... द्वारा शुरू ।

31-08-2018/1220/NS/HK/1

अध्यक्षः मुझे अभी-अभी सूचना प्राप्त हुई है कि माननीय मुख्य मंत्री जी एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण आवश्यक है और इसके लिए हमें केंद्र सरकार से बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। आज तक के इतिहास में नेशनल हाईवेज़ और फोरलेन के लिए इतनी बड़ी तादाद में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिलना तथा डी0पी0आर0 आउटसोर्सिंग पर बनाने का जो प्रोसैस शुरू हुआ है, इसके लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 3-4 सालों में जब इन सड़कों का काम शुरू हो जाएगा, तब हिमाचल प्रदेश में वाया रोड कनैक्टिविटी का जो ईश्यू है, उसमें हम बहुत आगे निकल जायेंगे। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आने-जाने की सुविधा भी होगी और खास तौर पर हमें पर्यटन को बढ़ावा देने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संदर्भ में एक छोटी-सी स्टेटमैंट पड़ने जा रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को 69 नेशनल हाईवेज़ सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें एक और एडिशन हुई है। अब ये नम्बर 69 से बढ़ करके 70 हो गया है। हिमाचल प्रदेश को 70 नेशनल हाईवेज़ की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय, कुल्लू जिला के अन्तर्गत आनी विधान सभा क्षेत्र एक दुर्गम इलाका है और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क शमशर, दलाश, निथर, नौर, वज़ीरबावड़ी, ब्रौ, काजू खड्ड और झाखड़ी सड़क की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसकी लम्बाई 148 किलोमीटर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन राजमार्ग, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 13.08.2018 द्वारा श्री किशोरी लाल सागर, सदस्य विधान सभा, आनी को सूचित किया गया है कि इस मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिला कुल्लू के शमशर नामक स्थान से

जोकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर-305 से अलग हो कर झाखड़ी के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर-5 से जुड़ेगा। यह सैद्धांतिक राष्ट्रीय उच्च मार्ग आनी विधान सभा क्षेत्र के दुर्गम व पिछड़े इलाकों में बागवानी व पर्यटन विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर-5 का सैंज और झाखड़ी के मध्य वैकल्पिक मार्ग भी होगा। मुझे लगता है कि उस क्षेत्र से जो एक वैकल्पिक मार्ग की मांग

31-08-2018/1220/NS/HK/2

आती रही है, यह उसको भी पूरा कर रहा है। इस कार्य की डी0पी0आर0 बनाने के लिए कंसलटैंसी सर्विसिज़ के लिए लगभग 7.5 करोड़ का अनुमान है, जिसकी भारत सरकार से टैंडर बेस्ड एस्टिमेट की स्वीकृति मिलने के बाद डी0पी0आर0 बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से इस माननीय सदन में यह जानकारी देनी थी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---- आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

31.08.2018/1225/RKS/HK-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब सिंचाई एव जन स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश की पुरानी ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संवर्द्धन योजना बारे अपना वक्तव्य देंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को देना चाहता हूं। प्रदेश में इस समय 9,516 ग्रामीण पेयजल योजनाएं कार्यरत हैं, जिनसे 53,604 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन परियोजनाओं का समय-समय पर विभिन्न कारणों से स्त्रोतों में जल की उपलब्धता में कमी, जनसंख्या में बढोतरी, योजना की डिजाइन एवं आयु पूर्ण होना इत्यादि सम्बर्धन करना पड़ता है। मैंने जब सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का रिव्यू लिया तो पाया कि विभाग की बहुत-सी ऐसी पेयजल योजनाएं हैं, जिनका उपरोक्त विभिन्न कारणों से सम्बर्धन होना अति आवश्यक है। परंतु भारत सरकार

व राज्य सरकार से उपलब्ध बजट इस कार्य को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं है। जिसके कारण योजनाओं के सम्बर्धन का कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अतः मैंने विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश की ऐसी सारी योजनाएं जोकि पुरानी योजनाएं हैं और जनसंख्या बढ़ोतरी एवं पम्पिंग मशीनरी, राइजिंग मेन, भंडारण टैंक वितरण प्रणाली इत्यादि के पुराने होने के कारण समुचित पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है; को चिन्हित करके बाह्या वित्तपोषण हेतु एक परियोजना बनाकर भारत सरकार को भेजी जाए। अतः विभाग ने दिनांक 01.01.2000 से पहले निर्मित 1421 ऐसी परियोजनाओं का चयन किया जिनका डिजाइन, कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और लाभान्वित बस्तियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इन योजनाओं का विवरण जोनवार निम्न प्रकार से हैः-

जोन	योजनाएं
धर्मशाला	160
मंडी	254
शिमला	795
हमीरपुर	212
कुल	1,421

31.08.2018/1225/RKS/HK-2

इन योजनाओं के सम्बर्धन व पुनर्निर्माण के लिए 798.19 करोड़ रुपये की परियोजना बनाकर भारत सरकार को दिनांक 11.05.2018 को बाह्या वित्त पोषण हेतु भेजी गई। पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा इस परियोजना की संस्तुति के उपरांत Department of Economic Affairs & Ministry of Finance, Government of India ने इस परियोजना को 84वीं स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जोकि दिनांक 14.06.2018 को हुई, में स्वीकृत करके आवश्यक वित्त पोषण हेतु Asian Development Bank को भेज दिया है। प्रदेश की पेयजल योजनाओं के सम्बर्धन हेतु पहली बार इतनी बड़ी राशि की परियोजनाएं बाह्या वित्त पोषण के लिए स्वीकृत हुई है। मैं इस परियोजना को स्वीकृत करवाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पेयजल आपूर्ति एवं

स्वच्छता मंत्री, सुश्री उमा भारती और प्रदेश के सम्माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय ठाकुर जय राम जी के व्यक्तिगत प्रयासों के लिए अपनी एवं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। उक्त परियोजना के लिए 80% राशि Asian Development Bank और 20% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना की कुल लागत 798.19 करोड़ रुपये है। इसमें ADB (Asian Development Bank) का हिस्सा 638.55 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार का हिस्सा 159.54 करोड़ रुपये है। ADB (Asian Development Bank) के सहयोग से इस परियोजना की डी.पी.आर. तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर इसे कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर प्रदेश की 6831 बस्तियों की 16,33,865 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

अध्यक्ष जी, सरकार बनते ही मुझे और मेरे विभाग को यह सारी प्रेरणा आदरणीय मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन से मिली। माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर से माननीय प्रधान मंत्री व केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलने के उपरांत प्रदेश के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं लाई हैं। मैं नीति आयोग, Department of Economic Affairs & Ministry of Finance, Government of India के अधिकारियों और भारत सरकार में सभी मंत्रालयों के मंत्रिगण, विभागीय सचिवों व संयुक्त सचिवों का बहुत-बहुत आभारी हूं एवं धन्यवादी हूं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले कल सीवरेज के लिए एक प्रोजैक्ट बनाने के आदेश दिए हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा.....जारी

31.08.2018/1230/बी.एस/वाई.के./-1

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री जारी...

और एक फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को बनोने के भी आदेश दिए हैं। उनकी स्वीकृति हेतु भारत सरकार से पूर्ण पर्यास किए जाएंगे। प्रदेश माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास की ओर अग्ररसर है। इस बारे में आप सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों से

सहयोग की प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा जो बड़े-बड़े प्रोजेक्टस स्वीकृत हुए हैं जिनका ब्योरा में निम्न प्रकार से देना चाहता हूंः-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को बने हुए अभी 8 महीनें का कार्य काल पूरा हुआ है। इस 8 महीने के कार्य काल के बीच में माननीय मुख्य मंत्री जी के अथक पर्यासों से पर्यटन विभाग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1892 करोड़ रुपये का जनता को प्राप्त हुआ है। मैं इस कार्य के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही इनका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दूसरा प्रोजेक्ट वर्षा जल संग्रहण एवं सिंचाई द्वारा किसानों की आमदन को दोगुना करने का है । जिसमें लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी के अथक पर्यासों से 4,751.24 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लाखों-लाखों किसानों के लिए मिला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं, साथ ही अपने लोक प्रिय नेता आदरणीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बागवानी सब ट्रोपिकल एरिया के लिए जितनी भी योजनाएं आती चली गई, वे योजनाएं केवल मात्र 5000 फिट की हाइट से ऊपर वाले क्षेत्र के लिए आती रहीं । ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऐसी योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार से लाई है जिसमें नीचला हमारा क्षेत्र है, जो 5000 फिट हाइट से कम वाला क्षेत्र है वहां के लिए 1688 करोड़ रुपये की योजना लाई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं साथ ही आरणीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त एक और परियोजना आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के अथक पर्यासों से इस प्रदेश के ऐसे हजारों-हजार बेरोजगार नौजवानों को डायरेक्ट-इनडायरेक्ट रोजगार दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश में मशरूप का प्रोजेक्ट 423 करोड़ का लगने वाला है जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद

31.08.2018/1230/बी.एस/वाई.के./-2

करना चाहता हूं और माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रदेश के लिए लाया है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, पुरानी पेयजल

परियोजनाओं को ले करके जो आज 798.19 करोड रुपये प्रोजेक्ट आया है, इसके लिए भी बधाई के पात्र माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। हम धन्यवाद देश की प्रधान मंत्री जी का करना चाहते हैं। मैं हमारे सामने बैठे विपक्ष के भाई और बहनों को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने 8 महीने में जो प्रोजेक्ट लाए हैं वह 9552.43 करोड़ के प्रोजेक्ट लाए हुए हैं। एक महीने की एवरेज अगर देखें तो एक महीने की एवरेज में हमारे मुख्य मंत्री ने 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट लाए हुए हैं। मैं जहां माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं वहीं इनको बधाई भी देना चाहिता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में मुझे 30 वर्ष का समय हो गया है। मैंने माननीय यशवन्त सिंह परमार जी ने नेतृत्व में काम नहीं किया है। आदरणीय ठाकुर राम लाल जी को मुख्य मंत्री के रूप में देखा है, मैंने आदरणीय वीरभद्र सिंह जी को मुख्य मंत्री के रूप में देखा है , मैंने आदरणीय शांता कुमार जी को मुख्य मंत्री के रूप में देखा है और मैंने आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी को भी मुख्य मंत्री के रूप में देखा है। इससे पहले कोई सरकार रही हो कोई मुख्य मंत्री इस प्रदेश का रहा हो, अगर 8 महीनों में 9552.43 करोड़ की परियोजनाएं ले करके कोई आए हैं तो केवल और केवल मात्र माननीय मुख्य मंत्री आरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ले करके आए हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : जिन प्रोजेक्टस के बारे में आप बात कर रहे हैं यह आपने पहले भी बता दिए हैं। आप यह बताइए कि क्या सरकारी खजाने में एक कौटी भी आई है या नहीं?

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री : आप मेरे परम प्रिय भाई के रूप में है, मित्र के रूप में हैं। इनकी मजबूरी है, यदि ये खड़े हो करके वहां से कुछ नहीं बोलेंगे तो वे अपना विरोध कैसे जता पाएंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। यदि ये परियोजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने लाई हैं, यह मात्र सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के लिए नहीं लाई गई हैं। ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए 68 के 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के लिए इनका

31.08.2018/1230/बी.एस/वाई.के./-3

काम किया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं और आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी काफी हो गया कृपया समाप्त कीजिए।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री : आप इंतजार करें। एक-दो महीने के अन्दर-अन्दर हमारी और बड़ी- बड़ी परियोजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी लाने वाले हैं। मित्रों एक नया इतिहास माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में रचा जाएगा। धन्यवाद।

श्री डी.टी. द्वारा जारी ....

31.08.2018.1235/DT/YK-1

नियम- 62 के अन्तगर्त अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब श्री नरेन्द्र बरागटा जी नियम- 62 के अन्तगर्त अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे एवं माननीय सिंचाई एवं जन स्वस्थय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगें।

श्री नरेन्द्र बरागटा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमती से दिनांक 13 अगस्त 2018 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक 'गुम्मा में प्रोसैसिंग प्लांट न लगने की जांच शुरू, कहां खर्चें 17 करोड़ पता लगाएगी विजिलैंस' से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई एवं जन स्वस्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने इस नियम के अन्तगर्त मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, यह प्रदेश बागवानों और किसानों का प्रदेश है। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ की मुझे इस

माननीय सदन में एक महान व्यक्ति को सल्यूट करने का अवसर मिला है, जिसने हिमाचल प्रदेश को बनाने में बहुत बड़ा योगदन दिया। डॉ. वाई. एस. परमार जो उस समय वागबान थे, किसान थे और किसान- बागवान की दर्द को समझते थे। उन्होंने कुछ योजनाओं को शुरू करना चाहा और लगातर इसके लिए वे लगातार संघर्ष करते रहे । मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है और मैं रिकोर्ड में भी यह बात लाना चाहता हूँ कि उनके बाद जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान बागवानी और किसानों के लिए दिया है। यह निरंतर प्रयास आगे बढ़ रहा है। जहां प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री वाई.एस.परमार ने आपना योगदान दिया वहीं आज के मुख्यमंत्री ने इन 8 महीनो में यह सब करके दिखाया है। मैं भी अपने आपको माननीय महेन्द्र सिंह जी के साथ सम्मिलित करता हूँ। मुख्यमंत्री जी आप हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाना चाहते हैं। न0 एक का प्रदेश बनाना चाहते हैं और उस तरफ जो आप प्रयास कर रहे हैं इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं भी बागवान हूँ, किसान हूँ यह मेरी कमजोरी है। इन्होंने 2 हज़ार करोड़ रूपये अभी हाल ही में इस मद के लिए दिल्ली से लाया है। उसके लिए मैं सारे बागवानों और किसानों की तरफ से इनको बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय बागवानी से जो यह 4 हज़ार करोड़ रूपये की अर्थिकी पैदा होती है यह आज कई संकटों से घिरी पड़ी है।

31.08.2018.1235/DT/YK-2

अध्यक्षः माननीय बरागटा जी, थोड़ा विषय पर बोलिए। मुझे नियम 62 व 61 के सभी विषय पूरे करने हैं।

श्री नरेन्द्र बरागटाः सर, मैं विषय पर आ रह हूँ। इसके कारण से जो हमको कदम उठना चाहिए थे उसके लिए हमने एक ऐसी रणनीति बनाने का प्रयास किया जो अंतराष्ट्रीय स्तर पर कारगर सिद्ध हो सकें। रूट स्टॉक जो फ्रांस और अमेरीका से लाया गया, आफैंसिव

मार्केटिंग करना, सी0ए0 स्टोर, पैकिंग ग्रेडिंग का विस्तार, एच0पी0एम0सी0 का विकेन्द्रीकरण करके ऑफिस को खोलना ...व्यवधान.... प्रोसैसिंग प्लांट्स को गुम्मा में लगाना .....व्यवधान.... अध्यक्ष जी, this is inter related with that.

अध्यक्षः माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी मैं आपकी बात ले रहा हूं। बरागटा जी स्पैसिफिक इश्यू पर आएं।

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष जी, जो प्रोसैसिंग प्लांट गुम्मा में लगना था उसके जो बहुत सारे फायदे होने थे। जो सी0और बी0 ग्रेड का सेब होता है या अन्य सब्जियां होती हैं उसके लिए ग्रोइंग ऐरिया में कोई ऐसा प्रोसैसींग प्लांट लग जाता है तो उसका लाभ बागवानों के साथ-साथ सरकार को भी होगा। क्योकि जो परवाणू में है वहां पहुंचते-पहुंचते माल सड़ जाता है और उसका लाभ इतना नहीं मिल पाता। यह मार्किट में न जाए और प्रोसैसिंग के माध्यम से इसका बाई प्रोडक्ट बन जाए और उसके कारण से वैल्यू अडिशन हो जाए, वहीं पर रोजगार मिल जाए और एक ऐसा सुन्दर प्रोसैंसिग प्लांट

श्री एन जी द्वारा जारी

31/8/2018/1240/ए0जी0/एन0जी0-1

श्री नरेन्द्र बरागटा जारी.....:

जो गुम्मा में लगना था, उसके बहुत सारे फायदे होने थे । मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोसैसिंग प्लांट क्यों जरूरी था । C और B ग्रेड के सेब और अन्य सब्जियां होती हैं और उसके लिए ग्रोईंग ऐरिया में यदि एक ऐसा प्रोसैसिंग प्लांट लग जाता है तो उसका लाभ न केवल बागवानो को बल्की उसका लाभ सरकार को भी होगा। परवाणु तक वो सब्जियां/सेब सड़ जाता है और उसका लाभ बागवानों को और किसान को नहीं मिल पाता । वो उत्पाद मार्किट में ना जाकर प्रोसैसिंग के माध्यम से उसका बाई प्रोडक्ट वहीं पर बन जाए, उसके कारण वैल्यू एडिशन हो जाए, वहीं पर रोज़गार मिल जाए । स्टेट ऑफ आर्ट का एक ऐसा

सुन्दर प्रोसैसिंग प्लांट जो गुम्मा में लगना था, जिसमें 17 करोड़ रूपये आवंटित भी किए गए थे । राजनीतिक द्वेश के कारण, उसका पैसा कहां गया, कैसे गया? उसका अखबार में पूरी तरह से वर्णन दिया गया है । इसका पैसा कहां चला गया इसके बारे में माननीय मन्त्री जी अवश्य बताऐंगे । इसलिए मैं इसकी पृष्ठ भूमि यहां पर बोलना चाहता था । ये प्रोसैसिंग प्लांट इसलिए जरूरी था क्योंकि अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उभरने के लिए हमे ऐसे प्रोसैसिंग प्लांट की बहुत आवश्यक्ता है । यह न केवल स्टेट ऑफ आर्ट हो बल्की इसके कारण हमारे बागवानों को भी लाभ हो और इसके बन्द होने से उस क्षेत्र के बागवानों को नुकसान हो रहा है । समय का अभाव, आपने और भी प्रस्ताव यहां पर लगाने है इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने प्रयास किया था और जो हमारी एच.पी.एम.सी. है, उसका ग्रोस प्रोफिट 81 करोड़ तक पहुंच गया था । जिस कारण पहली बार यहां पर सी.ए. स्टोर आए थे, यहां पर पहली बार प्रोसैसिंग प्लांट लगने वाला था । रिकांगपिओ, जो ट्राईबल क्षेत्र है वहां पर पैक हाउस लग गया। ऐप्पल हाउस, जोहर में लग गया, ऐप्पल पैक हाऊस गुम्मा में लग गया, ऐप्पल पैक हाऊस, पतलीकूहल में लग गया, ऐप्पल पैक हाऊस ओडी में लग गया, पहली बार कन्ट्रोल एटमोफेयर स्टोर, गुम्मा और टिककर-क्यारी में लगाए गए ताकि हमारा बागवान सक्षम हो सके।

31/8/2018/1240/ए0जी0/एन0जी0-2

लेकिन जैसा मैंने कहा राजनीतिक कारणों से पूर्व सरकार ने जो कदम उठाया है वह मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। यहां तक कि जो पराला की मण्डी थी वहां पर भी प्रोसैसिंग प्लांट लगने वाला था । पूर्व की बागवानी मन्त्री जिनका मैं बहुत आदर सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा और उनका पहला स्टेटमैन्ट था कि प्रोसैसिंग प्लांट तो छोडिए, हम तो पराला मण्डी ही बन्द कर रहे हैं । हमने पूछा की क्यों बन्द कर रहे हो ? तो उन्होनें कहा कि यह गर्म जगह है फिर हमने उनसे कहा की क्या दिल्ली इससे ठण्डी जगह है । जो हमारा ऐन्टी हेलगन था उसको वह डिस्मैन्टल कर रहे है । वह डिस्मैन्टल तो हुआ नहीं

लेकिन बागवानों ने और अधिक ऐन्टी हेलगन लगा दिए । जिस तरह से बागवानों के साथ खिलवाड़ किया गया है उसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो तुगलकी फरमान है उसके कारण हमारे पांच साल खराब हो गए है । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गुम्मा में जो प्लांट लगना चाहिए था उस प्लांट को दोबारा से वहां लगाऐं क्योंकि उससे पूरे प्रदेश को फायदा होने वाला है । उस क्षेत्र के सेब उत्पादक खासतौर पर सब्जी उत्पादक, दोनो को ही लाभ होगा । ये स्थान अप्पर क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है और प्रगती नगर में इसका शिलान्यास किया गया था । लेकिन इस काम को रोक दिया गया। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार बागवानी क्षेत्र में बहुत अच्छी योजनाऐं ला रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप बहुत मेहनती हैं और लगन से काम कर रहे हैं । 1134 करोड़ की योजना जो पिछली सरकार ने चलाई थी, वो खींचातानी करके किसी कारण से विवादों में आ गई ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

31/08/2018/1245/RG/AG/1

अध्यक्ष : बरागटा जी, कृपया आप गुम्मा के ऊपर ही ध्यान केन्द्रित करें।

श्री नरेन्द्र बरागटा : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं और उसीमें डिमाण्ड कर रहा हूं। मेरा आपसे एक निवेदन और है कि उस प्रोजैक्ट में से, क्योंकि उसमें पैसा उपलब्ध है, उस पैसे में से प्रोसेसिंग प्लांट जोकि लगभग 50 करोड़ रुपये का है और उसमें प्रावधान है, उसमें कम्पोनेंट भी है, तो उसमें से यह प्लांट वहां लगाया जाए ताकि सेब एवं सब्जी उत्पादकों को ठीक रेट मिल सके और उनको सपोर्ट मिल सके। 'बी' और 'सी' ग्रेड वहां प्रोसेसिंग प्लांट में चला जाए और 'ए' ग्रेड का माल मार्केट में जाए ताकि उनको उसका फायदा हो।अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 1134 का वायरस आया, हमने भी बहुत सारे आंदोलन किए और इसमें बहुत सारी

समस्याएं खड़ी हो गईं। मैं उसका ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन हां, इसमें मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि कृपा करके इसका रोड मैप बना दीजिए और यह प्रोसेसिंग प्लान्ट प्रदेश के कोन-कोने में लगाइए ताकि सी.ए. स्टोर भी प्रदेश के कोन-कोने में लगें। इसमें कम्पोनेंट है। माननीय श्री जय राम जी के नेतृत्व में क्योंकि जय राम जी स्वयं भी बागवान हैं और आप भी स्वयं बागवान हैं, इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आज आप सदन में इसकी घोषणा करेंगे ताकि एक खुशी की ख़बर हमारे बागवानों को मिल सके। क्योंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है इसलिए मुझे आशा है कि आप इसकी घोषणा करेंगे और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए फिर दुबारा से खड़ा हो जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

31/08/2018/1245/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। माननीय मंत्री जी, कृपया आप इसी पर बात करें क्योंकि आज बहुत सारे मुद्दे लगे हुए हैं।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज अन्तिम दिन है, ये हंस खेल कर बाहर जाएं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय वरिष्ठ सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नियम-62 के अन्तर्गत इस सदन में उठाया है और यह नियम विशेषकर उन्हीं मुद्दों के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्वलन्त हैं। तो माननीय विधायक द्वारा उठाए गये मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-

एच.पी.एम.सी. के निदेशक मण्डल द्वारा 28 सितम्बर 2012 को यह निर्णय लिया गया था कि एच.पी.एम.सी. की चेन्नई में जो जमीन है, उस जमीन को बेच कर जो राशि प्राप्त होगी उस राशि का उपयोग गुम्मा (कोटखाई) में फल विद्यायन संयंत्र स्थापित करने पर खर्च किया जाएगा। इससे पूर्व निगम के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 23.12.2010 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कर्मचारियों के संशोधित बकाया वेतनमान (Pay Arrears) की अदायगी तथा सेवानिवृत कर्मचारियों की देनदारियां नहीं दी जा सकतीं क्योंकि निगम की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है। इस निर्णय पर दिनांक 23-01-2013 की निदेशक मण्डल

की बैठक में भी सहमति जताई गई थी। लेकिन दिनांक 6-3-2013 की निगम के निदेशक मण्डल की बैठक में जो निर्णय दिनांक 23-12-2010 तथा 23-01-2013 को लिए गए थे, उन पर गहन विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि चेन्नई की जमीन के विक्रय करने से जो मूल्य 1703.00 लाख रू0 प्राप्त हुए हैं, उसका उपयोग सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृति लाभ, कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान, भविष्य निधि अंशदान, फल विद्यायन संयंत्रों, शीत भण्डार गृहों, ग्रैंडिंग व पैंकिग हाऊस के नवीनीकरण व उन्न्यन् तथा निर्माण पर व्यय किया जाएगा क्योंकि वर्ष 2012-13 में निगम की वित्तीय स्थिति कमजोर थी और निगम का कुल (Turn Over) भी 3630.00 लाख रह गया था और 500.00 लाख की जो

एम.एस. द्वारा जारी

31/08/2018/1250/MS/HK/1

श्री सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जारी-------

सी0सी0लिमिट की कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल थी वह भी मात्र मु042 लाख रुपये शेष रह गई थी। निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ, कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान, भविष्य निधि, अंशदान के वित्तीय लाभ आदि देने के लिए ही लगभग 13 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता थी। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी निगम को समय-समय पर आदेश पारित किए गए थे जैसे कि सी0डब्ल्यू0पी0 4541/2012 दिनांक 2 जनवरी, 2013 कान्हा सिंह डोगरा वर्सिज एच0पी0एम0सी0 एण्ड अदर्स तथा इससे पूर्व भी समय-समय पर अलग-अलग मामलों में इसी प्रकार के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे कि कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान तथा सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जाएं। इस विषय में निगम द्वारा न्यायालय में शपथ पत्र भी दायर किया गया था। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना(कन्टैम्पट ऑफ कोर्ट न होऋ इसलिए निगम द्वारा मु0 5 करोड़ 67लाख रुपया कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान, महंगाई भत्ते, कर्मचारियों की भविष्य निधि के अंशदान इत्यादि पर तथा मु02 करोड़ 70 लाख रुपये सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभों की देनदारियों पर व्यय किया गया तथा शेष मु08 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि का उपयोग निगम के फल विधायन संयंत्रों, शीत भण्डार-गृहों, ग्रेडिंग और पैकिंग हाउस के

नवीनीकरण व उन्नयन तथा निर्माण पर व्यय किए जाएंगे। इसका परिणाम यह रहा कि वर्ष 2012-13 में निगम का टर्नओवर मु03630 लाख रुपये था जोकि वर्ष 2013-14 में बढ़कर मु06 हजार 229 लाख रुपये का हो गया। इसमें एक वर्ष के अंदर 2599 लाख रुपये की बढ़ौत्तरी हुई जो लगभग दोगुणा हो गया। खर्च की गई राशि का विवरण अनुलग्नक "क" में इस प्रकार से हैः

31/08/2018/1250/MS/HK/2

अनुलग्नक -'क'

एच.पी.एम.सी द्वारा किये गये खर्च का विवरणः-

क्रम संख्या	**मद**	**राशि (लाखों में)**
1	सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृति लाभ पर व्ययः-	**270. 00**
	कुल योग	**270. 00**
2 (क)	कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान व मंहगाई भत्ता बकाया पर व्ययः-	372.00
(ख)	कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान पर व्ययः-	195.00
	कुल योग	**567.00**
3 (क)	फल विद्यायन संयंत्रों पर व्यय :- परवाणु एंव जरोल (सुन्दरनगर)।	185.16
(ख)	वातानुकूलित शीतगृहों (सी.ए.), पर व्यय जिला शिमला व कुल्लू :- रोहडू, ओडी व पतलीकुहल।	432.77
(ग)	शीतगृह परवाणु के नवीनीकरण पर व्यय	160.07
(घ)	ग्रैडिंग व पैकिंग हाऊस रिकोंगपिओ (किन्नौर) के निमार्ण पर व्यय	88.00
	कुल योग	866.00
	कुल योगः(1+2+3)	**1703.00**

मैं माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हूं कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सेब पैदा होता है। जो हमारा एम0आई0एस0 में सेब क्रय किया जाता है तो पैंकिंग/ग्रेडिंग के बाद जो सेब बागीचों में रह जाता है उसे फिर वहां से बोरियों में भरकर या तो आदमी उठाकर ले जाते हैं या फिर खच्चरें उठाकर सड़क के किनारे तक पहुंचाती हैं। जब वह सेब सड़क के किनारे पर पहुंच जाता है तो वहां कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता

31/08/2018/1250/MS/HK/3

है। मैंने स्वयं देखा है क्योंकि मैं भी बागवान हूं। कई दिनों तक वे सेब की बोरियां वहीं पड़ी रहती हैं। कई बार ट्रकों की दिक्कत आ जाती है और 15-15 दिन के बाद ट्रक मिलते हैं। फिर जब ट्रकों में उस सेब को लोड कर दिया जाता है और लोड करके उसको परवाणु के प्रोसैसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है फिर वहां भी उसकी अनलोडिंग के लिए 3-3 और 4-4 दिन लग जाते हैं। इस पूरे स्पैन में ऐसा सेब जो ट्रकों के अंदर बोरियों में होता है उसमें जो नीचे वाली बोरियां होती हैं वे खराब हो जाती हैं। इस तरह से खराब होते-होते अगर यहां से सेब 100 क्विंटल गया तो वहां पहुंचकर वह 70 क्विंटल ही रह जाता है। यह भी नुकसान है। फिर वहां भी जिस क्वालिटी का जूस निकलना चाहिए वह नहीं निकल पाता है। जो यह सिस्टम है कि पहले कहीं से उस फ्रूट को उठाएंगे, फिर प्रोसैसिंग युनिट में ले जाकर उसको प्रोसैस करके जूस निकलेंगे और बाकी जो किसी काम का नहीं होता है फिर उसको नाले में फैंक देते हैं तो इस तरह हमें बेकार का भाड़ा भी देना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी योजनाएं बदलनी पड़ेंगी और छोटे-छोटे प्रोसैसिंग युनिट अब हमें उन्हीं क्षेत्रों/पॉकेट्स में लगाने पड़ेंगे ताकि जहां जितना भी फल है उस फल को हम कहीं अन्यत्र प्रोसैसिंग युनिट में ले जाने के बजाए वहीं उन छोटे-छोटे प्रोसैसिंग युनिट में डालें और वहीं पर अगर उसका प्रोसैस होकर जूस निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश की जाएगी लेकिन मैं इस बारे में यही कह सकता हूं, विशेषकर माननीय सदस्य का तो यह आग्रह था कि,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

31.08.2018/1255/जेके/डीसी/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी-----

जिस परपज़ से चेन्नई की जमीन का पैसा रखा गया था कि गुम्मा, प्रगतिनगर में प्रोसैसिंग युनिट लगे, अब वह वहां नहीं लगा। अब इसमें मेरी गलती तो है नहीं। मेरे से पहले वालों ने गलती की है या उन्होंने कोई वफ़ादारी निभाई है, वह तो भाई अग्निहोत्री जी अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन इतना जरूर है कि इस पर विचार किया जाएगा। देखेंगें कि इस पर क्या हो सकेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

31.08.2018/1255/जेके/डीसी/2

अध्यक्षः बरागटा जी, क्या आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, मैं बागवानी मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि यहां पर मैंने जो पीड़ा व दुख बागवानों के ब।ताए, ये उससे सहमत हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं और यह एक बागवान का प्रदेश के सभी बागवानों की तरफ से आग्रह है कि यह क्षेत्र 4,000 करोड़ रु0 की आर्थिकी पैदा करता है और इसका जी0डी0पी0 में बहुत बड़ा योगदान है । मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें मुझे आपका हस्तक्षेप चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आप खुद बागवान हैं और बागवानों की तकलीफ़ को समझते हैं। आप जरूर इस सेब-बाहुल्य क्षेत्र को आशीर्वाद देंगें और इस क्षेत्र में गुम्मा में एक अच्छा प्रोसैसिंग प्लांट देने की कृपा करेंगें?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इसके ऊपर माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है । मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और इसकी पहचान पूरे देश में , दुनिया में है। हमारे इस क्षेत्र से बड़ी तादाद में सेब निकलता है जिसका ज़िक्र हमारे नरेन्द्र बरागटा जी कर रहे थे और मैं भी इस बात से सहमत हूं। इन्होंने एक विषय पर बार-बार कहा कि मेरा आग्रह है कि यह होना चाहिए तो अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो गुम्मा के

प्रगतिनगर में प्रोसैसिंग युनिट की इन्होंने बात की कि वह वहां लगना चाहिए, मैं इस बात के लिए विभाग को कहना चाहूंगा कि वे इसका सर्वे करें और इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट बना कर तैयार करें। मुझे लगता है कि यह बहुत आवश्यक है और बागवान तो हमारी आर्थिकी को बहुत सम्बल देते हैं, सहयोग देते हैं । जब मैं पीछे प्रवास पर गया था तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इस मांग को वहां पर उठाया था इसलिए प्रोजैक्ट रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से हम वहां पर इसकी स्वीकृति देंगें।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

31.08.2018/1405/SS-HK/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2:05 बजे अपराह्न अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिंदल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत श्री राकेश जम्वाल जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री राकेश कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-62 के अन्तर्गत दिनांक 28 अगस्त, 2018 को दिव्य हिमाचल में प्रकाशित शीर्षक "बिलासपुर में 17, मण्डी में डेंगू के 13 नए मामले", से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से जिला बिलासपुर और मंडी में डेंगू के अनेकों केसिज़ पॉजिटिव पाए गए। मेरे मंडी जिला के सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र के डैहर में पहला डेंगू का केस 6 अगस्त, 2018 को पॉजिटिव पाया गया। उसके पश्चात् धीरे-धीरे ये फैलता गया और अब तक सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र के डैहर इलाका में 131 मामले डेंगू के पॉजिटिव पाए गए। जब यह डेंगू फैलने लगा तो 20 तारीख को लगभग 8-9 केस हमारे क्षेत्र में पॉजिटिव आए तो मैं स्वयं डैहर गया। वहां पर स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी व अन्य विभागों के लोग भी उपस्थित थे। हमने वहां बैठकर मीटिंग में सारी चर्चा

भी की कि इस डेंगू को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने तुरन्त उसमें पांच लोग शामिल किये, जिसमें आशा वर्कर्ज़, वॉटर गार्ड और पंचायत का वार्ड मैम्बर शामिल था। इलाका डैहर के साथ लगती हमारी बरोटी और जामला पंचायत, इन तीनों ही पंचायतों में ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ रहे थे। ऐसी 11 टीमें बनाई गईं और इन लोगों ने घर-घर जा कर लोगों को जागृत किया। जहां पर घरों के बाहर पानी के टैंक पड़े हुए थे या कहीं पर ड्रम पड़े हुए थे, उनको खाली करवाने का भी काम किया। उसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि इन्होंने विभाग को आदेश दिए। सी0एच0सी0 डैहर में दो डॉक्टर पोस्टिड थे, वहां पर एक और डॉक्टर को डिप्यूट किया गया। यह जो डेंगू का टैस्ट होता था, यह जोनल हॉस्पिटल मंडी में होता था

जारी श्रीमती के0एस0

31.08.2018/ 1410/केएस/एचके/1

श्री राकेश कुमार जारी----

लेकिन हमारे लोगों को 50 किलोमीटर दूर मण्डी में टैस्ट के लिए न जाना पड़े, माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया और सुन्दरनगर के डैहर सी.एच.सी. में ही टैस्ट हो रहे थे जिसकी रिपोर्ट उनको अगले दिन मण्डी से मिल जाती थी। ये सारा काम हमारे उस क्षेत्र में हुआ लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरुक करने के लिए जहां जन-जागरण अभियान भी चलाया, वहीं लोगों को घर-घर जा कर ओडोमस क्रीम भी दी कि हमारे शरीर का जो भाग खुला रहता है, उसमें वह क्रीम लगाएं ताकि डेंगू मच्छर आपको काट न सके लेकिन उसके बावजूद पिछले कल भी जिला मण्डी में डेंगू के 22 सेम्पल पॉज़िटिव आए हैं जिनमें से 19 मामले मेरे इलाका डैहर के हैं। अभी तो बरोटी, डैहर और जामला, तीन पंचायतों में ही इसके केस सामने आए हैं लेकिन धीरे-धीरे यह सुन्दरनगर शहर की ओर भी बढ़ रहा है। सुन्दरनगर शहर का भी एक केस पॉज़िटिव आया है जिसका कनैक्शन डैहर से ही था। बैंक के एक कर्मचारी जो डैहर आते थे उनको डेंगू हुआ है। स्वास्थ्य विभाग जितना कर सकता था, इसमें किया। फॉगिंग भी की

गई लेकिन विभाग के पास वहां पर एक छोटी मशीन थी जिसके माध्यम से फॉगिंग की जा रही थी लेकिन एरिया बहुत ज्यादा था। स्वास्थ्य विभाग ने ऊना से एक मशीन मंगवाई जो छोटी है लेकिन 15 मशीनों के बराबर काम कर रही है परन्तु उसके बावजूद भी डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा है। यह बहुत चिन्ता का विषय है लोगों में शुरूआत में दहशत का माहौल था लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसके बारे में जानकारी दी कि यह बीमारी होती क्या है, कैसे होती है, कौन से मच्छर से होती है और वह कैसे उत्पन्न होता है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव में गई और लोगों को जागरूक किया। इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी यह कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो और प्रयास हो सकते हैं, किए जाएं ताकि यह बीमारी उस क्षेत्र से बढ़कर क्योंकि जहां बिलासपुर में इसके अनेकों केस ध्यान में आए हैं वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र डैहर में भी बहुत से केसिज ध्यान में आए हैं। यह डेंगू और ज्यादा न बढ़े, शहर की ओर न जाएं, अन्य क्षेत्रों में न फैले, इसको रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, ऐसा मेरा मान्यवर मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा। ज्यादा न बोलते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे नियम-62 के तहत बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

31.08.2018/ 1410/केएस/एचके/2

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने एक बहुत ही सामयिक विषय इस माननीय सदन में रखा है। इन्होंने उल्लेख किया कि पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर, जिला मण्डी विशेषकर डैहर और जिला सोलन के परवाणू में ब्लड सैम्पल लेने के बाद डेंगू के बहुत से केसिज़ ध्यान में आए। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताना चाहता हूं कि दिनांक 28.05.2018 को डेंगू का पहला मामला बिलासपुर में ध्यान में आया था। जब यह मामला ध्यान में आया और उसकी हमने छानबीन की तो पाया कि बिलासपुर के ड्यारा सैक्टर की एक लड़की कर्नाटक में पढ़ाई करती है। जब वह वहां से

छुट्टियों में बिलासपुर आई, उसको बुखार हुआ,सिर दर्द हुआ, छोटा मोटा उपचार किया होगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

31-8-2018/1415/av/yk/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ---------- **जारी**

छोटा-मोटा उपचार किया होगा। जोनल अस्पताल, बिलासपुर पहुंचने पर यह ध्यान में आया कि यह डेंगू से प्रभावित लड़की है। यानि इसका सोर्स 28.5.2018 को ध्यान में आया और उसके बाद शहर के ड्यारा सैक्टर के साथ लगते कुछ हिस्सों से भी डेंगू के कुछ मामले ध्यान में आने लगे। परंतु सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में तुरंत कारगर कदम उठाये। मैंने यह अध्ययन किया है कि डेंगू कभी जंगलों में होता था। ये परिस्थितियां क्यों बदल गई और जंगल में रहने वाला यह मच्छर शहर में क्यों आ गया तथा शहर में भी कमरे के अंदर बैठकर उसको आन्नद क्यों आने लगा? पहले हम इसके बारे में पढ़ते व सुनते थे कि यह अफ्रीका, युगांडा और मध्य पूर्व एशिया में होता था। यह डेंगू हिन्दुस्तान में लगभग 30 साल पहले आया तथा इसने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015 के दौरान दस्तक दी। यह बीमारी उपचार योग्य है लेकिन यदि इस बीमारी का उपचार समय पर न किया जाए तो यह जानलेवा हो सकती है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर हमारे शरीर में प्लेटलैट्स कम हो जाए तो उसको बढ़ाने के लिए यानि डेंगू की बीमारी के उपचार के लिए कोई इन्जैक्शन तैयार नहीं हुआ है क्योंकि डेंगू की तीन श्रेणियां डी 1, डी 2 और डी 3 हैं। इसलिए मान लिया जाए कि अगर डी 1 का इन्जैक्शन तैयार हो जाए तो वह डी 2 पर लागू नहीं होता। इस बारे में शोध हो रहा है और आने वाले दिनों में डेंगू डी 1, डी 2 और डी 3 के उपचार के लिए जो शोध हो रहा है उससे इस बीमारी का निराकरण अवश्य होगा। ठीक है, बुखार हो गया या सिर भारी है तो डॉक्टर पैरासिटामोल लिखते हैं। अगर शरीर में पानी की कमी हो गई तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाने के लिए बोलते हैं और यदि शरीर में खून की कमी होती है तो डॉक्टर खून चढ़ाने के लिए कहते हैं इसलिए इस बीमारी का कोई भी उपचार नहीं है। हमारे घरों में जो पानी के खुले बर्तन जैसे पानी की टैंकियां, नज़दीक में कोई कूड़ा-कबाड़, पुराने टायर या पोलीथीन फेंका है और घर के नज़दीक में एक या दो लीटर पानी इक्ट्ठा हो जाता है तो डेंगू मच्छर वहीं पर पैदा हो जाता है। इस मान्य सदन की

जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि डेंगू गंदे पानी या नालियों में पैदा नहीं होता। यह मच्छर ऐसी जगह पर पैदा होता है जहां पर साफ-सुथरा पानी हो। डेंगू का मच्छर घर के अंदर रहता है और दिन में कुछ नहीं करता। यह सूर्य अस्त होने के बाद अपने मार्ग पर चल पड़ता है। डेंगू मादा मच्छर होती है यानि यह डेंगू मच्छर अपने बच्चों जो कि उसके शरीर के अंदर होते हैं उनके पालन-पोषण के लिए 6 व्यक्तियों को डंक मारती है

श्री टी सी द्वारा जारी

31.08.2018/1420/TCV/YK-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री.....जारी

और डंक लगाने से लोगों के शरीर में वायरस चला जाता है जिसको हम डेंगू कहते हैं। इस डेंगू की प्रजनन शक्ति भी बहुत ज्यादा है यानि प्रजनन भी बड़ी तीव्र गति से होता है। ये डेंगू मच्छर जो अण्ड़े पानी में देते हैं, इनके अण्ड़े भी विषाणुयुक्त होते हैं। जब विषाणुयुक्त अण्ड़ा पैदा होगा, डेंगू के रूप में वह मच्छर बन जाएगा और वह किसी व्यक्ति को डंक मारेगा तो उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि यह विषय दवाईयों के ऊपर आधारित विषय नहीं है। यह विषय लोगों को जागृत करने का विषय है, हमारे घर में पानी की टैंकियां खुली रखी हुई होती है। बिलासपुर, मण्डी, डैहर में एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से डेंगू के कुछ मामले सामने आये हैं। कुछ मामले वहां पर आई0सी0एम0आर0 के माध्यम से ध्यान में आये हैं। वहां पर बहुत से स्थानों पर कूलर लगाये गये हैं, लोग उसका पानी दूसरे या तीसरे दिन बदलते हैं। डैहर में जैसे श्री राकेश जी ने कहा, उन स्थानों पर डेंगू मच्छर के सिम्टम पाये गये हैं। हमने एक टीम बनाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, स्थानीय पंचायत के लोग और प्रशासन भी साथ में था। यानि जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया कि आपने जो पानी की टैंकी रखी है, उस पर ढक्कन लगाये जाये। जो कूलर है, उसको साफ किया जाये। कहीं नजदीक में पानी रुकता है तो वह पानी न रुकें। हमारी गलियों और नालियों में पानी खड़ा न हों। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने निरन्तर कोशिश की है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने डेंगू को पूरी तरह से काबू कर लिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि डेंगू के उपचार के लिए और इसके लक्षण की

जानकारी के लिए यानि जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम स्वरूप डेंगू रुका है। ---(व्यवधान)--- अग्निहोत्री जी मैं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे-जैसे रितु बदलती है, मौसम बदलता है तो इस प्रकार मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया इत्यादि-इत्यादि बीमारियां भी लोगों पर अटैक करती है। मैं यह भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4946 सैंपल लिए गये थे। अगर मैं जिलावार ब्योरा दूं तो बिलासपुर में लगभग 1964 सैंपल लिए गये और उनमें से 783 केसिज़ पॉजिटिव पाये गये। चम्बा, हमीरपुर और कुल्लू से कोई भी केस डेंगू का नहीं आया है।

31.08.2018/1420/TCV/YK-2

मण्डी में 206 सैंपल लिए गये थे और उनमें भी इतने ही केसिज़ डेंगू के पाये गये हैं। ये आंकड़े मुझे आज की तारीख में मिले हैं। मण्डी और डैहर से लगभग 200 केसिज़ डेंगू के आये हैं। सोलन जिला में 2377 सैंपल लिए गये थे और इनमें से 680 केसिज़ डेंगू के पाये गये हैं।

श्रीमती एन0एस0 ... द्वारा जारी ।

31-08-2018/1425/NS/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ----जारी

सिरमौर में 3 टैस्ट हुए थे और तीनों पोजीटिव पाये गये हैं। ऊना में एक और आई0जी0एम0सी0 में 18 टैस्ट हुए थे जिसमें से 6 पोजीटिव पाये गये हैं। 4,946 में से 1558 केसिज़ डेंगू के प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, दो स्थानों पर केसिज़ का कारण डेंगू भी हो सकता है। चण्डीगढ़ में सिरमौर के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और अन्तिम समय में डेंगू के लक्षण सामने आये थे। परन्तु यह व्यक्ति जब जोनल अस्पताल, नाहन में एडमिट था, तब इनको कहा गया कि आप रूकिये आपको मधुमेह है और हृदय रोग संबंधी बीमारी है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम अपना इलाज़ नहीं करवाना चाहते हैं। जब इनकी बीमारी बहुत

बढ़ गई तो इनको पी0जी0आई0 ले गये और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से एक मामला मण्डी का भी सामने आया है। जिला मण्डी में जो व्यक्ति डेंगू की बीमारी से ग्रसित था और उसका देहावसान भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे दो मामले सामने आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा जो कदम उठाये गये हैं, मैं उनके बारे में भी यहां ज़िक्र करना चाहता हूं और माननीय सदन से अपील भी करना चाहता हूं कि डेंगू के उपचार के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई इंजैक्शन नहीं है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। जैसा यहां पर माननीय राकेश कुमार जी ने कहा है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमें स्वच्छता के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम कहीं पर जाते हैं तो इस विषय को जरूर जनता के सामने रखें। जिन बर्त्तनों में पानी रखा जाता है, उनको ढक कर रखा जाए। घरों के आसपास पानी खड़ा न होंने दें। अध्यक्ष महोदय, यदि डेंगू मच्छर पानी में अंडे देता है और पानी किसी कारणवश सूख जाता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी उन अंडो में जान रहती है और जब इस डेंगू के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं और उन अंडों को पानी मिलता है तो फिर उसमें से मच्छर बन जाता है। इसलिए सफाई की ओर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

डेंगू मरीजों के लिए अस्पतालों में जहां बल्ड टैस्ट आदि होते हैं, अधिकतर ज़ोनल अस्पतालों में इस व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कूड़ा-कर्कट इधर-उधर न फैंके, प्लास्टिक की बोतलें और अगर कहीं पर पुराने टायर पड़े हैं तो उनको खत्म कर दें ताकि उस जगह पर पानी इक्ट्ठा न

31-08-2018/1425/NS/AG/2

हो सके। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही बरसात खत्म होगी, यह डेंगू तुरंत खत्म नहीं होगा। सर्दी के दिनों में स्वतः मच्छर अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन यह डेंगू आगे न बढ़े और इसके कारण और लोग प्रभावित न हों, इसके लिए विभाग की पूरी कोशिश है और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में निरन्तर विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह मच्छर कभी जंगलों में होता था और मैंने पढ़ा है कि ये मच्छर बंदरों और जंगली जानवरों को प्रभावित करता था। आखिर ये मच्छर जंगलों को छोड़ करके शहर में क्यों आ गया है? इस मच्छर ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है लेकिन

शहरों में ज्यादा है। यह शायद इसलिए हुआ कि जो हमारे जंगल कटे हैं और हम जंगलों की ओर बढ़े हैं तो मच्छरों ने अपना घर छोड़ करके शहरों में अपना आशियाना ढूंढा है। यही सारी बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

31.08.2018/1430/RKS/AG-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री.... जारी

इस रोग का मुख्य कारण मच्छर है और हमें इसे स्वच्छता के माध्यम से खत्म करना होगा। डेंगू की ज्यादातर घटनाएं जिला बिलासपुर में हुई हैं और इसकी सबसे पहली घटना दयारा में हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर चिंता जाहिर की है और मैंने भी उन इलाकों का दौरा किया है जो डेंगू से प्रभावित थे। मैं दयारा गया और उन परिवारों से मिला जो डेंगू की बीमारी से प्रभावित थे। मैं उस परिवार से भी मिला जो बैंगलुरु में रहता है। जब उस परिवार की बेटी बिलासपुर आई थी तो वह यहां डेंगू की बीमारी की चपेट में आ गई थी। जब हमने दयारा, अस्पताल का निरीक्षण किया तो पाया कि वहां के मरीज इस बात से संतुष्ट थे कि हमारी बीमारी का उपचार हो रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार मैडिकल कॉलेज, शिमला और मैडिकल कॉलेज, नेरचौक से स्पैशलिस्ट बिलासपुर भेजे गए। डैहर के क्षेत्रीय अस्पताल के डाक्टर्ज भी निरंतर संपर्क में हैं। वहां पर मुफ्त टैस्ट हो रहे हैं और इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। डेंगू ऐसी बीमारी है जिसे जागरूकता के रूप में लेने की आवश्यकता है। यदि हम स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि इसकी रोकथाम हो सकती है। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज यहां पर भाई राकेश जी ने जो सामयिक विषय उठाया है और मुझे इस विषय में जितनी जानकारी थी, वह मैंने इस सदन के सामने रख दी है।

31.08.2018/1430/RKS/AG-2

श्री राकेश कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस डेंगू के प्रकोप के कारण मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव अलसू का एक मामला माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। श्री रविन्द्र कुमार जिसकी आयु 43 वर्ष थी, की मृत्यु डेंगू के कारण हुई। इसे पी.जी.आई. भी रैफर किया गया लेकिन इसका देहांत बिलासपुर अस्पताल में ही हो गया। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसके डेंगू का सैम्पल पोजिटिव पाया गया था। उन्हें और भी बीमारियां थीं। श्री रविन्द्र अपने घर का इकलौता व्यक्ति था जो अपने पूरे परिवार का पालन-पोषण करता था। अब उनके परिवार में उनकी माता, धर्मपत्नी और दो बच्चे हैं। श्री रविन्द्र दुकानदारी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। इनके ब्लड सैम्पल में डेंगू पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद अभी इनकी रिपोर्ट नहीं आई है और रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि श्री रविन्द्र की मृत्यु किस कारण हुई? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इनके परिवार के लिए कोई आर्थिक सहायता मिलेगी?

माननीय मंत्री श्री बी0एस0 द्वारा.....जारी

31.08.2018/1435/बी.एस/डी.सी./-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि मृतक इनके विधान सभा क्षेत्र से संबंध रखता है, सच में यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। माननीय सदस्य ने उनके परिवार की हालत के बरे में भी बताया कि वह बहुत गरीब परिवार है। उसके साथ-साथ मृतक की पोस्टमार्टम रिर्पोट के बारे में भी बताया कि वह अभी प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी पोस्टमार्टम रिर्पोट है उसे शीघ्रातिशीघ्र उनके परिवार को उपलब्ध करवा जाएगा। माननीय सदस्य ने उनके परिवार की आर्थिक सहायता के बारे में भी बात कही है। अध्यक्ष महोदय, विषय से हट करके बोल रहा हूं, क्योंकि जब विषय आता है तो उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे मामलों में जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे से संबंध रखते उन्हे राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना है, मुख्य मंत्री देख-भाल योजना है, Universal Health

Protection Programme द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उनका इलाज हैल्थ कार्ड से भी होता है। उसके बावजूद भी हम इस विषय को माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष रखेंगे और निवेदन करेंगे कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों की जिनकी आय का कोई भी साधन नहीं है उनकी सहायता हो सके, इस बात से मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मेरा इसमें केवल एक छोटा सा निवेदन रहेगा है कि हमारे दो मैडिकल कॉलेजिज में Blood Separator Units लगे हुए हैं और जो शेष नए मैडिकल कॉलेजिज हैं उनमें अगर आप Blood Separator Units लगा देगें तो डेंगू के समय पर platelets transfusion हैं वह उसको वहीं पर मिल सकेगा और मृत्यु की जो घटनाएं हैं, वह एकदम sharp decline हो सकेगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय ठीक है।

31.08.2018/1435/बी.एस/डी.सी./-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय वन मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

Shri Rakesh Singha: Speaker Sir, with your permission I propose to move under Rule 62 " I would like to call the attention of the Forest Minister to the situation arising out of exorbitant increase in the school bus fare in Shimla town. The Government may withdraw the steep hike".

माननीय अध्यक्ष महोदय, 09 अगस्त, 2018 को एच.आर.टी.सी. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी 144वीं बैठक की । इसमें इन्होंने जुलाई के अंत में बैठक हुई की

नोटिफिकेशन निकाली, जिसके तहत पब्लिक स्कूल के बच्चे जो अपने घर से स्कूल और स्कूल से वापिस घर तक का सफर करते हैं, उनके बस किराए में बहुत अधिक वृद्धि की है। यह वृद्धि 5-10 किलोमीटर तक सफर करने वाले बच्चों के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये तक, जो 10-20 किलोमीटर तक सफर करते हैं उनके लिए 900 रुपये से बढ़ा कर 950, 20-30 किलोमीटर तक सफर करते हैं उनके लिए 1000 रुपये से 1500 रुपये तक और 30-40 किलोमीटर तक सफर करने वाले बच्चों का 1200 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति महीना बढ़ाया है। देखने में यह मात्र 50 % की बढ़ौतरी है। लेकिन यदि इसकी गहराई में जाएं तो आपके पब्लिक स्कूल के अंदर पांच दिन का सप्ताह है, शनिवार और रविवार को निकाल दीजिए । आमतौर पर हर महीने में 8 दिन अवकाश के आते हैं। इसके अलावा यदि कोई राष्ट्रीय अवकाश हो या स्थानीय अवकाश हो और अन्य अवकाशों को मिलाकर यह और भी बढ़ सकती है। मैं on an average कह सकता हूं कि 17-18 दिनों के लिए इतनी बड़ी वृद्धि हुई है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी ....

31.08.2018/1440/DC-DT/1

श्री राकेश सिंघा.... जारी....

मैं कह सकता हूॅ on an average, 17-18 दिन के लिए इतनी बढ़ी वृद्धि की गई है। यह वृद्धि across the board नहीं हुई यानी यह पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं हुई। यह मालूम नहीं कि जो यह बोर्ड ऑफ डायरैक्टरज़, एच0आर0टी0सी0 के है इनको शिमला शहर के बच्चों से क्या प्यार है, जिस कारण यह वृद्धि की गई? यह मालूम नहीं की वह यह तोप माननीय परिवहन मन्त्री के खिलाफ चलाना चाहते हैं या वर्तमान सरकार के खिलाफ चलाना चाहते हैं? लेकिन मैं समझता हूं that this is unwarranted. It is not legally correct to do it और मैं समझता हूं कि किसी भी तरह इसको तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। माननीय परमार जी ने मेरी क्लास तो ले ली लेकिन इनकी क्लास कौन

लेगा? What is the heading? The heading is 'concessional passes'. ये कनशेसनल पास का प्रश्न है। जो सामान्य किराया है वह सामान्य किराया एक तिहाई है, इससे भी कम हो सकता है। हम heading देते हैं कि 'Concessional Pass'. अगर यह concessional pass है तो जो un-concession pass होगा उसका किराया कहां पहुंचेगा। हमें सोचना होगा कि इन स्कूलों में जो हम बच्चे भेजते हैं वह हम क्यों भेजते है क्योकि सरकारी स्कूल में टिचर उपलब्ध नहीं है। सरकारी स्कूल के अन्दर जो सुविधायें मिलनी चाहिए वह उस तरीके से हम दे नहीं पा रहे। आज जो lowest paying कर्मचारी भी है वह भी अपने बच्चे का दाख़िला एक पब्लिक स्कूल में करवाना चाहता है। यहां तक daily paid की भी यह कोशिश रहती है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए और खुदा न ख़ास्ता एक बच्चे की जगह कहीं तीन बच्चे हों और सफर तीस किलोमीटर रोज का सफर करना पड़ तो उसके लिए एक बहुत बड़ पिन्च उसके बटवे पर होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सरकार sensitive होनी चाहिए, अगर sensitive नहीं होगी तो आप जानते है कि लोग क्या करेंगे। Across the political lines, यह राजनीतिक पार्टी का प्रश्न नहीं है, it is the question of the people. लोग जानते हैं कि इस तरह की unreasonable चीज़ों को रिमूव किया जाना चाहिए। यह बेहतर है कि यह सदन इसका संज्ञान ले और जो हमारी सरकार है वह इस प्रश्न को लेकर सोच-विचार ही न करे लेकिन I feel it requires to be withdrawn and any sensitive government will withdraw it. सिर्फ शिमला शहर के बच्चों को ही खासतौर पर आप इस प्रकार का

31.08.2018/1440/DC-DT/2

टैक्स लगा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत सिग्नल देता है। यह ऐसा लगता है कि सरकार शिमला के लोगों का निशानदेही करना चाहते है हालांकि शहर क अन्दर केवल शिमला की जनता ही नहीं रहती यहां सारे प्रदेश की जनता रहती है। यह प्रदेश की राजधानी है। शिमला का एक metropolitan nature है। But it can be construed by the Government. इसलिए मैं माननीय वन एवं परिवहन मन्त्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वह सरकार के ज़रिये इसको विड्रा करे। मेरी जानकारी के मुताबिक लोग तैयारी कर रहे है इन्तजार कर रहें हैं कि अगर यह सरकार इसको विड्रा कर देती है तो वह इसका स्वागत

करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है अगले कल से ही आन्दोलन शुरू हो जायेंगे। इसलिए बॉल सरकार की कोर्ट में है। सरकार निर्णय ले की वह आन्दोलन चाहती है या बच्चों के साथ न्याय चाहती है। मैं समझता हूं की सरकार का मत भी न्याय के लिए होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

.श्री एन0जी0 द्वारा जारी

31/8/2018/1445/एच0के0/एन0जी0-1

अध्यक्षः माननीय वन एवं परिवहन मन्त्री जी, नियम-62 की चर्चा का उत्तर देंगे ।

वन **मन्त्रीः** अध्यक्ष महोदय, नियम 62 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने जो विषय यहां पर लाया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। इस विषय पर माननीय शिक्षा मन्त्री, श्री सुरेश भारद्वाज जी भी चर्चा कर रहे थे और माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र बरागटा जी ने भी इस विषय पर बात की है । अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र की विशेषता यही है कि सरकार कोई भी निर्णय करे लेकिन उस निर्णय में चर्चा के लिए हमेशा स्थान रहता है । यदि चर्चा के उपरान्त लगता है कि उसमें कोई वास्तविकता है तो उस निर्णय में परिवर्तन करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती । मेरा यह मानना है कि कभी-कभी हम लोकतन्त्र में वोट की राजनीति और लोकप्रियता, इन सब बातों के कारण ऐसा निर्णय करतें है जो लम्बे समय के लिए ठीक नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ जानकारी इस माननीय सदन में देना चाहता हूं । सन् 2013 से पहले कभी भी हिमाचल पथ परिवहन निगम अपनी बसों को खरीदने के लिए बैंको से लोन नहीं लेता था । 2013-14 से लेकर के 2018 तक, कुल 1275 बसे खरीदी गई और 255 करोड़ रूपये का लोन लिया गया । जिसमें से 80 करोड़ रूपये का लोन हिमाचल पथ परिवहन निगम को देना अभी बकाया है । इतना ही नहीं, हिमाचल पथ परिवहन निगम का 3000 गाड़ियों का बेड़ा, हमारे ड्राईवर-कण्डक्टर, पीस मील वर्करज़, मकैनिक दिन-रात परिश्रम करते है । इन सब

गलत नीतियों के कारण स्थिती यह है कि जो मेहनताना हमे उन्हें देना चाहिए, वह देने के लिए भी विभाग को कठनाई आ रही है । हम यही सोचते रहे कि जनता हमसे नाराज़ न हो । मैं जनता की नाराज़गी की बात नहीं कर रहा हू लेकिन हमें कुछ तथ्य तो सामने रखने पड़ेंगे । हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है । मैं एक बात इस माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी 2017 व 2018 में जो हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़ हैं, इन प्रदेशों में प्रति किलोमीटर किराया 1 रूपये 10 पैसे लगता है और हिमाचल प्रदेश में 90 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाता हैं ।

31/8/2018/1445/एच0के0/एन0जी0-2

आज वर्तमान में जो हमारे पहाड़ी प्रदेश और पड़ोसी प्रदेश है वह हिमाचल प्रदेश के प्रति किलोमीटर 1 रूपये 45 पैसे के मुकाबले, अपने सभी जरूरी खर्चे मिलाकर 1 रूपये 72 पैसे लेते हैं। इसी प्रकार डिलक्स और वोलवो में भी हम प्रति किलोमीटर 1 रूपये 10 पैसा लेते हैं और उत्तराखण्ड 1 रूपये 84 पैसे लेता है । जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें हम 1 रूपये 80 पैसे और उत्तराखण्ड 2 रूपये 92 पैसे लेता है । वोलवो के लिए हम 2 रूपये 20 पैसे और उत्तराखण्ड और हमारे पड़ोसी प्रदेश 3 रूपये 98 पैसे लेते है ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

31/08/2018/1450/RG/HK/1
वन मंत्री-----जारी

और जो हमारा पहाड़ी प्रदेश है, यहां पर वौल्वो का हम 3/-रुपये प्रति किलोमीटर लेते हैं, लेकिन साथ वाले हमारे प्रदेश 3.64 रुपये लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि इस माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी भली प्रकार यह सब पता होना चाहिए। हम सबको लगता है कि मेरी बस चले, मेरी बस अच्छी हो, उसमें अच्छी सुविधा

मिले, उनकी वर्कशौप अच्छी हो, बस अड्डा अच्छा हो, लेकिन उसके साथ-साथ हम कभी यह नहीं देखते कि जिस पथ परिवहन निगम की हम सदा निन्दा करते हैं, मैं देख रहा था कि यही हिमाचल पथ परिवहन निगम 27 कैटागिरी को फ्री पास मुहैया करवाता है यानि लोगों की सेवा करता है। यह काफी लंबी सूची है, समयाभाव के कारण मैं यहां इनको नहीं बता सकता। जो यहां किराया बढ़ोत्तरी की बात माननीय सदस्य ने कही है। तो वर्ष 2010 में उस समय हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर शिमला में चार्टर बसें प्राइवेट स्कूलों के लिए लगाई गईं, जबकि यहां के जितने सरकारी स्कूल हैं, उन सबके बच्चे हिमाचल पथ परिवहन निगम फ्री में लाती-ले जाती है। उस समय 1.10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट तय हुआ। लेकिन वर्ष 2010 के पश्चात, वर्ष 2013 में उस समय की सरकार ने मिनिमम किराया 1.45 रुपये प्रति किलोमीटर किया और पूरे प्रदेश में यह सभी आम नागरिकों पर यह लागू हुआ। लेकिन वर्ष 2013 में ही जो ये चार्टर बसें हमारे शिमला में लगती हैं, इनका किराया 1.10 रुपये से 1.45 रुपये नहीं हुआ, यानि उस समय उनकी बढ़ोत्तरी नहीं हुई। उसके पश्चात अब यदि आम जनता के लिए 30.63% की बढ़ोत्तरी की गई, तो यहां चार्टर बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा एक और बात है कि यह कहना कि केवल मात्र शिमला के स्कूलों के लिए यह तथ्य है, तो हिमाचल प्रदेश में बाकी सब जगह पर सरकारी स्कूलों को पथ परिहवन निगम सेवा देता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बाकी सब जगहों पर निजी विद्यालयों ने अधिकतर अपनी बसें रखी हैं, अधिकतर अपनी बसें किराये पर चलाते हैं और उनके लिए हिमाचल पथ परिहवन निगम की बसें यहां के अलावा नहीं चलाते। शिमला में 67 बसें ऐसी हैं जो हमारे कॉनवेंट और प्राइवेट स्कूलों के लिए सेवाएं देती हैं।

31/08/2018/1450/RG/HK/2

अध्यक्ष महोदय, उस समय का एक आकलन है कि वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2018 के मध्य जो हम अपने कर्मचारियों को वेतन, भत्ते देते थे, उस समय के वेतन और भत्तों में वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2018 तक 118% की बढ़ौत्तरी, इसके अलावा स्टोर, स्पेयर पाट्र्स, टायर-टियूब में तब से अब तक 85% की बढ़ौत्तरी और डीजल और बाकी ल्यूब्रिकैन्ट्स में

72.22% की बढ़ौत्तरी हुई है। अब यदि हम इस बात को देखें कि अभी भी जिस किराये को कहा जा रहा है कि 50, 70 या 80% बढ़ा दिया है, तो इनमें से कोई भी किराया 50% से अधिक नहीं है। अगर हम वर्ष 2013 का 1.45 रुपये किराया लगाते हैं, तो अभी हिमाचल पथ परिवहन निगम का खर्चा पांच किलोमीटर के आगे 1088/- रुपये 25 दिन का बनता है, लेकिन अभी जो हमने प्रस्तावित किया है वह 900/-रुपये है। यानि कि इसमें भी हिमाचल पथ परिहवन निगम अपना पैसा छोड़ रही है। अगले 10 किलोमीटर के बाद 1813/- रुपये बनता है और हमने 1350/-रुपये किराया किया है, उसमें भी हम कम ले रहे हैं और 15 किलोमीटर से आगे 2538/- और हम यहां 1500/-रुपये ले रहे हैं और

एम.एस. द्वारा जारी

31/08/2018/1455/MS/HK/1

वन **मंत्री जारी**---------

20 किलोमीटर के आगे 3263/-रुपये है लेकिन हम यहां पर 1800/-रुपये ले रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी 67 चार्टिड बसिज चल रही हैं उनका काम सुबह बस अड्डे से जाकर बच्चों को स्कूल छोड़ना और फिर वापिस बस अड्डे में शॉर्कशॉप पर जाना यानी इनके एक साथ लगभग चार चक्कर लगते हैं और इन्हें हम किसी अन्य ड्युटि में नहीं लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो वर्ष 2010 में डीज़ल की कीमत 38/-रुपये थी और वर्ष 2018 में 67/- रुपये है। मैं इसीलिए इन तथ्यों को यहां पर रखने का प्रयास कर रहा हूं। यह ठीक है कि हमें लोकतंत्र में कई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और कई बार हमें लगता है कि जनता हमसे नाराज़ भी होगी लेकिन कम-से-कम मुझे लगता है कि सरकारें सदा केवलमात्र वही निर्णय न लें जो जनता को अच्छे लगते हैं। कभी-कभी ऐसे निर्णय भी लेने पड़ेंगे जो लम्बे समय में जनता का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए इन सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वर्ष 2010 में जो डी0ए0 35 परसेंट था वह आज वर्ष 2018 में 137 परसेंट हो गया है। कुल-मिलाकर अगर सारी बढ़ौत्तरी देखें तो वर्ष 2010 से 2018 के मध्य में 91 परसेंट की बढ़ौत्तरी हुई है।

अध्यक्ष जी, पथ परिवहन निगम के लगभग 12000 कर्मचारियों द्वारा 60-70 हजार लोगों का पालन-पोषण किया जाता है। वैसे हम इस पर भी खुली चर्चा कर सकते हैं लेकिन कभी-न-कभी, कहीं-न-कहीं सुधार की गुंजाइश रखनी पड़ेगी। आज इन्हीं सब कारणों से 180 करोड़ रुपये का लोन एच0आर0टी0सी0 के ऊपर बकाया है, इसका कारण यह है कि यदि ये सब गलत राह पर नहीं चलते। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय जय राम ठाकुर जी हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री बने, 15 जनवरी से लेकर 31 जुलाई, 2018 तक पिछले साल की तुलना में हमारा रेवेन्यु 32 करोड़ रुपये अधिक है जबकि हमने किराया या अन्य चीजों में कोई बढ़ौत्तरी नहीं की। हमने उन्हीं खर्चों पर रेवेन्यु बढ़ाया यानी हमारा 32 करोड़ रुपया बढ़ा। उसके बाद जिन कर्मचारियों को कुछ देना था वह भी किया।

अध्यक्ष जी, हमारी हिमाचल से जो बसें दिल्ली जाती हैं और उनमें जो ड्राइवर/कन्डक्टर वहां जाते हैं आप दिल्ली में जाकर कभी उनका रेस्टिंग रूम

31/08/2018/1455/MS/HK/2

देखें। वहां हमारे ये 250-300 के लगभग ड्राइवर और कन्डक्टर बुरी हालत में रहते हैं। वहां की स्थिति यह है कि इतनी गर्मी में उन्हें टिन के शैड के नीचे रहना पड़ता है और वहां पर इतने लोगों के लिए केवल-मात्र 8-9 स्नानघर/शौचालय हैं। मैं वहां स्वयं देखकर आया हूं। अब हमने कहा है कि इसको ठीक करेंगे ताकि वहां उनको नहाने इत्यादि के लिए बाथरूम/शौचालय ठीक से बनें और गर्मी में वे टिन की छत के नीचे न रहें।

अध्यक्ष जी, शिमला प्रदेश की राजधानी है और कभी शिमला के बस अड्डों पर वर्कशॉप की हालत देखें कि किस दुर्दशा में हम अपने उन लोगों को वहां रख रहे हैं जिनसे हम दिन-रात काम ले रहे हैं। तो मैंने ये सब जानकारी यहां पर रखने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने 255/-करोड़ रुपये का लोन लिया, उस समय 1275 बसें, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसें अलग हैं, ये उसके अलावा हैं तो जब ये बसें खरीदीं, उसके बाद प्रोडक्टिविटी उस सरकार ने नहीं बढ़ाई। वर्ष 2013 से पहले 230 किलोमीटर पूरे दिन में बस की प्रोडक्टिविटी थी जो घटकर 180 किलोमीटर रह गई थी

और अब हमारी सरकार ने इस सात महीने में 195 किलोमीटर प्रति-दिन तक इसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ौत्तरी की है और इसमें अभी और प्रयास जारी हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

31.08.2018/1500/जेके/वाईके/1

वन मंत्रीः------जारी---------

लेकिन इन सब बातों में कहीं न कहीं प्रदेश का हित, जनता का हित, सबका कल्याण, सबके लिए कल्याण ही हमारी प्राथमिकता है। यहां पर माननीय सदस्य ने जो विषय लाया है, उस पर जैसे मैंने कहा शिमला में 67 बसें चल रही हैं बाकी प्रदेश में कहीं पर अभी तक एच0आर0टी0सी0 की बस की मांग नहीं है। शिमला प्रदेश की राजधानी है और इसके अतिरिक्त शिमला में 2,045 कॉन्वेंट और दूसरे स्कूलों के बच्चे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके समक्ष यह विषय रखना था, आपका धन्यवाद।

31.08.2018/1500/जेके/वाईके/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी केवल स्पष्टीकरण पर बोलें।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार विचार करेगी। मैं, माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इन बच्चों में बहुत सी गर्ल्ज चाइल्ड हैं और महिलाओं को हम स्ट्रेट 25 फीसदी की कन्सेशन देते हैं। हमने जब इसको बढ़ाया तो यह ख्याल नहीं रखा कि गर्ल्ज़ चाइल्ड के लिए भी हमने वह 25 फीसदी का कन्सेशन नहीं दिया इसलिए मेरी

आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, आपसे रिक्वैस्ट है, please withdraw it and keep the girl child also in consideration.

अध्यक्षः माननीय वन मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इस सारे विषय पर हम आपस में गम्भीरता से चर्चा करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्ष मंत्री जी भी, हम सभी मिल-बैठ कर चर्चा करेंगे। जो सुधार की गुंजाइश होगी, करेंगें लेकिन एक बात पर मेरा मानना है कि लम्बे समय तक कुछ अच्छा करने के लिए हमें मन से सबको तैयार होना पड़ेगा। कैबिनेट में हम चर्चा करेंगे फिर उस चर्चा के बाद इस पर विचार करेंगे।

31.08.2018/1500/जेके/वाईके/3

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खासतौर से एच0आर0टीसी0 की परिस्थिति माननीय सदन के समक्ष रखी है। काफी लम्बा अरसा हो गया, अभी तक किसी भी क्षेत्र में किराये में कोई भी बढ़ौत्तरी नहीं की गई है। डीज़ल की कीमतें बढ़ गई, मैंटिनैंस की कीमतें बढ़ गई और उसके साथ-साथ सैलरी कम्पोनेंट भी बहुत बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, यह विचार करने के लिए गम्भीर विषय है। हम पूरे हिमाचल प्रदेश में यातायात की सुविधा के लिए लोगों को एच0आर0टी0सी0 के माध्यम से अगर सेवाएं देना चाहते हैं तो एक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हमको किराय में बढ़ौत्तरी करनी है या नहीं? लेकिन फिर भी उसके बावजूद आवश्यकतानुसार इस पर हम समय पर

निर्णय करेंगे। लेकिन आज जैसे मंत्री जी ने विस्तार से एच0आर0टी0सी0 की परिस्थिति का विवरण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी इस बात के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक लाभ लेने का कोई विषय नहीं है। यह सबसे जुड़ा हुआ विषय है। बच्चे गरीब के भी हैं, बच्चे अमीर के भी हैं, सभी के हैं। ऐसे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी आगामी कैबिनेट की मीटिंग तक यह जो एच0आर0टी0सी0 की ओर से किराये में बढ़ौत्तरी का प्रस्ताव बी0ओ0डी0 के माध्यम से आया है, इसको हम तब तक के लिए स्थगित करते हैं। उसके बाद इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम अगला निर्णय करेंगे।

31.08.2018/1500/जेके/वाईके/4

सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री जी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालूझण्डा, जिला सोलन में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनीति करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

एस0एस0 द्वारा जारी---

31.08.2018/1505/SS-AG/1

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि - "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly are to be elected by the State Legislature for the term of

two years in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

तो प्रश्न यह है कि - "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

प्रस्ताव स्वीकार

31.08.2018/1505/SS-AG/2

अब माननीय शिक्षा मंत्री आई0सी0एफ0ए0आई0 विश्वविद्यालय बद्दी, जिला सोलन में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि - "That in pursuance of Section 18(1)(f) of the Private Universities Act and Section 17(i) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Institute of Charted Financial Analysis of India (ICFAI) Baddi, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - "That in pursuance of Section 18(1)(f) of the Private Universities Act and Section 17(i) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Institute of Charted Financial Analysis of India (ICFAI) Baddi, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

तो प्रश्न यह है कि - "That in pursuance of Section 18(1)(f) of the Private Universities Act and Section 17(i) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two

31.08.2018/1505/SS-AG/3

years in the Governing Body of Institute of Charted Financial Analysis of India (ICFAI) Baddi, District Solan", for a term of two years commencing from the

date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

प्रस्ताव स्वीकार

जारी श्रीमती के0एस

31.08.2018/ 1510/केएस/एजी/1

<u>विधायी कार्यः</u>

<u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

31.08.2018/ 1510/केएस/एजी/2

अध्यक्षः श्री राकेश सिंघा जी।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन में पेश किया कि "The Himachal Pradesh Public Service Commission (Additional Functions) Bill, 2018" पर अपने विचार रखना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि जिस समय विधि विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, उसने इसके लीगल एस्पैक्ट्स नहीं देखे। यह अडिशनल फंक्शन्ज़ नहीं कर रहा है, यह एक नया कोट हम बना रहे हैं। क्या हम नया कोट बना सकते हैं? Does the Himachal Pradesh

Legislature have the power to make new court? I think we have no power to make a new court. जब आप इसके प्रावधान को देखें, your Clause 3(b)(iii) says that "on all disciplinary matters" - can the Commission take all the disciplinary matters into consideration. मैं कर्मचारी हूं, मैं विक्टिमाइज़ हो जाता हूं , मेरे खिलाफ सस्पैंशन होता है, मेरे खिलाफ टर्मिनेशन होता है, can you give the power to a Commission to undo that or to take any decision on that? मैं समझता हूं, नहीं। इसीलिए और भी ऐसे प्रावधान इसमें हैं। बहुत जल्दी से इस बिल को लाया जा रहा है। मैं नहीं समझा कि क्यों लाया जा रहा है? हमारे कमिशनों को अगर हम भर्ती करने का ही कार्य दें तो बहुत भर्तियां करने को हैं। Let us focus on that. आधे से ज्यादा विभाग हमारे खाली पड़े हैं और वे भरे नहीं जाते हैं तो वही कार्य अगर किया जाए तो ठीक रहेगा यह हम additional powers of disciplinary action in relation to recruitment वगैरह-वगैरह अगर हम इनको देने लग जाए, this is a matter of the judiciary to decide. Can we give quasi judicial rights to them to do such things? मैं समझता हूं हो सकता है कि मेरी समझ गलत हो, कमज़ोर हो लेकिन जितनी मेरी बुद्धि कहती है, वह यह कहती है कि ऐसे अधिकार हम कमिशनों को नहीं दे सकते । तब तो उस कमिशन के अंदर आपको यह भी तय करना है कि उसको जूडिशियल अधिकार देने होंगें। तब वह इस तरीके के फैसले ले सकते हैं। Yes, to the administrative level, there may be possibility. लेकिन क्या बोलता है "on all disciplinary matters", what does all disciplinary matters means? इसलिए उसको आपको डिफाइन करना है अगर ये भी शामिल करना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे कमिशन के पास कोई कार्य नहीं है और उसको कुछ कार्य में बिज़ी रखना है तो मैं समझता हूं कि बिज़ी रखने का काम तो यह है कि भर्ती करो ।

31.08.2018/ 1510/केएस/एजी/3

वह उनके पास कार्य रहेगा, वही उसका काम होना चाहिए इतनी बात कह कर मैं आग्रह करुंगा, आप समय लीजिए, give a second thought. इसको थॉरली स्टडी कीजिए और इसकी शब्दावली इस तरीके से हो जो कल के लिए हमारे लिए एक मुसीबत न बन जाए, इसी बात को कह कर अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बिल के सम्बन्ध में बात करने का मुझे मौका दिया।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

31-8-2018/1515/av/dc/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि कुछ कनफ्युजन हुआ है। आप यहां पर जिस प्रकार की बात कह रहे हैं और मैंने देखा है कि आप जो भी बात कहते हैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बिल में अमैंडमैंट के माध्यम से हम एक बहुत छोटी सी व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमारे रिक्रूटमैंट के जितने भी प्रोसैस है उसमें बोड्र्ज, कार्पोरेशन्ज और खासकर बैंक की भर्ती की प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। उसकी वजह से यह परिणाम होता है कि हम किसी अलग एजैंसी के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। पीछे हिमाचल प्रदेश कोअप्रेटिव बैंक की भर्ती का काम एच0पी0यू0 और कांगड़ा सैंटर कोअप्रेटिव बैंक की भर्ती की प्रक्रिया का काम ऐजुकेशन बोर्ड को दिया गया। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों की सबसे ज्यादा विश्वसनीयता और पारदर्शिता हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन में है। केवल पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी भर्तियां अलग-अलग एजैंसियों को देते रहे हैं। उसके बावजूद ऐसी बातें सामने आए कि यह भर्ती की प्रक्रिया फलां एजैंसी को क्यों दी गई; इसमें यह गलत हो गया, वह गलत हो गया। पिछले कुछ अर्से से जितनी भी भर्तियां इस प्रकार से हुई हैं उसमें कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हुई जिस पर अंगुली नहीं उठी। अगर इस प्रकार की भर्ती करनी है कि उस पर कोई अंगुली खड़ी न हो तो हमें उसके लिए कोई-न-कोई माध्यम या संस्थान तो तय करना पड़ेगा और प्रदेश में सबसे उपयुक्त संस्थान हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन ही है जिस पर आज तक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि उस पर आसानी से अंगुली उठाई हो। आज तक कोई भी आदमी या संस्थान ऐसा नहीं है जिस पर अंगुली नहीं उठी लेकिन उसके बावजूद फिर भी उसमें विश्वसनीयता है। हर भर्तियों के दौरान होने वाले झगड़े-झमेले तथा

आरोप-प्रत्यारोप पर विराम लगाने की दृष्टि से ही हम यह संशोधन लाये हैं। इसलिए यह सरकार का एक बहुत ही कांशियस डिसिजन है जिस पर हमने यह विचार किया तथा निर्णय लिया कि हम इस प्रोविजन को इसमें शामिल करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें Article 320 of the Constitution of India specifies the functions of the Public Service Commission. Under this Article, the Commission conducts examination

31-8-2018/1515/av/dc/2

and regulate other conditions of services of the State. Article 321, empowers the State Legislature by an enactment to provide for the exercise of additional functions by the Public Service Commission as respect to services of the State and also as respect to the service of various Institutions. Presently, there is no mechanism for the recruitment and regulating the services condition of the public institution in the State and different methods are being adopted. Thus, in order to ensure proper and uniform recruitment in all the public institutions, the proposed Law is required to be enacted. यह बड़ा सिम्पल है और मुझे नहीं लगता। don't find there is anything difficult to understand. इसके पीछे केवल यही मकसद है कि जो भर्तियों पर अंगुली उठती है कि यह खा लिया, वह खा लिया, इसको लगा लिया, उसको लगा लिया; उस दृष्टि से यह बंद होना चाहिए। बिल में यह संशोधन भी उसी दृष्टि से लाया गया है और मुझे लगता है कि इसमें आप सबका सहयोग होना चाहिए।

टी सी द्वारा जारी

31.08.2018/1520/TCV/DC-1

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। हमें इस पर कोई ओब्जैक्शन नहीं है। But what the

Hon'ble Member, Shri Rakesh Singha has raised i.e. about the additional functions to the Committee' is objectionable to us? We are questioning you why are you giving them powers? So far as the making of appointments are concerned, it is all right. But you are saying "on all disciplinary matters affecting a person serving under an institution", why do you need to go to Public Service Commission for that? You have Law and other Administrative Departments. This is objectionable. Hon'ble Chief Minister, Sir, what you have done is correct as far as the Boards and Corporations are concerned, क्योंकि पहले इसमें बोर्डज़ और कारपोरेशन्ज़ इन्क्लूडिड नहीं थे। उनकी लीगल साईंटिटी नहीं थी। इनको इन्क्लूड करना ठीक है। मगर अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और बात भी है। Public Service Commission deals only with Class-I & Class-II recruitments. Are you going to extend this to Himachal Pradesh Subordinate Selection Board for Class III & IV also? जब हम पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं तो हम आपका उसमें भी समर्थन करेंगे। आप उनको क्लॉस थ्री की बोर्डज़, कारपोरेशन्ज़ की रिक्रूटमेंट का सारा काम दे दीजिए। आप जो एच0आर0टी0सी0 की भर्ती की बात कर रहे हैं, वे तो क्लॉस थ्री की पोस्टें हैं, वह पब्लिक सर्विस कमीशन में थोड़े ही जाएंगी। पब्लिक सर्विस कमीशन में तो क्लॉस-। और क्लॉस-॥ की रिक्रूटमेंट होती हैं। इनका जो ऑब्जेक्शन है, उसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है, why do we need to enact this? बाकी जो दूसरी बात आपने कही है, उसमें हम आपको स्पोर्ट करते हैं।

31.08.2018/1520/TCV/DC-2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इनको इसमें थोड़ा और कंफ्यूजन हो रहा है। उसमें डिसप्लेनरी एक्शन से संबंधित जो प्रोसीडिंग्ज़ होती है, उससे संबंधित उनको सभी

विभागों, it is not only कि ये जो हम नया प्रावधान कर रहे है, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन की उसमें जो रिकॉमेंडेशन्ज़ आती हैं, उस रिकॉमेंडेशन्ज़ के बाद वह अंतिम निर्णय नहीं लेते है। अंतिम निर्णय जो कम्पीटेंट अथॉरिटीज़ हैं, वह लेती है। उसके बावजूद जब वे सभी सरकार के कर्मचारी होंगे, उनको इस तरह की छूट और बाकी कर्मचारी जो पब्लिक सर्विस कमशीन के प्रोसैस में से होकर निकलते हैं, इनको अलग-अलग करना उचित नहीं होगा। उस प्रोसैस में से उनको भी जाना होगा। वे सिर्फ एक रिकॉमेंडेशन देते हैं। उसके बाद फाइनल डिसीजन तो कम्पीटेंट अथॉरिटी लेती है।

Smt. Asha Kumari: Hon'ble Speaker, Sir, we are talking about 'disciplinary action'. सबोर्डिनेट सलेक्शन बोर्ड को भी क्या आप जितने बोर्ड और कारपोरेशन्ज़ हैं, उनकी भर्ती का कार्य देंगे? क्योंकि यह सिर्फ क्लॉस-I और क्लॉस-II पर अप्लाई होता है।

अध्यक्ष: ये पहले से ही पॉवर्ज़ उनके पास हैं और जो बोर्डज़ और कारपोरेशन्ज़ की भर्ती करेंगे उनके लिए भी रहेंगे।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बड़ा सिम्पल है। कमीशन के पास पहले ही ये व्यवस्था है और जितने भी इंप्लॉइज इस प्रोसैस में से गुजरते हैं, इसी प्रोसैस में से गुजरने की बात हम इस नये ऑडिशन में कर रहे हैं, यह उनके लिए कर रहे हैं। इससे हटकर इसमें कुछ नहीं हैं। उनकी राय ली जाएगी, परन्तु यह नहीं होगा कि उनका निर्णय उसमें अंतिम होगा।

31.08.2018/1520/TCV/DC-3

श्री राकेश सिंघा: अध्यक्ष महोदय, यदि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास यह पॉवर ऑलरेडी ही एग्जिस्ट करती है then why do we have to say 'additional powers'? जहां तक बोर्डज़ और कॉरपोरेशन्ज़ की बात है, उसमें शत-प्रतिशत हम आपके साथ हैं। लेकिन पारदर्शिता चाहिए। As far as all disciplinary actions are concerned, मुझे बताएं पब्लिक सर्विस कमशीन के पास कौन जाता है? Then why the Tribunal is

there? ट्रिब्यूनल बना रखा है। क्या होगा, अपील कहां से जाएगी? जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्ज़ हैं, उनको विभाग बनाएगा। लेकिन if you say that all disciplinary matters वह डील करेंगे और अतिरिक्त पॉवर हम उनके पास दे रहे हैं। It will be misconstrued. इसलिए आप इसकी क्लीयरिटी करें। बाद में कोई झगड़े का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये लेजिस्लेचर का काम है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये काम पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं था, यह एडिशनल फंक्शन उनको दिया गया है। यानि नया काम उनको दिया गया है। इस नये काम के तहत जो बोर्डज़ कारपोरेशन्ज़ पहले इसमें शामिल नहीं थे,

श्रीमती एन.एस. द्वारा जारी.....

31-08-2018/1525/NS/HK/1

मुख्य मंत्री ----जारी

इसके मुताबिक इनको ये पॉवर्ज़ देना जरूरी है। इनेक्टमैंट में इसका प्रोवीज़न करना जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य कन्फयूज़न में कहीं दूसरी जगह चले गये हैं, यह कोई इस तरह का विषय नहीं है।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनीं।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

31-08-2018/1525/NS/HK/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) पारित हुआ।

31-08-2018/1525/NS/HK/3

<u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

अध्यक्षः अब नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख होंगे। नियम-324 के अन्तर्गत चर्चा के लिए माननीय सदस्य श्री नन्द लाल, श्री पवन नैय्यर, श्री आशीष बुटेल, श्री लखविन्द्र सिंह राणा, श्री जिया लाल, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री नन्द लाल जी, श्री जिया लाल जी, और माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी के उल्लेख प्राप्त हुए हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो इन्हें सदन में प्रस्तुत समझा जाये और इनके उत्तर माननीय सदस्यों को आज ही उपलब्ध करवा दिये जायेंगे।

सदस्यगणः प्रस्तुत हुई समझी जाएं।

अध्यक्षः अब श्री नन्द लाल जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

Sh. Nand Lal: Hon'ble Speaker Sir, I would like to bring the notice of the Govt. the Bashal-Kanda (Sarahan) in Rampur was identified as the Tourist destination where a Ropeway trolley would be installed and the same has

been taken out in the budget 2018-19. I requested the Hon'ble Chief Minister to include the same in the budget of the current financial year. On top of the hill there is a straight patch for kilometers to get in which can be used as Airstrip also. I request the Hon'ble Chief Minister to include the same in the current budget.

Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, In the 6th meeting of Himachal Pradesh Tourism Development Board held on 28-06-2014, it was decided that a Ropeway from Sarahan to Bashal Kanda may be set up. Accordingly, the Himachal Pradesh Infrastructure Development Board (Nodal Agency for Ropeways) was requested to prepare the feasibility study of the said project. M/s Infra Endeavors Pvt. Ltd. was appointed as a consultant for preparing the feasibility study, Request For Proposal (RFP) document etc. The Himachal Pradesh Infrastructure Development Board invited Notice Inviting Tender (NIT)

for the said Ropeway Project two times in June 2016 and May 2017. No bid was received for this Ropeway Project.

Himachal Pradesh Infrastructure Development Board on 05-01-2018 decided that the project need to be re-visited and re-structured by changing some terms and conditions of RFP of each project to make them more attractive and financially viable.

The Government on 09-08-2018 decided to relax following Terms & Conditions for setting up of Ropeway Projects :

1. No Annual License Fee for first seven years for selected Ropeway Projects.
2. Monthly review by Committee under the Chairmanship of Chief Secretary. Other members would be Additional Chief Secretaries (Forest, PWD, Revenue and Tourism).
3. Only one public hearing will be held instead of two separate hearings under Environment Protection Act and HP Aerial & Ropeway Act.
4. The State Government will facilitate in obtaining NOC.
5. Bids will also be invited under Swiss Challenge Mode.

Now the Department of Tourism will examine to re-bid this project.

There is no proposal for airstrip at top of hill at Sarahan.

In view of above facts the Hon'ble Member is requested to withdraw the said rule.

31-08-2018/1525/NS/HK/5

अध्यक्षः अब श्री पवन नैय्यर जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

श्री पवन नैय्यरः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान लक्कड़ मण्डी से खजियार तक घण्टों जाम से पर्यटकों व आम जनता की परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि लक्कड़ मण्डी से खजियार तक स़डक वाईडनिंग न होने के कारण जाम लगा रहता है तथा सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तब डल्हौजी से खजियार तक डिफेन्स वाले लक्कड़ मण्डी तक सड़क खोलते हैं परन्तु लक्कड़ मण्डी से खजियार तक सड़क बन्द रहती है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में इस सड़क को चौ़डा करने तथा सर्दियों में खजियार तक खुला रखने का प्रावधान किया जाए ताकि आम जनता एवं पर्यटकों को असुविधा का सामना न करना प़डे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः-बनीखेत डलहौजी खजियार सड़क की कुल लम्बाई 29.000 कि0मी0 है जिसमें 6/400 (डलहौजी) से 15/600 (लक्कड़ मंडी) लम्बाई 9.200 कि0मी0 तक की स़डक नगरपालिका व सैन्य प्रषासन के अन्तर्गत प़डती है। इससे आगे की स़डक कि0मी0 15/600 (लक्कड़ मंडी) से 29/000 (खजियार) तक लम्बाई 13.400 कि0मी0 लोक निर्माण विभाग, डलहौजी मण्डल के अन्तर्गत प़डती है। इसका यह भाग वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र (Wild Life Sanctuary) में प़डता है। जब तक सड़क का यह भाग वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र से बाहर नहीं होता तब तक इस सड़क का चौ़डाईकरण कर पाना सम्भव नहीं है तथा जहां तक इस भाग पर यातायात जाम का प्रश्न है, तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाती है, रमणीय स्थान होने के कारण अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं तथा सुचारू रूप से पार्किंग न होने के कारण कभी-कभी जाम लग जाता है। अतः वाहनों की उचित पार्किंग तथा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाती है। लक्कड़ मंडी से खजियार तक सड़क पर जब कभी भी अधिक बर्फबारी होती है तो इस सड़क को तुरन्त खोलने की कोशिश की जाती है। परन्तु बर्फ की अधिक मात्रा होने के कारण एवं छायादार भाग में हिमनद बनने से बर्फ हटाने के काम में बाधा रहती है। फिर भी कम बर्फ गिरने पर इस सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त खजियार पर्यटन स्थल को चम्बा की तरफ से शरद ऋतु में कम बर्फ होने के कारण यातायात के लिए बहाल रखा जाता है।

31-08-2018/1525/NS/HK/6

अध्यक्षः अब श्री आशीष बुटेल जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

Sh. Ashish Butail: Hon,ble Speaker Sir, Recent heavy rains have caused irreparable damage to various links to villages, especially villages that were linked by footbridges, small and large bridges. Many villages and houses have been cut off due to roads, bridges and footbridges being washed away in Palampur Constituency. Footbridges to village Kali Chamb, Gram Panchayat Thala, Bridge & Road on Sethu Nala, Gram Panchayat Thala & Small Bridge leading to Bhagotla need utmost attention and may be constructed on urgent basis in public interest.

Chief Minister: Hon'ble Speaker, factual position is as under:-

It is true that recent rains have caused huge damage to the various roads linking villages under Palampur constituency. Estimated damage to the roads and bridges has been assessed to about Rs. 3.50 crores in respect of Palampur constituency pertaining to Public Works Department. The funds to the tune of Rs.35.00 lacs have also been allocated to Palampur Division on 13 August, 2018 for restoration of rain damages. Temporary measures have been taken to restore the roads and the all roads under Palampur constituency are fit for plying of vehicles as of now.

1. The foot bridge at Kalichamb in Gram Panchayat Thala has been washed away in recent floods. The same has been constructed by Gram Panchayat and as such no action is required from this department.
2. The traffic on road Thala to Malanta including bridge over Sethu Nallah has been restored now and the vehicles are plying on the road.
3. 3.00 mtr span culvert on link road to village Bhagotla has been damaged. Temporary measures have been taken to restore the traffic on this road by way of filling over the damaged culvert and

31-08-2018/1525/NS/HK/7

the traffic is plying on this road. This culvert will be reconstructed after the rainy season is over. Damage to the tune of Rs. 8.00 Lacs has been assessed in this respect.

31-08-2018/1525/NS/HK/8

अध्यक्षः अब श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण अवरूद्ध हुई सड़कों को तथा झूला पुलों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र बहाल करने व ग्राम पंचायत कृपालपुर में सिरसा नदी पुल झूला टूट चुका है। कृपया इसे पुनः स्थापित किया जाए तथा रामशहर से साई चढ़ाग सड़क पर लगभग 20 दिन से Land Slides हुआ है अभी तक सड़क चालू नहीं हो सकी है। अतः सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र जनहित में सड़को व पुलो को पुनः चालू किया जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिति इस प्रकार से है :-

दिनांक 12-8-2018 तथा 13-08-2018 को हुई भारी वर्षा के कारण हि0प्र0, लोक निर्माण विभाग, नालागढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न सड़कें मलबा/लहासें गिरने के कारण अवरूद्ध हुई थी जिन्हें पर्याप्त मशीनरी लगा कर यातायात के लिए जनहित में समय-समय पर खोला जा रहा है। भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण सरसा नदी पर बना झुला पुल जो कि निक्कूवाल मण्डयारपुर ननोवाल सड़क पर बनाया गया था बह गया। यह पुल लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाया गया था अपितु प्रतीत हुआ है कि यह पुल निजी कम्पनी एच0एन0 सिंह एण्ड कम्पनी द्वारा बनाया गया था। अभी लगातार वर्षा से सरसा नदी में पानी का बहाव तेज़ होने के कारण वैकल्पिक रास्ता बनाना मुश्किल है। इस स्थान पर झुला पुल दोबारा ही निर्मित किया जा सकेगा जिसके लिए लगभग 250 लाख रूपये (दो करोड़ पच्चास लाख रूपये) व्यय आने का अनुमान है क्योंकि उस स्थान पर झुला पुल बनाने के लिए नदी की चौड़ाई लगभग 150 मी0 है। रामशहर से साई च़ढोग स़डक पर कि0मी0 12/580 से 12/760 तक वर्ष 2016 में एक बहुत ब़डा लहासा ¼land slides) आया था जो

लगभग 600 मी0 ऊंचाई से गिरता है और वह दो स़डकों को (1) सम्पर्क मार्ग गाँव धरमाणा तथा (2) रामशहर-साई च़ढोग नेराली ब्रहामणा को नुकसान पहुँचाता हुआ गम्बर नदी तक पहुंचता है और यह हर वर्ष लगातार बरसात के दौरान गिरता रहता है और यह धंसने वाला भाग है। विभाग द्वारा समय-समय पर लहासा/मलबा हटाकर स़डक निकालने के लिए उपयुक्त मशीनरी लगाकर स़डक को यातायात आवाजाही के लिए खोला गया परन्तु दिनांक 12-8-2018 एवं 13-08-2018 को हुई भारी बरसात के दौरान विभिन्न सड़कों पर भारी लहासा/मलबा गिरने के कारण तथा इसी सड़क के भी कई जगह अवरूद्ध होने के कारण अनेकों जगह डंगे लगाकर मशीनरी को पहुँचाया गया फिर भी कि0मी0 12/580 से

31-08-2018/1525/NS/HK/9

12/760 तक मलबा हटाने के लिए एक जे0सी0बी0 वहां हर वक्त मौजूद रहती है जो कि नाकाफी थी फिर भी वहां तक जैसे ही सड़क तैयार हुई तो एक पोकलेन मशीन और लगा दी गई। उपरोक्त स़डक का भाग कि0मी0 12/580 से 12/760 तक लहासा गिरने के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़क का भाग कि0मी0 12/460 से 12/760 तक नए सिरे से बनाकर मिलाया जाएगा। छोटे वाहनों के लिए स़डक लगभग 4 दिन में तैयार हो पायेगी तथा बड़े वाहनों (बस व ट्रक) इत्यादि की यातायात आवाजाही के लिए सात दिन में खोल दिया जायेगा क्योंकि बीच में भारी भारी चट्टानें गिरी हैं, जिन्हें ब्लासटींग करके ही तोड़ा जा सकता है। यदि बीच में पुनः बरसात होती है तो अधिक समय भी लग सकता है। चिकनी नदी से भारी वर्षा के कारण जो किसानों की जमीन व फसल का नुकसान हुआ है उसे राजस्व विभाग द्वारा आकलंन करवा दिया जाएगा ।

31-08-2018/1525/NS/HK/10

अध्यक्षः अब श्री जिया लाल जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

श्री जिया लालः अध्यक्ष महोदय, ''मैं सरकार का ध्यान भरमौर चुनाव क्षेत्र के तहत पांगी में मल प्रवाह सुविधा न होने के कारण लोगों को हो रही असुविधा की ओर दिलाना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही 80 लाख की पाईपें खरीदी जा चुकी है परन्तु कार्य आरम्भ

नहीं हुआ है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जनहित में इस कार्य को शुरू करने की कृपा करें।"

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मामले की वस्तु स्थिति इस प्रकार हैः-

इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति आवासीय आयुक्त पांगी द्वारा दिनांक 27-9-2008 कोे 823.73 लाख रूपय की प्रदान की र् थी। इस योजना के अन्तर्गत Providing and Laying of D.I Pipe के उप-शीर्ष कार्य की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 19-6-2010 को रूपये 6,16,10,570/- की प्रदान की गई थी। विभाग द्वारा बजट उपलब्धता अनुसार आंशिक तौर पर 7089 Rmt.D.I.ikbZiksa की खरीद की गई जिनकी लागत 84.90 लाख रूपये है जो उप-मण्डलीय भण्डार किला़ड में रखी गई है। मलप्रवाह योजना के मल शोधन संयन्त्र (STP) बनाने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता नवंम्बर, 2017 में ही सम्भव हो पाई उसके उपरान्त तय दिशा-निर्देशों के अनुसार STP के निर्माण की Proposal का राज्य स्तरीय तकनीकी कमेटी (STAC) द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। पाईपें बिछाने तथा मल शोधन संयन्त्र का कार्य षुरू करने के लिए टेन्डर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस योजना के लिए अब तक 99.90 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है।

31-08-2018/1525/NS/HK/11

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

Sh. Harshwardhan Chauhan: Hon,ble Speaker Sir, I would like to bring to the notice of the Government that Govt. Degree college Ronhat in Distt. Sirmour was opened during the year 2017 and having more than 75 students is having shortage of teaching staff due to which the future of students is being damaged. I would request the Government to post Professors in the college especially of English, Hindi and Political Science immediately so that the college can function smoothly.

Education Minister: Hon'ble Speaker Sir, I have the honour to submit that the Government College, Ronhat was opened vide Govt. Notification No. EDN-A-Ka(1)-5/2012 dated 12.09.2017. One post of Principal and six posts of Assistant Professors i.e. English, Hindi, History, Pol. Science. Economics and Commerce were created in the college. Besides this 10 posts of non-teachin staff i.e. one Librarian, one Superintendent, one Sr. Assistant, two junior office Asstt., three peon and two Chowkidar were also created in the college. At present 52 students have taken admission in the different subjects in B.A. Ist year and B.A. 2nd Semester for the session 2018-19. Principal (College Cadre) has already been posted in G.C. Ronhat. Three Assistant Professors in the subject of Pol. Science, History and English have also been deputed to GC Ronhat from Haripurdhar, so the studies of the students may not suffer. In non-teaching staff, out of total 10 sanctioned posts, six posts i.e. one Junior Office Asstt. three Peons and two Chowkidar are filled up in G.C. Ronhat. Presently. Govt. College Ronhat is running in the building of Gram Panchayat Bhawan, Rast having three rooms and three toilets.

The college was made functional w.e.f. academic session 2017-18 without adequate infrastructure whereas in the absence of any worth-while infrastructure it was not prudent to run the college.

31-08-2018/1525/NS/HK/12

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

Sh. Nand Lal: Hon,ble Speaker Sir " I would like to bring the notice of the Govt. that the Government Senior Secondary Schools, Khamadi, Majholi Tipper, Kungal Balti, and Sholi (Nankhari Sub Tehsil) do not have the funds for the construction of the building as in the last eight months no construction

work could be undertaken. The Govt. may sanction budget accordingly. So that the school have their proper school buildings.छ

Education Minister: Hon'ble Speaker Sir, Brief status of the matter is as under :-

GSSS Khamadi:-

An Administrative Approval has been accorded by the Govt. on dated 04.07.2017 for the construction of building for GSSS Khamadi, Distt. Shimla amounting to Rs. 5, 83, 75,950/- only against which Rs. 2.00 lakh has been released till 31.03.2018 to the executing agency i.e. Executive Engineer Rampur Division HPPWD Rampur Distt. Shimla. Further, it is submitted that there is budget provision amounting to Rs. 3.00 lakh for this work in this financial year 2018-19 and the same will be released very shortly. Presently there are 12 class rooms available in the said school and 108 students have been enrolled in this academic session.

GSSS Majholi Tipper:-

An Administrative Approval has been accorded by the Govt. on dated 04.07.2017 for the construction of building for GSSS Majholi Tipper, Distt. Shimla amounting to Rs. 1,79,75,905/- only against which Rs. 2.00 lakh has

31-08-2018/1525/NS/HK/13

been released till 31.03.2018 to the executing agency i.e. Executive Engineer Rampur Division HPPWD Rampur Distt. Shimla. Further, it is submitted that there is budget provision amounting to Rs. 3.00 lakh for this work in this financial year 2018-19 and the same will be released very shortly. Presently there are 10 class rooms available in the said school and 133 students have been enrolled in this academic session.

GSSS Kungal Balti:-

An Administrative Approval has been accorded by the Govt. on dated 11.01.2017 for the construction of building for GSSS Kungal Balti, Distt. Shimla amounting to Rs. 2,81,64,114/- only against which Rs. 8.00 lakh has been released till 31.03.2018 to the executing agency i.e. Executive Engineer Rampur Division HPPWD Rampur Distt. Shimla. Further, it is submitted that there is budget provision amounting to Rs. 7.00 lakh for this work in this financial year 2018-19 and the same will be released very shortly. Presently there are 11 class rooms available in the said school and 83 students have been enrolled in this academic session.

GSSS Sholi:-

An Administrative Approval has been accorded by the Govt. on dated 22.08.2017 for the construction of building for GSSS Sholi, Distt.

31-08-2018/1525/NS/HK/14

Shimla amounting to Rs. 2,29,55,584/- only against which Rs. 2.00 lakh has been released till 31.03.2018 to the executing agency i.e. Executive Engineer Rampur Division HPPWD Rampur Distt. Shimla.

Further, it is submitted that there is budget provision amounting to Rs. 5.00 lakh for this work in this financial year 2018-19 and the same will be released very shortly. Presently there are 08 class rooms available in the said school and 109 students have been enrlolled in this academic session.

It is submitted that funds for the construction of various school works are being released as per the budget provided by the Himachal Pradesh Government.

31-08-2018/1525/NS/HK/15

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री जिया लाल जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

Sh. Jia Lal: Hon'ble Speaker Sir, "I would like to bring the notice of the Government towards the old building of the Civil Hospital Bharmour. Presently, Civil Hospital is being housed in small and old building. As a result patient and Staff is suffering. The previous Government has sanctioned amount of Rs.13.15 Crore for the construction of new building of Civil Hospital Bharmour. Tender for the same has been already awarded 2 years back. But construction work has not been started yet due to one or other reason. Therefore, I would request the Government in the public interest expedite the construction of new building of the Civil Hospital Bharmour".

Health & Family Welfare Minister: Hon`ble Speaker, the factual position of the matter raised by Sh.Jia Lal (Bharmour) is as under:-

At present, 50 bedded Civil Hospital Bharmour is functioning in the old PHC building which was constructed in 1984. The construction of CH Bharmour has been assigned to the HIMUDA by using Pre-Fabricated Technology. Accordingly, the preliminary estimate amounting to Rs. 27,55,62,600/- including W.S and S.I. enabling works for electricity fittings, Air conditioner (Hot & cold), lift and all fire fighting, gas pipes for hospital (multi-storey building) was prepared by the HP Housing and Urban Development Authority on 6-1-2017.

It is also pertinent to mention here that during the meeting, held on 9-2-2017 under the Chairmanship of Addl. District Magistrate, Bharmour, it was decided that the execution of said Civil work may be completed in time bound manner. The basic work related to Hospital will be done as Phase-I and therefore, the estimate so submitted be rationalized. Resultantly, to ensure the

speedily completion of the construction work of CH Bharmour by using pre Fabricated Technology, the estimate was restricted upto Rs.19.57 crore and for

31-08-2018/1525/NS/HK/16

which Administrative Approval of Rs.19.57 was accorded on 30-03-2017. The Health Department has deposited Rs. 166.20 lacs for the said construction with the HIMUDA till date in installments as per detail given as under:

1. Funds allocated by Commissioner Tribal Development = Rs. 20.00 lacs (on 31-7-17)

2. —do- = Rs. 146.20 lacs (on 8-09-17)

The Executive Engineer, HIMUDA, Division Dharamshala vide his letter dated 10-8-2017 has intimated/requested that tendering process has been completed by them, further the process to award the work is also being undertaken but the work can only be awarded after sufficient amount against the Administrative Approval Rs.19.57 Crore is deposited. Thus they have demanded at least 50% of the estimated amount so that the work could be awarded to the contractor. During the current financial year budgetary provision of Rs. 100.00 lac was laid in the budget, of which the expenditure sanction has been accorded on dated 10-7-2018 to deposit the same with the executing agency i.e. HIMUDA.

The local MLA Sh. Jia Lal (Bharmaur) has requested the Health Minister to cancel the Expenditure Sanction as well as tender in the interest of public stating that the fabricated structure is not feasible in view of the large crowd coming to the Hospital.

The Engineer in Chief, HIMUDA has been requested to send a report in this regard.

31-08-2018/1525/NS/HK/17

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठायेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बड़सर में बस अड्डे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था इस हेतु भूमि का चयन भी कर लिया गया था तथा इसका शिलान्यास भी कर दिया था। परन्तु आज दिन तक सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में इस बस अड्डे का निर्माण किया जाए ताकि यहां की स्थानीय जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े।

वन मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन एवं बस अडडा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बड़सर मैहरे नामक स्थान पर बस अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है। बस अडडा बड़सर मैहरे के निर्माण हेतु 3456 वर्ग मीटर भूमि का चयन कर लिया गया है जो वर्तमान बस अड्डे से 600 मीटर की दूरी पर है तथा यह भूमि वर्ष 2011 में परिवहन विभाग के नाम स्थानान्तरित हो चुकी है । इस भूमि पर तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिनांक 15.06.2012 को शिलान्यास कर दिया है। इस बस अड्डे के निर्माण हेतु मु0 1.70 करोड़ रूपये का प्रावधान करके राशि प्राधिकरण को जारी कर दी है। जिसमें से मु0 50.00 लाख रूपये की राशि लोक निर्माण विभाग को जारी की जा चुकी है। इस बस अड्डे के निर्माण हेतु नक्शा व प्राक्कलन भी तैयार कर दिया गया है। जिसकी कुल लागत मु0 1,29,66,890/- रूपये आंकी गई है । चयनित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सटी होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अथार्रिटी का अनापति प्रमाण पत्र ;छव्ब्ध्द लेना वांछित है । अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अथार्रिटी से पत्राचार किया है। जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग अथार्रिटी ने मैप वनाने के लिए कुछ मार्ग निर्देश दिये हैं तथा प्राधिकरण द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुसार बस अड्डे की नई रूप रेखा (मैप) बना लिया है जिसे अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अथार्रिटी के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है ताकि अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा

सके। जैसे ही मैप की मंजूरी व अनापति प्रमाण पत्र ;छव्ब्ध्द प्राप्त हो जाएगी, बस अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

31-08-2018/1525/NS/HK/18

नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

अध्यक्षः अब नियम-61 के अन्तर्गत माननीय ठाकुर राम लाल जी "दिनांक 23 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 550 के उत्तर से उत्पन्न विषयों की चर्चा करेंगे। यह अल्पकालीन चर्चा है, अतः इसको शीघ्र रखें।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में नियम-61 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, प्रश्न संख्याः 550 जो 23 अगस्त को इस सदन में लगा था। लेकिन जिस समय इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था तो उस समय मैं और सप्लीमैंटरी नहीं पूछ पाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है तो मैं कुछ बातें माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो स्वाहण कटरियड पगवाणां सड़क डिवीज़न नम्बर-2 के अधीन पड़ती है और यह सड़क सब-डिवीजन स्वार घाट के अधीन बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसका टैंडर 10 दिसम्बर, 2010 को हुआ था और इसका कार्य 26.11.2010 को अवार्ड हुआ था तथा इसका अमाउंट मु0 94.05 लाख रुपये का था। लेकिन इसके ऊपर जो कुल धनराशि सैंक्शन हुई थी और जो पैसा खर्च होना था, वह 2 करोड़ से ज्यादा था। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क को नाबार्ड के अधीन लाया गया था, पैसा सैंक्शन हुआ और

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

31.08.2018/1530/RKS/HK-1

श्री राम लाल ठाकुर.... जारी

जब इसमें फोरैस्ट क्लीयरैंस ही नहीं हुई है तो काम कैसे अवार्ड कर सकते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से यह आदेश आए हैं कि यदि अनधिकृत रूप से इन सड़कों का काम शुरू किया जाएगा तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस ठेकेदार को यह काम दिया गया था उसने कोई औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस ठेकेदार को यह काम किन परिस्थितियों में दिया गया? यह एक पुराना रास्ता था और यहां भाखड़ा विस्थापितों का एक गांव बसा हुआ है। जो हमारी स्वाहण और तलवाड़ पंचायतें हैं, उनके निचले क्षेत्रों के लिए मैंने ही यह सड़क नाबार्ड में डाली थी। लेकिन अब सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए इस सड़क का टैंडर कर दिया गया। यह राजाओं के समय का पुराना रास्ता था। इस रास्ते को ठीक करने के लिए मैंन कुछ काम पंचायतों के माध्यम से और कुछ काम जब मैं वन मंत्री था तो वन विभाग के माध्यम से करवाया। पंचायत के माध्यम से जो पगवाणां गांव के लिए सड़क बनाई थी उसी के ऊपर ठेकेदार ने काम शुरू किया और कटरियड गांव का काम छोड़ दिया। ठेकेदार को इसकी पेमैंट भी हो गई है। मेरा मानना है कि यह काम गलत तरीके से हुआ है और इसमें ठेकेदार और डी.एफ.ओ. अंदर हो सकते हैं। यदि मान लो वन विभाग के लोग इस काम को नहीं रोकेंगे तो they are equally responsible.

अध्यक्ष जी, ठेकेदार ने काम बंद कर दिया और कहा कि इसमें अभी फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं आई है। प्रश्न के उत्तर में कहा गया- '2 किलोमीटर सी.डी. वर्क हो गया है'। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी आला अधिकारी को वहां भेजें क्योंकि वहां पर कोई सी.डी.वर्क नहीं हुआ है। सारी पैमाइश ठेकेदार द्वारा करवाई गई जिसमें पी.डब्ल्यू. डी. के लोग भी मिले हुए थे। अगर आज की तारीख में वहां पर जाएं तो वह सड़क नाला बन गई है और कोई गाड़ी उस सड़क पर नहीं चल रही है। भाखड़ा विस्थापितों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस चीज की इन्क्वायरी की जाए कि

31.08.2018/1530/RKS/HK-2

किस तरीके से 70.31 लाख रुपये का घोटाला हुआ है? इस पैसे को ठेकेदार ने खाया है, जिसमें पी.डब्ल्यू.डी. के लोग भी शामिल हैं। शायद इसमें और लोग भी शामिल होंगे। 70.31 लाख खर्च करने के बावजूद भी लोगों को पैदल चलने का रास्ता नहीं बचा है। इस सड़क ने ऊपर से लेकर नीचे तक खड्ड का रूप धारण किया है। जो स्वाहण-कटरियड-पगवाणां सड़क बननी थी, उसमें कटरियड गांव को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि कागजों में तो कटरियड गावं भी बीच में शामिल है। पहले यह सड़क नाबार्ड के तहत बननी थी परंतु विभाग अब इसकी डी.पी.आर. क्यों तैयार कर रहा है? जो इसकी डी.पी.आर. बनाई जा रही है उसका पैसा किस हैड से लिया जाएगा? नाबार्ड के अंतर्गत जो 2 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी उसमें से 70.31 लाख रुपये खर्च कर दिए गए हैं। लेकिन अब जब काम ही नहीं चला, फोरैस्ट क्लीयरैंस ही नहीं मिली तो बाकी पैसा शायद सरेंडर कर दिया होगा। । वन विभाग के पास यह केस आज भी पैंडिंग पड़ा हुआ है। किस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया गया; किस प्रकार से पी.डब्ल्यू.डी. ने टैंडर आबंटित किए और किस प्रकार से ठेकेदार ने काम किया, यह देखने वाली बात है। जब ठेकेदार को पता चला कि इसकी फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं हुई है तो वह बीच में काम छोड़कर भाग गया। लेकिन उसकी फाइनल पेमैंट कर दी गई है।

श्री बी0एस0 द्वारा.....जारी

31.08.2018/1535/बी.एस./ए.जी.-1

श्री राम लाल ठाकुर जारी ....

और आज की तारीख में इस सड़क का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के सभी लोक इक्ट्ठा होकर चुने हुए लोगों को गालियां

निकालते हैं, सरकार को गालियां निकालते हैं कि इस कार्य में पैसा कैसे खाया गया और लोगों द्वारा दिए गए पैसे के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। मैं इस प्रश्न पर चर्चा ले करके इसलिए आया था कि इस प्रकार के जो घोटाले हैं उन से पर्दा उठना चाहिए। जिन्होंने गलत कार्य किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस ठेकेदार ने बिना अनुमति के गलत काम किया है उसे भी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस अवैध कार्य को नहीं रोगा चाहे वह डी.एफ.ओ. हो, चाहे आर.ओ. हो, चाहे डिप्टी रेंजर हो अथवा फोरेस्ट गार्ड हो इन सब की यह डिप्टी बनती है कि यदि उनके एरिया में इस तरह का अवैध कार्य हो रहा है तो वे उसे रोकते । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वाकायदा तौर पर लोगों की कठिनाई है उसे ध्यान में रखते हुए यह जो बहुत बड़ा घोटाल हुआ है जिसमें 70.31 लाख रुपये ठेकेदार की जेब में चला गया और लोगों को वहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं यह विषय माननीय मुख्य मंत्री जी से ध्यान में लाना चाहता था।
31.08.2018/1535/बी.एस./ए.जी.-2

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 61 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने जो अपनी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित एक सड़क के बारे में इस सदन में चर्चा लाई है उसकी जो वस्तुस्थिति है उसे में प्रस्तुत करता हूंः-

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर दिनांक 23.08.2018 को बड़े विस्तार से दे दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद शायद सप्लीमेंटरी करने का समय नहीं मिल पाया, इस कारण से बहुत अधिक विषय माननीय सदस्य के ध्यान में नहीं आए। अध्यक्ष महोदय, स्वाहन-कट्रियरड-पंगवाणा सड़क की कुल प्रस्तावित लम्बाई 6.930 किलोमीटर है । इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन नाबार्ड योजना के अंतर्गत

26.11.2009 को मु0 2.21 करोड़ रुपये प्रप्त हुई थी। इस सड़क पर 4.37 किलोमीटर सरकारी व वन भूमि एवं 2.55 किलोमीटर निजी भूमि आती है। निजी भूमि के एन.ओ.सी. विभाग के पास वर्ष 2009 में प्राप्त हो गए थे। इस सड़क का कार्य श्री गीता राम, सुभाष चन्द ठेकेदार को खुली निविदाओं के माध्यम से दिनांक 26.11.2010 को मु0 94.5 लाख रुपये विभाग द्वारा आबंटित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार द्वारा दिनांक 13.12.2012 तक किए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से हैः कार्य के लिए जो प्रावधान था वह 6.930 किलोमीटर के लिए था और जो कार्य प्रगति पर है वह 6.87 किलोमीटर है। सी.डी. वर्ग भी 6.930 और उसमें से जो काम हुआ है वह 2 किलोमीटर का हुआ है और शेष कार्य प्रगति पर है। उसके साथ ड्रेन का 6.93 किलामीटर का कार्य है जो अभी तक नहीं बनाई गई है। इस सड़क की प्रस्तावित लम्बाई 6.93 किलोमीटर है जिसमें 6.87 किलोमीटर लम्बाई में ठेकेदार द्वारा मिट्टी कटान का 89737.74 क्युबिक मीटर एवं रिटेनिंग वॉल में सीमेंट कंकरीट का 1288.26 क्युबिक मीटर कार्य किया गया है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

31.08.2018.1540/DT/YK-

मुख्यमंत्री... जारी

जिस पर मु0 59.66 लाख रूपये खर्चा हुआ है। इस कार्य में 20 नं0 पाईप पुलिया और 8 सलैप पुलिया डी.पी.आर.के अनुसार प्रस्तावित थी। जिसमें 11 पाईप पुलियों का कार्य किया गया है । जिसमें 111 .91 एक घन मिटर कंक्रीट सीमेंट तथा 67.05 रनिंग मीटर पाईप का कार्य ठेकेदार द्वारा मौके पर किया गया है। जिस पर मु0 10.65 लाख रूपये खर्च हुआ है। नोडल ओफिसर शिमला ने दिनांक 3.7.2018 को उपरोक्त मामला सी.एफ बिलासपुर को पांच आपत्तियों को पुरा करने के लिए वापिस भेजा उपरोक्त त्रूटियों को पुर्ण

करने के बाद अधिषाशी अभियन्ता, बिलासपुर, मण्डल -2 द्वारा दिनांक 17.7.2018 को डी.एफ.ओ बिलासपुर को पुनः भेज दिया गया तथा डी.एफ. ओ बिलासपुर द्वारा उपरोक्त मामला हाल ही में नोडल ओफिसर शिमला को भेज दिया गया। इस सड़क को माननीय विधायक द्वारा वर्ष 2018-19 की विधायक प्राथमिकता में डाला गया है। विभाग ने अपने स्तर पर भी यथा संभव कार्यवाही की है तथा एफ.सी.ए.प्रकिया को पुर्ण करने के लिए विभाग प्रयासरत है।

अध्यक्ष महोदय,इस बात को लेकर कुछ नई बातों को जिक्र यहां पर हुआ है। इस सड़क की जो लेटैस्ट पोजिशन है और इस सड़क के जो कुछ नए फैक्ट्स लेकर जो माननीय सदस्य ने इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं उसकी एक डिटेलड रिर्पोट फिर से मंगवाता हूँ और उसके बाद आपको अवगत करवा दिया जाएगा।

31.08.2018.1540/DT/YK-2

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी जी 23 अगस्त, 2018 को उत्तरीत तारांकीत प्रश्न संख्याः 564 के उत्तर से उत्पन्न विषय पर अपना विषय रखेगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमती से दिनांक 23 अगस्त, 2018 को उतरीत तारांकित प्रश्न संख्याः 564 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा उठाती हूं। अध्यक्ष महोदय, यह 23 तारीख को प्रश्न संख्याः 564 सीमेंट प्लांट, चम्बा को लेकर था और मेरे साथ-साथ इसमें आदरणीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी और मुकेश अग्निहोत्री जी भी ब्रैक्टिड थे। यह प्रश्न लगा नहीं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ईश्यू था। जो प्रश्न मेरे नाम से था वह लगा नहीं शायद जो राणा जी या मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो दिया था वह लगाया है। पहली बात तो अध्यक्ष महोदय, मैंने हिन्दी में कोई प्रश्न दिया ही नहीं। अगर मेरा प्रश्न लगता तो उसका मिनिंग भी थोड़ा अलग था जो मैंनेपुछा था वह कुछ और था और विस्तृत था। यह मेरा लिखा नही हो सकता क्योकि यह हिन्दी में है और मैंने अंग्रेजी में दिया था।

ऐसा नही है कि यहां अंग्रेजी में कार्यवाही नही हो रही है क्योकि आदरणीय सिंघा जी ने भी अंग्रेजी में दिया था उनका अंग्रेजी में लगा। मगर मुझे हिन्दी अंग्रेजी दोनो हो कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चम्बा जिले में बडोह सिंघ एक जगह है वहां पर सीमेंट कारखाना लगना है। यह चुराह तहसील में पड़ता है जोकि माननीय उपाध्यक्ष जी का चुनाव क्षेत्र है। कुछ हिस्सा हमारे चुनाव क्षेत्र का भी आता है। अगर विस्तृत जानकारी आएगी तो पता चलेगा कि कौन सी जगह अंकित कि गई है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ोह सिंघ का लम्बे अरसे टैंडर लगाने का या अलॉटमैंट प्रोसिजर था यह सब से पहले लारसन एंड ट्यूबरो को दिया गया था। लारसन एंड ट्यूबरो ने जब यह नही लगा या तो उसके बाद यह जे0पी0 इंडस्ट्री को दिया गया। जे0पी0इंडस्ट्री को 31.1.2012 तक यह प्लांट लगाना था।

श्री एन.जी.द्वारा जारी..

31/8/2018/1545/ए0जी0/एन0जी0-1

श्रीमती आशा कुमारी जारी.....:

इन्होंने स्थापित नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, फाईनली 26-02-2014 को एम.ओ.यू. रद्द कर दिया गया । ऐसे ही इनको जो माईनिंग लीज दी गई थी वो भी 27-05-2014 को निरस्त कर दी गई । उसके बाद जे.पी. ईण्डस्ट्रीज माननीय हाईकोर्ट में गई और CWP No. 283/2105 के अन्तर्गत यह मामला अभी भी माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है । उनको कोई स्टे नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ । जो उस समय की सरकार थी और माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी उस समय उद्योग मन्त्री थे और 26-06-2014 को फिर से बिडस मंगवाई गई । जब वो बिडस मंगवाई गई उसी बीच भारत सरकार ने माईनिग रूल्ज बदल दिए । as per notification dated 27.03.2015 जो संशोधन हुए और संशोधन का Section 10(a)(i) के अनुसार उन्होंने कर दिया कि prospecting license & mineral lease है वो नीलामी से दिया जाए । जब यह नियम बदल दिया तो उस समय की वर्तमान सरकार और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो उस समय उद्योग मन्त्री थे उनके विभाग ने जो बिडस

मंगवाई थी वह निरस्त कर दी गई। naturally against law हो गया । नया जो कानून आया उसके तहत नीलामी होना जरूरी था । उसके साथ-साथ ही Evidence of Mineral Content Rules, 2015 भी भारत सरकार ने प्रकाशित कर दिए । due to which before auction एक प्रोसीजर फोलो करना अनिवार्य कर दिया और उस प्रोसीजर में G-2 लेवल की अनवेषण रिपोर्ट, DGPS का सर्वे, category of land की जानकारी अनिवार्य कर दी गई । साथ ही Mineral Auction Rules, 2015 under Rule 5 के अन्तर्गत 5 चीजें अनिवार्य कर दी। इससे पूर्व पिछले सत्र में जब मेरा प्रश्न संख्या 227, 27-03-2018 को लगा था, उसके जवाब में आपने भी कहा कि इन रूल्ज के तहत पहले DGPS Survey, marking of the boundaries of the proposed auction block, यह भी अनिवार्य है । classification of land that is कि प्राईवेट है, सरकारी है, फोरस्ट है, उस प्रपोसड ब्लाक में कितना-कितना है । उसके इलावा fixing of boundary pillars का इशू कल माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी ने भी माननीय सदन में उठाया था, with regard to mining leases. यह भी माईनिंग लीज ही है । आपको हर माईनिंग लीज में पीलर लगाना अनिवार्य है । अवैध माईनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपने माईनिंग के लिए लीज पर दिया है एक स्थान और माईनिंग होती है दूसरे स्थान पर । जब आप पिलरज लगाऐंगे तो उद्योग विभाग को, पुलिस को, फोरेस्ट विभाग को पता होगा कि वास्तव में लीज कहां दी गई है । वह

31/8/2018/1545/ए0जी0/एन0जी0-2

एम.फार्म दिखाते है और एम.फार्म होता है एक जगह का और माईनिंग होती है दूसरी जगह पर । इसलिए इन्होंने अनिवार्य कर दिया classification and fixing of boundary pillars. साथ में इन्होंने कर दिया demarcation of area and collection of complete revenue records. जब हमारी सरकार थी और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उद्योग मन्त्री थे तब उन्होने बिडस कॉल किए और कुछ फर्मज ने इसके लिए बिड किया कि इसका DGPS Survey कौन करेगा । वो एक कम्पनी को दिया गया और उसे समय में बढ़ोतरी भी दी गई और समय में बढ़ोतरी की गई यह कारण देकर के कि मौसम खराब रहता है, वहां बर्फ भी बहुत पड़ती है, जहां बड़ो सिन्ध का ऐरिया है और उसकी वजह से आपने उनको बढ़ोतरी भी दी । यह काम उन्होंने 28-02-2018 तक खत्म करना था और आपने बढ़ोतरी दे दी । उसके बाद आपने जो अभी 23-08-2018 को जवाब दिया उसमें कहा कि इस प्रक्रिया को

पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा Online निविदिताऐं आमन्त्रित करने बारे दिनांक 21-08-2018 को नोटिस जारी कर दिया गया है । यह समझ के बाहर है कि जो अनिवार्य प्रोसीजर है वो अभी कम्पलीट नहीं हुआ, न अभी आपके पिलरज लगे हैं । अभी आपकी लैंड क्लासीफाई होकर के किसकी कितनी आ रही, न अभी वो मार्क हुई है, न डिमार्केशन हुई है, न लोगों को पता है कि किसकी जमीन जानी है, कहां जानी है, कौन सा ब्लाक है, यह सब कुछ नहीं हुआ है । तो यह समझ के परे है कि फिर आपने किस चीज का नोटिस निकाला है । यह ठीक है कि हर दूसरे दिन आपके पार्टी के कुछ नेताओं का बयान आता है कि

श्री आर0जी0 द्वारा जारी...

31/08/2018/1550/RG/AG/1

श्रीमती आशा कुमारी-----जारी

हम इसका नींव पत्थर रखने जा रहे हैं। जिस चीज की अभी बिडिंग ही नहीं हुई, तो उसका नींव पत्थर कैसे रख सकते हैं? क्या आप राजनीतिकरण कर रहे हैं? Every time the Lok Sabha election comes - यह बडोह शिण्ड तो जगह का नाम है, लेकिन इसको सीकरीधार बोलते हैं - Sikridhaar comes out. It is directly linked to the elections of Lak Sabha. Every time इसको पौलिटिसाईज करने का प्रयास होता है। इस नींव पत्थर की चार या पांच साल कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, अब लोक सभा के चुनाव आने वाले हैं, मैं लोक सभा चुनावों की बात कर रही हूं। क्योंकि बोलने वाले कौन हैं, यह माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या बोल रही हूं। हर दूसरे दिन बयान आता है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात बताइए कि can you lay the foundation stone of something जिसका ग्लोबल टैण्डर होना है, e-tendering से ग्लोबल टैण्डर होना है और आपकी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, तो किस आधार पर ये बयान दिए जाते हैं कि इसका नींव पत्थर रखा जाएगा? आप इसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे और before the auction जो-जो इसके लिए अनिवार्य किया गया है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है, आप कहते हैं कि आपने किसी चीज का नोटिस दिया है, लेकिन किस चीज का नोटिस, it is not clear. It could

be a notice for something totally different. I don't know because it is not clear. आपका उत्तर बिल्कुल भी क्लीयर नहीं है कि आपने किस चीज का नोटिस निकाला है? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह भी है कि जब तक आप ई-बिडिंग नहीं करेंगे, जब तक इसको कोई ले नहीं लेगा, जब तक यह नहीं होगा कि ठेकेदार कौन है, which is the Company? अभी तो इसकी environmental clearances भी होने को हैं और पूरा प्रोसीजर फौलो होना है, तो आप किस चीज का फॉउन्डेशन स्टोन ले कर रहे हैं? फॉउन्डेशन स्टोन तो मुकेश अग्निहोत्री जी भी रख सकते थे कि चलो हो गया। हमने डी.जी.पी.एस. का प्रोसीजर शुरू कर दिया है इसलिए हमने फॉउन्डेशन स्टोन रख दिया। इससे पहले जहां तक मुझे याद है कि माननीय धूमल जी के समय में यह जे.पी. इण्डस्ट्रीज को अलॉट हुआ था, I am not hundred percent sure, but I think धूमल जी की सरकार थी। वह भी इसका फॉउन्डेशन स्टोन रख सकते थे और कहते कि हमने तो जे.पी. को दे दिया। उन्होंने क्यों नहीं रखा क्योंकि

31/08/2018/1550/RG/AG/2

अभी वायबिलिटी का ही पता नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, आपका विभाग चम्बा के लोगों को मिसलीड न करें। चम्बा के लोगों के साथ आप इस तरह से न करें। मैं इनसे यह जानना चाहती हूं कि इसकी वस्तुस्थिति क्या है?

अध्यक्ष : आपने बोल लिया, अब माननीय उद्योग मंत्री जी को उत्तर देने दें।

31/08/2018/1550/RG/AG/3

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य महोदया ने जो प्रश्न किया था, उसमें इनके मन में कुछ ऐसे विषय थे जिनके बारे में इन्होंने स्पष्टीकरण चाहा है। सीमेंट प्लांट के बारे में इनकी चर्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बाकी बातें इन्होंने कही हैं कि जब चुनाव आता है तो उस समय ये शिलान्यास के विषय आते हैं। मैं इनको वस्तुस्थिति बताऊंगा और उसके साथ-साथ इनको यह भी बताना चाहता हूं कि हम किसी जिले के साथ काई भेदभाव नहीं कर रहे और **इसका शिलान्यास इसी साल में होगा, यह भी मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं। इस साल में ही हो जाएगा।** जिस समय मैं इस बारे में

इनको बताऊंगा, उस समय यह सारा विषय इनको स्पष्ट हो जाएगा। कृपया मेरा उत्तर सुन लें। कुछ बातें तो इन्होंने बोली हैं और बाकी मैं इनको बताता हूं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में वास्तविक स्थिति और जो कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :-

बडोह शिण्ड (जो कि शिकरी धार चूना-पत्थर भण्डार के नाम से भी प्रचलित है) में चूना-पत्थर के पर्याप्त भण्डार मौजूद हैं । यह क्षेत्रा जिला चम्बा के तहसील चुराह में स्थित है तथा जिला मुख्यालय के उत्तर दिशा में प़डता है तथा चम्बा-तीसा स़डक (राज्य उच्च मार्ग सं0-37) पर चम्बा (जिला मुख्यालय) से 40 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ।

उक्त चूना-पत्थर के भण्डारों के दोहन हेतू राज्य सरकार ने श्रीयुत जय प्रकाश एसोसियेट्स लि0 (M/s J.P. Associates) के साथ ब़डोह शिण्ड चूना पत्थर भण्डार पर आधारित 2 मीलियन टन क्षमता का सीमेंट उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी समझौता (MOU) दिनांक 1.2.2007 को हस्ताक्षर किया था। समझौता ज्ञापन (MOU) की शर्तो के अनुसार कम्पनी को सीमेन्ट प्लॉट 31.1.2012 तक स्थापित करना था परन्तु निर्धारित समय अवधि के भीतर सीमेन्ट प्लॉट स्थापित न करने के कारण राज्य सरकार ने दिनांक 26.2.2014 को इस समझौता ज्ञापन को निरस्त कर दिया था ।

एम.एस. द्वारा जारी

31/08/2018/1555/MS/DC/1

उद्योग मंत्री जारी----

इसी के तहत कम्पनी द्वारा चूना-पत्थर की निकासी हेतू आवेदित क्षेत्र तादादी रक्वा 292-6954 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रस्तुत खनन पट्टा आवेदन पत्र को भी दिनांक 27.5.2014 को अस्वीकृत किया गया।

इसी बीच भारत सरकार के खान मंत्रालय ने खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन कर, दिनांक 27.3.2015 की अधिसूचना के अन्तर्गत नया नियम 'खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) संशोधित अधिनियम, 2015 लागू किया, जिसमें नियम 10 ए में प्रावधान रखा गया है कि नये नियम लागू

होने की तिथि से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों को अयोग्य माना जाये जैसा माननीय सदस्या आपने भी कहा है तथा आवेदित क्षेत्रों को नीलामी प्रक्रिया द्वारा Prospecting Licence/Mining Lease पर दिये जाने का प्रावधान रखा गया है । यहां यह भी अवगत किया जाना उचित रहेगा कि केन्द्र सरकार के खान मंत्रालय ने Evidence of Mineral Contents Rules, 2015 भी प्रकाशित कर दिये हैं जिनमें प्रावधान रखा गया है कि राज्य सरकार को मुख्य खनिज के खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया से पूर्व जी-2 चरण ¼G-2 level) की अन्वेषण रिपोर्ट, डी.जी0पी0 एस0 सर्र्वे ¼DGPS Survey) एवं भूमि की श्रेणी ¼category of land) इत्यादि की जानकारी जुटानी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त Mineral (Auction) Rules, 2015 के नियम 5 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र को नीलाम करने से पूर्व अनिवार्यता निम्नलिखित हैः-

1. Digital Global Positioning System (DGPS) surveyः- marking of the boundary of proposed auction block with the help of DGPS survey instruments.
2. Classification of land i.e. Govt./Private/Forest falling in the proposed block
3. Fixing of boundary pillars
4. Demarcation of the area
5. Collection & compilation of revenue record.

31/08/2018/1555/MS/DC/2

मुझे लगता है कि यहां थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। इन सारी चीजों के लिए हमने ये जो काम उस समय दिया था, M/S Himalayan Surveying Services, office at Paonta Sahib, District Sirmour, H.P को आबंटित किया था। कंम्पनी ने क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के बाद विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्षेत्र की उचित सीमा तय करने और राजस्व रिकॉर्ड का विवरण प्राप्त करने के बाद नए नीलामी

नियमों (auction rules) की आवश्यकता के अनुसार खनिजो की गुणवत्ता व मात्रा को निर्धारित करने के लिए विभाग ने जी-1 और जी-2 स्तर के लिए क्षेत्र की खोज के लिए कार्य शुरू किया। इस काम को करने के लिए विभाग द्वारा भू-विज्ञानिकों की टीम गठित की गई। इस टीम द्वारा क्षेत्र का भूगर्भीय अन्वेषण किया गया। सभी नमूने विभागीय प्रयोगशाला में उनके रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गये । सभी नमूनों के परिणाम का विश्लेषण कैल्शियम ऑक्साईड, मैग्नेशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिना की क्वांटिटी के लिए किया गया। प्रस्तावित नीलामी क्षेत्र के राजस्व cadestral map (खसरा योजना) को digitise और भू-संदर्भित किया गया। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रस्तावित नीलामी क्षेत्र स्तंभो के साथ निर्धारित किया गया है । प्रत्येक सीमा स्तंभों को अपनी जमीन की स्थिति के लिए डीजीपीएस विधि का उपयोग करके भू-संदर्भित किया गया । प्रस्तावित नीलामी ब्लॉक में भू-गर्भीय भण्डार 955.00 मिलियन टन का (जी 1(744 मिलियन) और जी 2(211 मिलियन)) टन अनुमान लगाया गया है। इस क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष 1978 से 2004 तक भू-गर्भीय जांच क्षेत्रीय भूगर्भीय मानचित्रण (आरजीएम) और विस्तृत भूगर्भीय मानचित्रण (डीजीएम) के साथ शुरू किया जिसके बाद ड्रिलिंग द्वारा उप-सतह अन्वेषण भी किया गया था। साइट से एकत्रित कुल 1715 कोर samples और 51 insitu samples का रासायनिक विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार खनन और अन्य गतिविधियों के लिए क्षेत्र को चित्रित किया गया है तथा विभिन्न एजेंसियो द्वारा किए गए पहले के काम की रिपोर्ट संकलित की गई है। भूगर्भीय रिपोर्ट तैयार करने के बाद विभाग द्वारा क्षेत्र की

31/08/2018/1555/MS/DC/3

नीलामी के लिए सारी आवश्यक शर्तों को सम्मिलित करने के उपरान्त निविदा दस्तावेज बनाया है। माननीय मुख्य मंत्री की बजट उदघोषणा के अनुरूप विभाग द्वारा संषोधित अधिनियम व नियमों के अनुसार शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 21.08.2018 को चूना पत्थर ब्लॉक की नीलामी के लिए निविदा सूचना जारी की गई है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

31.08.2018/1600/जेके/डीसी/1

उद्योग मंत्रीः----**जारी**-------

निविदा में हिस्सा लेने के लिए प्रत्याशित बोलीदाता को निविदा दस्तावेज खरीदने और क्षेत्र के निरीक्षण करने के लिए 30 दिनों की अवधि प्रदान की गई है। इस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा Metal and Scrap Trading Corporation (MSTC), (भारत सरकार का एक उपक्रम) की सेवाएं ली गई हैं और bidding के लिए उनके Online portal को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां यह भी सूचित करना उचित होगा की सफल बोलीदाता को सभी विभागों से सभी तरह की clearances कंन्सेंट एंण्ड NOC अपने स्तर पर लेनी होगी।

इस ब्रडोह शिण्ड चूना पत्थर भण्डार के e-auction के सफल उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में सहमति पत्र (Letter of Intent) जारी किया जाएगा तथा सफल कम्पनी को अपने ही स्तर पर clinkerization एवं सीमेंट प्लांट स्थापित करना होगा जिसके लिए सफल कम्पनी को अपने स्तर पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। यहां पर जो आपने ग्लोबल टेंडर की बात की इसमें ग्लोबल टेंडर ही मंगवाएं हैं। पहले हमने पांवटा साहिब का विषय दिया जिसमें उन्होंने सारी चीजों को देखना था। यह टेंडर उनका अलग था और ये जो आप 21 वाला पढ़ रहे हैं यह सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद है।

31.08.2018/1600/जेके/डीसी/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आशा कुमारी जी कृपया अपना स्पष्टीकरण शॉर्ट में दें।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्टीकरण तो यही है कि जो मूल प्रश्न था उसका ही जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या बाउन्डरी पिल्लर्ज़ लग गए, जो कि अनिवार्य थे? And secondly, classification of land, i.e. is how much land is private land, how much is Government land and how much is

forest land. मैंने तो आपसे दो बातें मुख्यतः पूछी और उन दोनों का आपने ज़वाब नहीं दिया कि यह हो गया है, यदि हो गया है तो क्या आप उसकी जानकारी यहां माननीय सदन में देंगे?

31.08.2018/1600/जेके/डीसी/3

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पढ़ा है उसमें यह कंडिशन है कि पिल्लर लगने चाहिए और जो मेरे पास लिखा हुआ आया है । कहां पर पिल्लर लगा ये तो मैं यहां पर आपको बता नहीं पाऊंगा लेकिन यह फॉर्मेलिटीज़ उसमें हैं। हम उसकी ऑक्शन उसी समय करेंगे जब उसकी औपचारिकताएं पूरी होगी लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर नहीं हुआ है तो विभाग से बात करके पुछूंगा। ये जो दस्तावेज मैंने पढ़े हैं इनको मैंने दस बार पहले पढ़ा इसके बाद ये सारी चीजें दी हैं लेकिन मुझे ऐसा लगाता है कि प्रश्न का उत्तर जानने की इतनी चेष्टा नहीं है इसके बारे में यह बताने की चेष्टा है कि हमने सब कुछ किया। मानते हैं आपने भी बहुत कुछ किया है। अग्निहोत्री जी के समय में बड़ा काम हुआ है लेकिन हमने उस काम की तेजी पकड़ी है, उस काम को तेजी से किया है। पूरे का पूरा विभाग वहां पर चार महीने तक बैठा है। वहां पर लगातार डियूटीज़ लगी हैं। आप अगर वहां पर जाएंगे तभी पता लगेगा । आपने कभी क्षेत्र में जाना ही नहीं है फिर पता कैसे लगेगा? सभी चीजें पूरी हो चुकी है। मैडम वहां पर बाउन्डरी पिल्लर लग गए हैं। मैं जो बोल रहा हूं यह जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। विपक्ष में बैठकर मैं भी बोलता था कि नहीं हुआ। हुआ होता तो वीरभद्र जी उस समय ठीक बोलते थे। उसके बाद सभी चीजें पूरी कर ली है। इसमें आपने एक लैंड का पूछा ,22 हेक्टेयर लैंड प्राइवेट लैंड है और बाकी फोरैस्ट लैंड है। यह जो मेरे पास सूचना आई है और भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें रह गई हैं परन्तु ठीक है आपका बोलना भी यही बनता है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

31.08.2018/1600/जेके/डीसी/4

अध्यक्षः अब श्री विक्रमादित्य जी 29 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 722 के उत्तर से उत्पन्न स्थिति के विषय पर चर्चा करेंगे। प्लीज बहुत ही शॉर्ट में चर्चा करें।

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 29 अगस्त, 2018 को तारांकित प्रश्न संख्या 722 के उत्तर से उत्पन्न विषय पर चर्चा उठाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पहली बार मुझे यह चर्चा उठाने का मौका मिल रहा है यदि इसमें मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं। जिस दिन यह प्रश्न लगा था उस दिन हमारा राजनीतिक कारण से वॉक आऊट हो गया था तो जो ज़वाब मिलना चाहिए था उसकी संतुष्टि नहीं हो पाई है इसलिए यह प्रश्न मैंने फिर से लगाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी जो होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इसका ज़वाब दिया है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी.....

31.08.2018/1605/SS-HK/1

श्री विक्रमादित्य सिंह क्रमागतः

मैं आज एक विधायक की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, मगर एक प्रदेश के युवा की हैसियत से बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी का जो जवाब था, वह vague, ambiguous था और बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक था। कहने का तात्पर्य है कि उसमें जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, वह उसमें प्रदर्शित नहीं होती थी। अगर मुझे उस तरह का जवाब चाहिए होता तो मैं आर0टी0आई0 में प्रश्न लगाता और उसके आंकड़ें हमको वहां से मिल जाते। उसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में टोटल नम्बर ऑफ केसिज़ 788 हुए हैं। मैंने (मुख्य मंत्री) पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की है और 2,05,835 युवा लोग इस अवेयरनैस कैम्पेन के माध्यम से जागरूक किये हैं। 1025 स्कूलों को कवर किया गया है जहां पर सैनिटाइजेशन करवाई गई है। ये सब चीज़ें ठीक हैं, I am not contradicting these facts. मगर जो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, वह यह है कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर आज ड्रग की समस्या है, सबसे पहले तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये दो किस्म के ड्रग्ज़ होते हैं। एक कैमिकल ड्रग है, जिसके बारे में कल यहां बड़े विस्तारपूर्वक चर्चा की

गई, जिसको हम साइकोट्रोपिक सब्स्टांसिज़ के नाम से जानते हैं। जिसमें कैप्सूल, दवाइयां, सिरप, इंजैक्शन्ज़ इत्यादि हैं। एक कंवैंशनल ड्रग्ज़ हैं जोकि प्रदेश में बहुत समय से चलते आ रहे हैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाई भी हुई है चाहे वे गांजा, कैनाविस, ओपियम इत्यादि सब चीज़ें हैं। इसमें मैं यह कहना चाहूंगा, जहां तक हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, एक गोल्डन क्रिसैंट और एक गोल्डन ट्राईएंगल ड्रग्ज़ के दृष्टिकोण से देखा जाता है। जो गोल्डन क्रिसैंट है इसमें जितनी हमारी नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान इत्यादि हैं जहां पर ओपियम का ड्रग्ज़ इसके माध्यम से चलता है। वैसे ही गोल्डन ट्राईएंगल है जिसमें हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे माइनामार, लेओस, थाइलैंड है, ये इन चीज़ों के अंदर आते हैं। इसमें माइक्रो और मैक्रो लेवल पर हमको कार्य करने की आवश्यकता है। जहां तक लॉज़ की बात है, I understand that we are legally bound by certain conventions at the international level, whether it is the Convention of Narcotics drugs 1961, Convention of Psychotropic Substances 1971, Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs & Psychotropic Substances, 1988. These are the legal aspects and bindings that we have in the Union of India.

31.08.2018/1605/SS-HK/2

Because of this, Government of Himachal Pradesh is also bound to take action and implement these laws in the State of Himachal Pradesh. इसमें हम कार्य कर भी रहे हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। एक रिनाऊंड अथोरिटी, डॉ० अतुल अम्बेदकर हैं in National Drugs Dependence Treatment Centre at AIIMS, New Delhi , who has specifically spoken about 'De-Criminalization of Selectd Drugs'. इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी यह बात उठाई थी। मैं यह नहीं कहूंगा कि कई ड्रग्ज़ को डि-क्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है परन्तु उसमें एक हैवी हैंडिड एप्रोच से कार्य नहीं करने की आवश्यकता है। यह मैं कहना चाहूंगा चाहे वह गांजा है, जिसे हम कैनाविस कहते हैं या उसे हम हैशिश कहते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे दवाइयां भी बनाई जा सकती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम सोसाइटी को एक पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूशन करवा सकते हैं। What I am trying to say is that we

need to have a clear distinction between these two kind of drugs. मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर कोई-न-कोई सोच या विचार कर रही है? Are we differentiating between these kinds of drugs?

दूसरा, मैं अमेरिका का उदाहरण देना चाहूंगा। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः माननीय सदस्य, थोड़ा-सा स्पैसिफिक क्वैश्चन करिये। आप विस्तार में मत जाईये। यह नियम-62, 63, 130 की डिबेट नहीं है। इसमें नियम-130 में चर्चा हो चुकी है।

श्री विक्रमादित्य सिंहः सर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं आज इसमें अमेरिका का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कोकीन और हीरोइन का आज हम हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रभाव देख रहे हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

31.08.2018/ 1610/केएस/एचके/1

श्री विक्रमादित्य सिंह जारी----

अगर हम कोकीन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगें, तो अमेरीका के अंदर 1980 के अंत में इसका प्रकरण शुरू हुआ उस समय के जो अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग लॉर्ड थे, पेब्लो एस्कोबार जो एक कोलम्बियन थे,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, क्वैश्चन से रिलेटिड पूछिए। आप कहां जा रहे हैं?

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूं कि जैसे पुर्तगाल ने De-Criminalization of certain drugs किया है क्या सरकार वैसे करने का निर्णय ले रही है? कैनेडा ने सेफ इंजैक्शन फैसिलिटीज़ बनाई है । ओवरडोज़ प्रिवेंशन साइट्स ली है जिसके माध्यम से people can use drugs if they want, with minimum risk of overdose and death. Our policies should be based on scientific evidence and legalization of this drug. मैं यही पूछना चाहूंगा कि अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें एक

ऑब्ज़र्वेशन दी है । माननीय जस्टिस संजय करोल और संजय शर्मा जी ने खासतौर से चीफ सैक्रेटरी को यह बात कही है कि पॉलिसी फ्रेम वर्क हिमाचल के अंदर हमें बनाने की आवश्यकता है । इसमें मैं पढ़ रहा था कि 'the mere action and seizures of the drugs will not serve the purpose to eradicating the problem. Policy needs to be framed for complete eradication of drug-menace by State and Union, having noticed its glaring aspects. We definitely cannot be "Mute Spectators". I think it fit to direct the Chief Secretary to apprise the Chief Minister with the order of the Court so that he can discuss the matter with the Council of Ministers'. मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो आपने यहां पर आंकड़े दिए हैं, वे ठीक हैं लेकिन उसके साथ-साथ जो बातें मैंने यहां पर रखी हैं, इस पर सरकार क्या विचार कर रही है? अगर कर रही है तो किस दृष्टि से हम इन दोनों ड्रग्ज़ को अलग-अलग देखते हुए एक सामाजिक समस्या की तरह जो इससे अडिक्ट हैं, उनको हमें एक आरोपी के रूप में नहीं देखना है। जो यूथ ड्रग लेता है, they need to be seen as medical patients और इसके

31.08.2018/ 1610/केएस/एचके/2

लिए सरकार ने कहा कि हम आने वाले समय में तीन नये रीहेबिलिटेशन सैंटर्ज़ और डी-अडिक्शन सैंटर्ज़ प्रदेश के अंदर एस0जे0वी0एन0एल0 के माध्यम से और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के माध्यम से खोलने वाले हैं which I think is not enough. The State needs to take more initiative because combating the drugs menace in the State सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करके और केवल पुलिस की दबिश से या केवल इसके जो परपीट्रेटर्ज़ हैं, उनको पकड़ कर ये खत्म नहीं होगा। We have to go to the root cause of the problem and only then we will be in a position to finish this menace. मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इन सब में इन्होंने क्या किया और खासकर जो अभी तीन राज्यों की इन्होंने हरियाणा की, पंजाब की और उत्तराखंड की बैठक की है

उसमें स्पैसिफिकली, यह तो हमें पता है कि बैठक हुई है मगर उस बैठक से क्या निकला है that I would want to know. Thank you.

31.08.2018/ 1610/केएस/एचके/3

अध्यक्षः ऐसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका विस्तार से उत्तर दिया लेकिन कल अगर कुछ समय थोड़ा पड़ गया होगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी और उत्तर दे सकते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नियम-61 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य जी ने ड्रग्ज़ पर जो चर्चा की और इस सम्बन्ध में जो 29 तारीख को इस माननीय सदन में प्रश्न लगा था, उस दिन इस प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया था। क्योंकि जो चीजें पूछी गई थी, उन सारी बातों का इसमें जवाब मौजूद है । यह बहुत गम्भीर विषय है और मुझे लगता है कि उस दिन अगर आप राजनैतिक दृष्टि से बाहर नहीं जाते तो हम समझ सकते थे कि आप भी इस बारे में बहुत गम्भीर है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

31-8-2018/1615/av/yk/1

मुख्य मंत्री--------जारी

और आपने कहा कि जवाब में कही गई सारी बातें वेग है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। आपने इसमें आंकड़ों की बात भी कही लेकिन मैं उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता क्योंकि प्रश्न का उत्तर बड़े विस्तार से दिया गया है। इस विषय के संदर्भ में हम आज यहां नियम 61 के तहत चर्चा कर रहे हैं और पिछले कल भी इस पूरे विषय पर एक कम्पलीट चर्चा हुई है। यह खासकर ऐजुकेशन डिपार्टमैंट से सम्बंधित है क्योंकि इसका प्रचलन हमारे नौजवानों के

बीच में ज्यादा है। हमारे शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे नौजवानों के बीच में इसका ज्यादा प्रचलन है। वहां पर किस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है और इस दिशा में हम किस प्रकार से काम करने की कोशिश कर रहे हैं; इन सारी बातों को लेकर के हमने पिछले कल पूरे विस्तार से अपनी बात कही है। अगर इस चर्चा का मैं उत्तर देता हूं तो बहुत लम्बा जायेगा इसलिए मैं केवल आपकी भावनाओं और मन्शा पर जा रहा हूं। यह हकीकत है और एक वक्त था जब नशे का माध्यम शराब, चरस और अफीम को माना जाता था। ये सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में प्रचलित थी और प्रचलित होने के साथ-साथ ये नशा करने के प्रमुख माध्यम होते थे। लेकिन पिछले कुछ अर्से से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और आजकल एक शब्द 'चिट्टा' काफी प्रचलित है। वास्तव में यह चिट्टा कोई नशा नहीं है, यह हेरोइन है बल्कि हेरोइन में भी यह एक ऐडवांस्ड किस्म है जो कि एक महंगा नशा भी है। मैंने पिछले कल हो रही चर्चा के दौरान भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन 5-6 बार कर लेता है तो वह इसका पूरी तरह से ऐडिक्ट हो जाता है, हमारे लिए ये सारी चीजें चिन्ता का विषय है। दूसरा हमारे लिए चिन्ता का विषय यह है कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारी लाईसैंस्ड ड्रग्स भी कवर होती है जो कि डॉक्टर के कहने पर ही उपयोग की जा सकती है। लेकिन उसी ड्रग का अगर आप नशे के रूप में सेवन करें तो वह भी एक माध्यम बन रहा है, उसको भी चैक करने की आवश्यकता है। तीसरी हमारी सिंथैटिक ड्रग्स हैं जो कि कैप्सूल या इन्जैक्टेबल शेप में आ रही है। हमारे लिए यह बहुत चिन्ता का विषय है क्योंकि यह

31-8-2018/1615/av/yk/2

नशा जानलेवा है और इसकी गिरफ्त में जब आदमी आ जाता है तो उसको वह पूरी तरह से जकड़ लेता है। ऐसी परिस्थिति में पक्ष और विपक्ष; दोनों के लिए यह चिन्ता का विषय है। जहां तक आपने कहा कि इसके लिए प्रावधान करने चाहिए या कानून में बदलाव करना चाहिए तो हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कानून में सख्ती कैसे कर सकते हैं। हमारा एन0डी0 एण्ड पी0एस0 सैंटरल ऐक्ट है और उसमें हम

कुछ नहीं कर सकते। हम उसमें कुछ जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से केवल आग्रह कर सकते हैं। उसमें अगर कुछ जोड़ने की जरुरत होती है तो वह सेंटर के माध्यम से ही जोड़ी जा सकती है। लेकिन असल बात यह है कि अगर किसी को नशे की आदत पड़ ही गई है तो समाज को उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए। हमें क्या यह मानकर चलना है कि फलां-फलां व्यक्ति नशा करता है, हमें इससे न तो बात करनी है और न ही इससे कोई रिश्ता रखना है। मेरे हिसाब से वह नजरिया ठीक नहीं होगा। उसमें मानवीय दृष्टिकोण भी नहीं होगा और

श्री टी सी द्वारा जार

31.08.2018/1620/TCV/YK-1

मुख्य मंत्री ---जारी ।

जो हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसके अनुरूप भी नहीं है। किसी को अगर नशे की आदत पड़ गई, उससे कोई गलती हो गई, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद भी उसके चंगुल में आ गया है तो उसको भी ठीक करने की जिम्मेवारी हमको लेने पड़ेगी। ये सरकार की जिम्मेवारी हैं और सरकार के साथ-साथ समाज की जिम्मेवारी है। उसको सम्भालना पड़ेगा। उसको उसके हाल पर छोड़ देना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उस दृष्टि से दो चीजें जिनका ज़िक्र यहां पर किया गया है। एक तो डी-अडिक्शन यानि अडिक्शन हो गया, उससे उसको मूल स्थान पर लाना, जहां वह नशे की आदत को छोड़ने की स्थिति में पहुंच जाये। दूसरी परिस्थिति यह है कि चाहे व्यवसाय या अन्य किसी कारण से व्यक्ति नशे के चंगुल में फंस गया है, जिस आदमी ने आर्थिक दृष्टि से अपने और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया है, अपने आपको नुकसान पहुंचा दिया है, ऐसी परिस्थिति में उसको नशे से वापिस लाकर सामान्य स्थिति में लाना है। इसके लिए उसको रिहैब्लिटेट करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी संस्थाएं भी इस काम को कर रही है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में डि-अडिक्शन सेंटर की सुविधा अभी तक हिमाचल प्रदेश के पास नहीं है। आई0जी0एम0सी0 और टांडा में इन सारे प्रोविज़न के अंतर्गत व्यवस्था है। लेकिन जिस गति से यह बढ़ता जा रहा है, उस गति को अगर हम देखें तो डि-अडिक्शन सेंटर और रिहैब्लिटेशन सेंटर, इन दोनों पर अलग से गम्भीरता से विचार करने की जरूरत हैं। आपने जो बातें सरकार के ध्यान में लाई हैं, इनको हम निश्चित रूप से आने वाले समय में करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि ये ऐसे विषय हैं, जिस पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं कल चर्चा के पश्चात् विपक्ष के साथियों से भी बात कर रहा था, सब लोग चाहते हैं कि इसमें हम मिलकर काम करें। इसमें यदि मिलकर काम करने की मंशा से हम आगे बढ़ते हैं

31.08.2018/1620/TCV/YK-1

तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए हम एक कमेटी कांस्टिच्यूट करें, जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष और कुछ अधिकारी हों। इसके साथ-साथ हम तो यहां तक भी चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हैं, उनके बहुत कुछ विषय इसमें रुचि के हैं। स्वच्छता और कृषि के क्षेत्र में काम करने में उनकी रुचि है। इन विषय को लेकर वह भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमको सहयोग दे सकते हैं। इस दृष्टि से उनका सहयोग लेने की भी अगर आवश्यकता रहती है तो हम उस तरह से भी काम करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने बात कही कि हमने कोई बैठक की है। 20 तारीख को हमने मीटिंग की थी और उसका मक़सद बड़ा साफ और स्पष्ट था। हमारा बिल्कुल पावन और पवित्र मक़सद था। जब हमारे पास आंकड़े आये, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। उन आंकड़ों का ज़िक्र पहले भी हो चुका है, ये आपके पास रिकॉर्ड में भी है। जो आंकड़े हमारे पास हैं, उसमें एक बात ऐसी भी आई कि प्रदेश में बहुत सारे लोग, जिनके

खिलाफ़ नशे के मामले दर्ज़ हुए है, लेकिन वे लोग यहां के रहने वाले नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य के रहने वाले हैं। ये पंजाब, हरियाण, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के हैं। हमें एक सांझा मंच बनाकर इक्ट्ठा मिलकर काम करना चाहिए। हमने इसको इनिशिएट किया है और इनिशिएट करने के बाद हमने प्रयत्न किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी।

31-08-2018/1625/NS/AG/1

मुख्य मंत्री ----जारी

पहली बार चार प्रदेशों के मुख्य मंत्री, दिल्ली, राजस्थान और चण्डीगढ़ के सचिव (गृह) व डी0जी0पी0 इसमें शामिल हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि सब लोगों ने नशे पर चिन्ता ही प्रकट नहीं की बल्कि मैकेनिज़म डिवैल्प करने के लिए भी कहा। इसके लिए एक तरीका यह निकाला गया कि तीन महीने के भीतर हमारे मुख्य सचिव और सचिव (गृह) अधिकारिक लैवल पर इस सारे विषय को ले करके को-आर्डिनेशन से बात करेंगे। इसमें हमने यह भी तय किया कि छः महीने के बाद फिर से सभी मुख्य मंत्री बैठेंगे। उत्तराखंड के मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस विषय पर बात करनी है और अगर इस चर्चा को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाना है तो हमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी चाहिए। हम तीन दिन पहले दिल्ली में इक्ट्ठे थे तो हमने उनसे भी बात की और उन्होंने कहा कि हम आने के लिए तैयार हैं। जब हमारा एम.ओ.यू. साईन हो रहा था तो हमने दिल्ली के मुख्य मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से बात की। तब उन्होंने कहा कि मैं भी शामिल होने के लिए तैयार हूं। आप इससे यह अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि परिस्थिति की गम्भीरता कितनी है? सब मुख्य मंत्री चाहते हैं कि इस पर सांझा बैठ करके कुछ काम करने की जरूरत है तो हमें बैठना चाहिए। यह तय हुआ कि छः महीने के बाद सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्री जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये फिर से बैठेंगे और एक मैकेनिज़म भी डिवैल्प किया जाएगा। फिलहाल, इसके लिए एक स्थान पंचकूला में तय किया गया है। वहां पर एक छोटा-सा सचिवालय डिवैल्प करेंगे जो को-ऑर्डिनेशन का काम देखेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश इन सब प्रदेशों

के साथ को-ऑर्डिनेशन का काम देखेगा। सभी प्रदेशों से एक व्यक्ति को नॉडल ऑफिसर तय करेंगे और वह को-आर्डिनेशन का काम देखेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद सबसे बड़ी बात बोर्डर एरियाज़ के बारे में है। इन बोर्डर्ज़ एरियाज़ में इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग बहुत सीमित है और इसको बढ़ाने के लिए भी वहां पर बात हुई है । हम इस माननीय सदन में बहुत सारी बातों का ज़िक्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मामला संवेदनशील है। इन सारी बातों को ले करके यह तय किया है कि वहां पर इनफॉर्मेशन शेयरिंग का मैकेनिज़म डिवैल्प किया जाए ताकि जब कोई

31-08-2018/1625/NS/AG/2

एक जगह से दूसरी जगह भागता है तो उसको पकड़ने के लिए हमारा कम्यूनिकेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि हम उसको तुरंत पकड़ सकें। इन सारे विषयों पर बातचीत हुई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें बहुत कुछ करने को है। हमें इसे आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा और इसके लिए एक मूवमैंट शुरू करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जब तक समाज खुद इस बात के लिए चौक और चौराहे पर खड़ा नहीं होगा और यह नहीं कहेगा कि यह चीज़ गलत है तथा इसको बंद करना है और हम आपके साथ हैं। जब तक यह परिस्थिति निर्मित नहीं होती है तब तक हमारे भाषण देने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, कानून में प्रावधानों की कमी नहीं है। यहां पर जिन बातों का ज़िक्र हुआ, मैं बताना चाहूंगा कि कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं। लेकिन कानून के तहत अगर ये सारी चीज़ें रूकने वाली होती तो रूक गई होती। मैं इस बात को मानता हूं कि कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता हमेशा रहती है और हम इसको बनाने बारे विचार करेंगे। लेकिन अगर कानून के डर से ही यह सारा काम बंद होना होता तो मुझे लगता है कि आज तक काफी फर्क पड़ जाता और काफी हद तक बंद हो जाता। सभी प्रदेशों ने बढ़ते नशे पर चिन्ता प्रकट की है और इसके बावजूद भी यह बढ़ रहा है। इसलिए इसको अलग तरीके से रोकना पड़ेगा। कानून में सख्ती भी लाज़मी है और इसके साथ-साथ अपने व्यवहार, अपने परिवार तथा अपने से शुरूआत करना भी जरूरी है कि मुझे, मेरे परिवार और मेरे समाज तथा पूरे देश को नशा नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम ये सारी बातें

अपनाना शुरू करेंगे तब जा करके हम कुछ बोलने और करने की स्थिति में हो पायेंगे। माननीय सदस्यों ने जो यहां पर सुझाव दिये हैं, अच्छी बातें कहीं हैं, निश्चित रूप से हम खुले मन से उस पर विचार करेंगे क्योंकि यह गंभीर मसला है और अगर कोई सुझाव काम करने लायक होगा तो हम उसका अभिनन्दन करेंगे। मैंने यहां पर रिहैब्लिटेशन और डि-अडिक्शन का ज़िक्र किया है और सरकार को इन पर ज्यादा फोकस दे करके काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में हमारे प्रयत्न जारी रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः मानसून सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है और इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ---- श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

31.08.2018/1630/RKS/AG-1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 23 अगस्त से 31 अगस्त, 2018 तक आपकी अध्यक्षता में यह मॉनसून सत्र बहुत ही बेहतरीन ढंग से संचालित हुआ। इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारियां सांझा हुई। जहां आशंकाएं थीं, उन शंकाओं का समाधान किया गया। इस सत्र की शुरूआत शोकोद्गार से हुई। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अतिरिक्त विधायी कार्यों में चर्चा हुई और बिल भी पारित हुए। मैं यह कह सकता हूं कि 7 दिनों का यह मॉनसून सत्र बहुत-ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उस अधिकार का सभी माननीय सदस्यों ने उपयोग भी किया। कुछ गर्म जोशी भी हुई लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों ने मिलकर काम किया। चाहे चर्चा की बात हो, प्रश्नकाल की बात हो, यह पूरा सत्र बहुत जीवंत रहा। इस सत्र का संचालन आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। समय के हिसाब से नियमों में जो चर्चाएं की जा सकती थीं, उन चर्चाओं को करने का अवसर सभी माननीय सदस्यों को मिला। मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास किया। आपने अपनी बात को जिस तरह से दर्ज करने की आवश्यकता थी,

उस तरह दर्ज करने की कोशिश की। कुछ बातों को विधान सभा के बाहर दर्ज करने की जरूरत पड़ी तो वहां पर भी आपने उन्हें दर्ज किया। लेकिन यह बातें बाहर दर्ज नहीं होनी चाहिए। हमने मिलकर चर्चा की इसके लिए मैं विपक्ष को बधाई देता हूं। जब थोड़ा-बहुत गुस्सा आया तो बाहर-भीतर भी हुए लेकिन कुल मिलाकर सारी चर्चाएं बहुत सार्थक रही। मैं विपक्ष के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने विधायक दल के नेता के साथ-साथ विपक्ष के नेता की भूमिका भी बखूबी निभाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विपक्ष की भूमिका भी जिम्मेवारी की होती है। जो हमारे स्तर का काम है, वह हम करें और जो विपक्ष के नेता के रूप में आपकी जिम्मेवारी है, उसे आप पूरा करें और यह प्रदेश के लोग देखना भी चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी लोग हमारी जिम्मेवारियां के साथ

श्री बी0एस0 द्वारा.....जारी

31.08.2018/1635/बी.एस/डी.सी./-1

मुख्य मंत्री जारी ....

हमें काम करते हुए देखें और प्रदेश के लोग महसूस भी करें कि विधान सभा के अंदर कोई भी कार्य गैर जिम्मेदाराना नहीं हो रहा है, अन्यथा बहुत सारे लोगों को बातें कहने का अवसर मिल जाता है कि विधान सभा का सत्र काम करने के लिए कम और आराम करने के लिए ज्यादा होता है। ऐसी धारणाएं लोगों के बीच बन जाती है। धारणाएं किस कारण से बनती है? यह हमारे और आपके व्यवहार से बनती है क्योंकि पब्लिक फिगर में जो आदमी रहता है, उसके बारे में लोग अपने आप ऑपिनियन जनरेट करते हैं । हम कार्य ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन सारी बातों को ले करके यह आवश्यक है कि हम जिम्मेवारी के साथ सारे कार्य करें। अगर धारणाएं गलत बनी हैं उन धारणाओं को तोड़ने का अवसर हमारे पास मौजूद है। उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र समापन के इस अवसर पर मैं आपके सचिवालय का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि सत्र का कार्य सचिवालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों के

लिए बहुत कष्टपूर्ण दौर होता है। लम्बे समय तक काम करना होता है, जो सूचनाएं हमारे लिए उपलब्ध करवानी होती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस दृष्टि से मैं अपने सचिवालय के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि माननीय सदन में जो भी जानकारी उपलब्ध करवानी होती है उसका जरिया हमारे पास अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। जो वस्तुस्थिति की अनेक स्थानों से सूचनाएं यहां पर पहुंचाते हैं । उनका बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका रहती है जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है।

मैं लोकतंत्र के चौथा स्तम्भ, मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं । हमारे मीडिया से जुड़े सब साथी बहुत संतुलित और महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के बीच में लाए हैं, इस माननीय सदन में जिन विषयों पर साकारात्मक चर्चा हुई उन बातों को तो हम लोग सुन लेते हैं । परंतु मीडिया के जरिए उन सब बातों को पूरा प्रदेश व पूरा देश सुनता और पढ़ता है। मीडिया के हमारे मित्रों ने जो भूमिका निभाई है उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं।

31.08.2018/1635/बी.एस/डी.सी./-2

एक बार फिर से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो हमारा शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र हर वर्ष धर्मशाला में होता आया है। उस सत्र तक के लिए मैं आप सबको शुभ कामनाएं देता हूं। तब तक सभी माननीय सदस्य अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में जाएं और जनहित के कार्य करें। बरसात के इस मौसम में बहुत जगह जान-माल का नुकसान हुआ है। उन पीड़ित परिवारों के बीच भी जाएं और उसके साथ-साथ वहां के नुकसान का जायजा भी लें । जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है उन्हें मदद भी प्रदान करें। ऐसी में कामना करते हुए अध्यक्ष महोदय, आपको फिर से बधाई देता हूं, यह सत्र बहुत बेहतरीन ढंग से संचालित करने के साथ-साथ आज पूर्ण हो रहा है। इसके संचान में आपकी बहुत

बड़ी भूमिका रही है। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

31.08.2018/1635/बी.एस/डी.सी./-3

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सत्र समापन की तरफ अग्रसर हो रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना सरोकार सदन के अन्दर रखा। अध्यक्ष महोदय, छोटा सत्र था ऐजंडा बहुत बड़ा था। इस 6-7 दिन के छोटे से सत्र के बाद सौहार्दपूर्ण माहौल में यह समाप्त हो रहा है। हमने ठाना था कि हमने सौहार्दपूर्ण माहौल में बाहर जाना है और उस माहौल में हम बाहर जाएंगे। बहुत चर्चाएं हुईं, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा गर्मजोशियां भी हुई, तल्खियां भी हुई और तकरार भी हुई । यह लोकतंत्र की खूबियां हैं। कांग्रेस विधायक दल के नाते कुछ चीजें हमने भाजपा से भी सीखी हैं।

श्री डी.टी. द्वाराजारी ..

31.08.2018.1640.DT/DC-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी....

क्योंकि पिछली दफा भाजपा का जो विधायक दल था। जो रिवायत और परम्पराएं उन्होंने शुरू की थी, हमने उससे सब से हट करके एजंडा चलाने का संकल्प लिया हुआ है। क्योंकि हमने उस समय भी सुना कि बाहर क्या चर्चाएं होती थीं। उनके नतीजे भी निकले और कई तरह नतीजे निकले। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष की और सता पक्ष की अपनी-अपनी भूमिका है । अपने-अपने अधिकार हैं उसके नाते हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपना एजंडा भी चर्चा में ला रहे हैं। अपना विरोध भी आपके समक्ष दर्ज करवाया है और अध्यक्ष महोदय, ये सत्र इसलिए बड़ा महत्वूपर्ण है कि इसमें कुछ ऐसे मसले आये, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नशे के बारे में बात कर रहे थे और सात दिन के इस छोटे से सत्र में कम से कम तीन चार बार ये नशे की बात किसी न किसी रूप में चर्चा में आई और ये

बहुत बड़ा समाजिक मसला है और हम अपने-अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर लें, वे अलग बात है लेकिन परेशान जो है सब लोग है पूरा प्रदेश इसके चपेट में हैं पूरा उत्तर भारत के मुख्य मंत्रियों को बैठना पड़ रहा है तो उसका आकार का अंदाजा लगाया जा सकता है और यह ग्लोबल इशू है। हम तो मुख्यमंत्री जी, से कहेंगें कि इस मूहीम में, इस आन्दोलन में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है । जिस स्तर पर भी आप जाना चाहे, आप तस्करों को फांसी देना चाहते हो, आप उनकी सम्पतियां जब्त करना चाहते हो, आप उनके लिए गैर जमानती वारंट का कानून बनाना चाहते हो जो भी आप इस विषय में करना चाहते हैं, कैसी भी स्थिति हो, हम इस माननीय सदन में एकरूपता से आपके साथ है । आप कदम उठाए और हमें उम्मीद थी की आप इसी सत्र में कोई कड़ा कानून लेकर आ रहे है । इस सत्र में नहीं ला पाए तो आप जल्दी किसी भी प्रकार से कैबीनेट के अन्दर उसका विधेयक लाए और उसको इम्पलीमैन्ट करें । चिट फण्ड कम्पनीयों का बिल जो आपको वापिस लेना पड़ा है उसमें जो भी आपको संशोधन करना है, संशोधन करके उसको लागू करें । यह दो बड़े मसले

31.08.2018.1640.DT/DC-2

हैं और सामाजिक सरोकार है । ऐसे मसलों में हम आपके साथ हैं । अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी कुर्सी पर विराजमान है जहां पर ईश्वर के बाद आपको शक्तियां दी हैं कि जो भी आप कहें वही सही है । इस विधानसभा के कायदे कानून यह कहते हैं । निश्चित तौर पर आप भी इन्सान है, जिस कारण तल्खियां हो जाती हैं । आपने बेहतरीन तरीके से सदन का संचालन किया । काफी विषय आपने माननीय सदन में लिए हैं जैसे लॉ एण्ड आर्डर का, खनन का, ड्रग्स का, डेंगू का, पावर पोलिसी का, बरसात का, पर्यटन नीति का, गुण्डा टैक्स का, पेयजल योजना इत्यादि काफी मुद्दों पर माननीय सदन में चर्चा की गई है । ऐसे काफी मुद्दे चर्चा किए गए लेकिन दिल मांगे मोर । उसके चलते कुछ बातें आपके साथ भी हो जाती है उसके बावजूद आपने माननीय सदन का संचालन बेहतर तरीके से किया उसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं । हम यह भी आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अगले

सत्रों में आप हमारा और ज्यादा ख्याल रखें। हमारे एक ट्राईबल क्षेत्र के साथी माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी नाराज होकर के बाहर चले गए । सरकार से मेरा आग्रह है कि वह दूरदराज और दुर्गम क्षेत्र के लोग हैं तो उनसे प्यार और सदभावना बना कर रखें ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे तीन साथी, पूर्व मुख्यमन्त्री, श्री वीरभद्र सिंह जी, सत्र के अन्त में अस्वस्थ हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा । इसी प्रकार हमारे साथी माननीय सदस्य श्री रमेश चन्द ध्वाला जी उन्हें भी अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा ।

श्री एन.जी. द्वारा जारी.....

31/8/2018/1645/एच0के0/एन0जी0-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी.....:

हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी, श्री सुजान सिंह पठानिया जी शिमला में होने के बावजूद सदन अटैन्ड नहीं कर पाए क्योंकि वह अस्वस्थ है । आप वहां भी कोपरेट कर रहे है । हमारे तीनो साथी जल्दी से स्वस्थ हों, कुशल हों, यह तीनों हमारे हाऊस की रौनक है, यह तीनो जल्दी से हमारे बीच में आऐं, ऐसी हम कामना करते हैं । अध्यक्ष महोदय, सोहार्द के माहौल में यह माननीय सदन समाप्त हो । आपके सचिवालय ने जो दिन-रात कार्य किया है, उसका मैं आभारी हूं । प्रैस के बन्धुवर जो अभी भी इस हाऊस में बैठे हुए है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं । हमारे मुख्य सचिव, सभी अतिरिक्त मुख्य सचीव, पुलिस महानिदेशक, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अभी तक सारे लोग यहां पर बैठे है, मैं इनका भी आभारी हूं और इस आग्रह के साथ की सरकार को ठीक-ठीक गाईड करें । आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद ।

31/8/2018/1645/एच0के0/एन0जी0-2

अध्यक्ष : आज मानसून सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर हैं । जैसा दोपहर में वार्ता हुई, इस सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें आयोजित हुई हैं । अनेक चर्चाएं इस सत्र के दौरान हुई । इस सत्र के दौरान 272 तारांकित तथा 84 अतारांकित, कुल 366 प्रश्न माननीय सदन में पस्तुत हुए । नियम-61 के अन्तर्गत 5 विषयों पर, नियम - 62 के अन्तर्गत 6 विषयों पर व नियम-63 के अन्तर्गत 2 विषयों पर व नियम-130 के अन्तर्गत 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई । इसके अतिरिक्त नियम 101 के अन्तर्गत 2 पर चर्चा हुई और तीसरा विषय ईन्टरडयूज हुआ । माननीय सदस्यों ने इसमें अपने बहुमूल्य सुझाव दिये । 2 सरकारी विधेयक भी सभा में चर्चा उपरान्त पारित हुए। नियम-324 के अन्तर्गत 24 विषय सभा में उठाये गये जिनके उत्तर माननीय सदस्यों को दिए गए । सभा की समितियों ने भी 49 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए । इसके अतिरिक्त 3 महत्वपूर्ण वक्तव्य भी इस सत्र के दौरान माननीय सदन में आए।ठीक है, छोटा सत्र रहा परन्तु छोटा होने के बावजूद अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा । मुझे आज सदन के नेता, माननीय मुख्य मन्त्री, श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना है । इनके आदेश पर पूरी सरकार ने और अधिकारियों ने जितने प्रश्न आए सबके उत्तर भेजे । जितनी चर्चाऐं आई और जो लगी उनके उत्तर भी आए और जो नहीं लगी उनके उत्तर भी आए ।

मैं माननीय संसदीय कार्यमन्त्री, श्री सुरेश भारद्वाज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं । मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का और इनको बधाई भी देता हूं कि इस बार माननीय सदन में इन्हें नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला है । यह बात अलग है कि इन्होंने अभी तक हमे उसकी पार्टी नहीं दी है । नेता प्रतिपक्ष के नाते इन्होने अपने दायित्व को बाखूबी निभाया है ।

मैं अपने सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा और माननीय विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रातः ठीक कहा था कि माननीय सदस्य चाहे वह सत्ता पक्ष के थे या प्रतिपक्ष के थे, इतने विषय उन्होनें इस बार दिए है, मैने भी 20 साल के अन्दर इतने विषय आते नहीं देखे । जितने विषय हमने सरकार को भेजे

सारे विषयों का उत्तर सरकार ने भेजा । जितना समय हमे मिला उतने विषय हमने माननीय सदन में लगाने के प्रयास किए ।

31/8/2018/1645/एच0के0/एन0जी0-3

आज शुक्रवार है और इस मानसून सत्र का अन्तिम दिन भी है, सभी माननीय विधायकों को वापिस जाने की जल्दी रहती है । लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सदन पूरी तरह से भरा हुआ है । इसके लिए भी मैं माननीय विधायकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

विधानसभा सचिवालय का भी आभार, जिन्होंने हमारे कहने पर और

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

31/08/2018/1650/RG/HK/1
अध्यक्ष महोदय-----जारी

आपकी मांग पर लगातार दिन-रात काम किया, सभी को सूचनाएं उपलब्ध करवाईं, ऑन लाईन करवाईं, ऑफ लाईन भी करवाईं और हार्ड कॉपीज़ भी उपलब्ध करवाईं।

इस बार हमारे सचिव का पहला विधान सभा सत्र रहा, तो नए सचिव को भी हम इस बात के लिए बधाई देना चाहेंगे।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय, सचिवालय के समस्त अधिकारी मुख्य सचिव से लेकर के कर्मचारी तक, प्रिंट और इलॉक्ट्रानिक मीडिया जिन्होंने लगतार यहां से ख़बरों का प्रसारण पूरे प्रदेश में किया, मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। अनेक बार विषय आए। अनेक सदस्य अपने-अपने विषय उठाना चाहते थे, लेकिन समय की तंगी और नियमों की परिधि भी थी और अनेक सदस्यों को ऐसा लगा होगा कि शायद उनके और विषय आने चाहिए या उनको प्रश्नों में और अधिक जगह मिलनी चाहिए। हमने प्रयास किया कि हम अधिकतम सदस्यों को अकॉमोडेट कर सकें। फिर भी हमारे व्यवहार के कारण या समय की तंगी के कारण किसी के विषय नहीं आए या हमारे द्वारा कहा गया

कोई शब्द किसी को अनुचित लगा हो, तो मैं इस सदन में उन सबसे क्षमा-याचना करना चाहूंगा और कोई भी सदस्य हमारी किसी बात को अन्यत्र न ले। क्योंकि सदन के संचालन के लिए जिस दायित्व पर आपने बैठाया है, वहां रहते हुए कोई-न-कोई हार्श बात हमारे द्वारा हुई होगी, तो उसको मैं वापस भी लूंगा और उस पर खेद भी व्यक्त करना चाहूंगा।

इस सदन के पूर्व में जो हमारे उपाध्यक्ष रहे, उनको आज लगा, उनको कोई चीज ठीक नहीं लगी हो, तो मैं फिर भी शब्दों को वापस लेता हूं और

एम.एस. द्वारा जारी

31/08/2018/1655/MS/HK/1

अध्यक्ष जारी----

सच में लोकतंत्र की खूबी है और हम सब लोगों ने मिलकर के एक नई परम्परा कायम की है कि सातों-के-सात दिन पूरे समय तक वर्किंग करके एक नया अध्याय रचा है।

मैं उसके लिए नेता सदन श्री जय राम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सभी मंत्रिगणों , माननीय उपाध्यक्ष विधान सभा और विधायकगणों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा आने वाला सत्र भी बेहतरीन होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी शुभ-कामनाएं दी हैं कि अगले सत्र से पहले अनेकों त्योहार आने वाले हैं जैसे 3 सितम्बर को जन्माष्टमी का त्योहार है, फिर नवरात्रे हैं और उसके बाद दशहरा, दीपावली और भाईदूज हैं यानी ये पूरा त्योहारों का सीजन है तो मैं भी सभी माननीय सदस्यों और प्रदेशवासियों को इन त्योहारों के लिए बहुत-बहुत शुभ-कामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि जब हम दुबारा मिलेंगे तो फिर दुबारा प्रदेशहित के मसलों के ऊपर बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि इस मान्य सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए

स्थगित करूं, मैं सभा में उपस्थित सभी से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभा-मण्डप में उपस्थित सभी राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

अब इस मान्य सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 31 अगस्त, 2018 **सचिव।**